भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय,
उत्तराखण्ड,"खनिज भवन" भोपालपानी, देहरादून।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005

सूचना मैनुअल–2025

"विभागीय वेबसाइट"

www.dgm.uk.gov.in

संकलनकर्ता

श्री शीशपाल,
सहायक रसायनज्ञ/
लोक सूचना अधिकारी, मुख्यालय

संकलन में विशेष सहयोग

श्री दिनेश कुमार,
संयुक्त निदेशक/
प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी

Sr No.	Part of Manual	Detail	Page No.
01	-	Introduction.	1-2
02	Manual-1	The particulars of its organization, functions and duties.	3-8
03	Manual-2	The powers and duties of its officers and employees.	9-17
04	Manual-3	The procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability.	18-22
05	Manual-4	Self-organized measurement for discharge of its functions.	23-26
06	Manual-5	The rules, regulations, instruction, manuals and record, held by it or under its control or used by its employs for discharging its functions.	27-28
07	Manual-6	A statement of documents held by and under geology and mining unit's control.	29-34
08	Manual-7	The particulars of any arrangement that exist for consultation with or representation by the members of the public in relation to the formulation of its policy or implementation there of.	35-259
09	Manual-8	A statement of the boards, councils, committees and other bodies consisting of two person constituted as its part for the purpose of its advise, and as to whether meeting of those boards, councils, committees and other bodies are open to the public, or minutes of such meetings are accessible for public.	260
10	Manual-9	The directory of its officers and employees.	261-263
11	Manual-10	The monthly remuneration received by each of its officers and employees including the system of compensation as provided in the regulations.	264-273
12	Manual-11	The particulars of facilities available to citizens for obtaining information including the working hours of library or reading room, if maintained for public use.	274
13	Manual-12	Details in respect of the information, available to or held by it, reduced in an electronic form.	275-297
14	Manual-13	The manner of execution of subsidy programmes including the amount allocated and the details of beneficiaries of such programmes.	298-299
15	Manual-14	Particulars of recipients of concessions, permits or authorizations granted by.	300
16	Manual-15	The particulars of facilities activities available to citizens for obtaining information including the working hours of a library of reading room, if maintained for public use.	301
17	Manual-16	The names, designations and other particulars for the public information officers.	302-305
18	Manual-17	Such other information as may be prescribed.	306

सूचना का अधिकार–प्रस्तावना

(निदेशक की कलम से)

भारत विश्व की लोकतान्त्रिक व्यवस्थाओं एवं परम्पराओं से अपनी अलौकिक छवि को बिखेरता हुआ सबसे बड़ा लोकतान्त्रिक राष्ट्र है, जहाँ वर्षो से नागरिकों को उनके अधिकारों से सशक्त कर, लोकतन्त्र के वास्तविक मूल्यों को बैश्विक पटल पर स्थापित किया जाता रहा है। सुशासन एवं पारदर्शिता के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा सूचना के अधिकार को लागू कर प्रभावी रूप से क्रियान्वयन में लाया गया, जिसका उद्देश्य लोकतन्त्र के प्रति सकारात्मकता भाव जागृत करना है। लोक सूचना अधिकार के अध्याय–2 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार मैनुअल का प्रतिपादन कर अद्यावधिक रखे जाने का प्राविधान किया गया है, जिसके अनुसार 01 से 17 बिन्दुओं की सूचनाओं का संग्रहण एवं संकलन कर अद्यावधिक अभिलेखों को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड किया जाता है।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून राज्य सरकार की एक वैज्ञानिक एवं तकनीकी दृष्टि से राजस्व के मुख्य स्त्रोत के साथ–साथ स्थानीय क्षेत्रो में रोजगार के सृजन में रचनात्मक भूमिका निभाता है, जिसके अन्तर्गत भूगर्भीय एवं भू–सतही अध्ययन एवं परीक्षण के उपरान्त उपलब्धता के आधार पर आर्थिक रूप से लाभदायक खनिज क्षेत्रों का चिन्हीकरण कर अन्वेषण के उपरान्त आधुनिक तकनीकी से खनिजों का तय मानको के आधार पर विदोहन कर राज्य को आर्थिक रूप से समृद्ध कर अहम भूमिका निभाता है। खनिजों के अन्वेषण के उपरान्त खनिजों की गुणवत्ता के सत्यापन एंव अनुमापन में आधुनिक तकनीकी से सुसज्जित रसायन प्रयोगशाला अपना महत्वपूर्ण योगदान देती है।

इस सूचना मैनुअल का उद्देश्य भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड देहरादून के संगठन, उद्देश्यों, कार्यो, कार्य प्रणालियों, नीतियों, कार्यक्रमों, व्यवस्थाओं, प्रक्रियाओं, सुविधाओं, सेवाओं एवं वित्तीय व्यवस्था आदि के सम्बन्ध में अधिकतम सूचना एवं जानकारी उपलब्ध कराना है ताकि नागरिकों को इस संगठन के अस्तित्व और योगदान के सम्बन्ध में आंकलन कर इसकी गतिविधियों मे सहभागी बनकर योगदान करने का अवसर प्राप्त हो सके। इस प्रकार इस सूचना मैनुअल का उद्देश्य यहां के नागरिकों को अधिष्ठान में विद्यमान तकनीकी सम्पदा एवं मानव शक्ति की सेवाओं एवं सुविधा का बेहतर लाभ देने के लिये प्रतिबद्ध है।

इस सूचना मैनुअल में कुल 17 मैनुअल सम्मिलित है, जिसके अन्तर्गत विभागीय क्रियाकलापों एवं उद्देश्यों का समावेश किया गया है।

सूचना मैनुअल में दी गयी सूचना का बडा भाग भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की गतिविधियों एवं कार्य प्रणाली के अनुभव के आधार पर तैयार किया गया है और इस दृष्टि से यह आधारभूत रूप से यह परम्परागत जानकारी के अलावा सृजनात्मक भी है।

विशिष्ट संगठन होने के कारण सूचना मैनुअल में सामान्य प्रशासनिक, तकनीकी व कार्यालय सम्बन्धी शब्दावली व भाषा का प्रयोग किया गया है तथापि यह भी प्रयास किया गया है कि मैनुअल में प्रयोग की जाने वाली भाषा सरल, समझने योग्य तथा उपयोगकर्ता के लिये सहज हो, किन्तु आवश्यकता

पडने पर तकनीकी भाषा का भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय से सहज अनुवाद/व्याख्या प्राप्त किया जा सकता है।

सूचना मैनुअल में समायोजित विषयों एवं अन्य जानकारी के लिये भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय में सूचना अधिकार अधिनियम अनुभाग, कार्यालय के अधिकारियों एवं सम्बन्धित पटलों पर कार्य करने वाले कार्मिकों से सम्पर्क किया जा सकता है। इस सूचना मैनुअल में उपलब्ध जानकारी के अतिरिक्त अन्य सूचनाओं का संग्रहण उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी नियमों के अनुसार निर्धारित शुल्क जमा कर किया जा सकता है तथा इस सम्बन्ध में कार्यालय के सूचना अनुभाग से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
"खनिज भवन" भोपालपानी,
देहरादून।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, "खनिज भवन" भोपालपानी, (बडासी) थानों रोड–रायपुर, देहरादून के संगठन की विशिष्टियां, कृत्य तथा कर्तव्य

(The particulars of its organization, functions and duties)

हिमालय क्षेत्र भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से अत्यन्त जटिल भू–संरचनात्मक क्षेत्र है। क्षेत्र की भू–संरचना इतनी जटिल है कि राज्य सरकार, केन्द्र सरकार तथा विभिन्न शोध संस्थाओं के भूवैज्ञानिक इस क्षेत्र के अध्ययन हेतु कार्यरत है। प्रत्येक राज्य में खनिजों की उपलब्धता एवं भण्डार के आंकलन के विस्तृत अध्ययन एवं खनिज विकास तथा विनियमन हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग का गठन किया गया है।

हिमालय क्षेत्र की जटिल भूगर्भीय संरचना तथा भूमि के गर्भ में होने वाले प्लेट विवर्तनिक संक्रियाओं के सक्रिय होने से क्षेत्र में भूकम्प, भूस्खलन, अतिवृष्टि, भूमि धंसाव जैसे विनाशकारी घटनाऐं प्रायः घटित होती रहती है, जिनके विस्तृत अध्ययन से जन एवं धन की हानि को कमतर किया जा सकता है। उपरोक्त समस्या के निवारण हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के द्वारा विशिष्ट भू–अभियांत्रिकीय का कार्य सम्पन्न किये जाने का अतिरिक्त दायित्व का निर्वहन भी किया जाता है।

हिमालयी क्षेत्र में खनिज भण्डारों की अपार सम्भावनाओं के भी प्रमाण मिलते है, जिनको चिन्हित कर विदोहन कराकर राजस्व प्राप्ति करने के उपरान्त प्रदेश को स्वावलम्भी बनाने में योगदान प्रदान किया जा सकता है। प्रदेश में उपखनिजों यथा बोल्डर, बजरी, बालू इत्यादि के अपार भण्डार है, जिनके वैज्ञानिक विदोहन द्वारा अधिकाधिक राजस्व प्राप्त किया जा सकता है। उपरोक्त कार्यो के कुशल सम्पादन हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग की विशिष्ट महत्ता है।

उत्तराखण्ड राज्य में भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून की भूमिका राज्य में उपलब्ध खनिज सम्पदा का अन्वेषण करना, उसका मूल्यांकन करना तथा वैज्ञानिक विधि से विदोहन करने एवं खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु तकनीकी मार्गदर्शन देने के लिये है, जिससे राज्य के विकास के साथ–साथ राजस्व की प्राप्ति भी होती है। उत्तराखण्ड राज्य में विभाग द्वारा खोजे/आंकलन किये गये खनिज सम्पदा के भण्डारों एवं नये खोजे जा रहे खनिजों का वैज्ञानिक ढंग से पर्यावरण को संरक्षित करते हुए विदोहन किया जाये तो राज्य का राजस्व प्रतिवर्ष उत्तरोत्तर बढ़ने की सम्भावना है।

इसके अतिरिक्त प्रदेश की विभिन्न निर्माणकारी योजनाओं जैसे–भवन, पुल, मोटर मार्ग, नहर, पेयजल योजना, विद्युत टावर इत्यादि में विभाग द्वारा शासन तथा सम्बन्धित विभाग को

भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से भूमि उपयुक्तता एवं स्थायित्व की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना, भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन कर उन्हें संरक्षित करने हेतु सुझाव एवं संस्तुतियां शासन को प्रेषित करना है। क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य हिमालय पर्वत के भूकम्पीय क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। अंतएव भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है।

विभाग राज्य की समृद्धि बढाने के लिये उपरोक्तानुसार राजस्व वृद्धि एवं निर्माणकार्यो में योगदान देने हेतु निरन्तर प्रयासरत है।

विभाग के कार्यो का दायित्व

- खनिज अन्वेषण कार्य
- खनन प्रशासन
- भूअभियांत्रिकीय कार्य

खनिज अन्वेषण कार्य के अन्तर्गत भूवैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण कर खनिजों की उपलब्धता की सम्भावना का अध्ययन किया जाता है तथा अध्ययनोपरान्त आशातीत परिणाम प्राप्त होने पर क्षेत्र से चट्टानों के नमूने एकत्र कर उनका रासायनिक विश्लेषण, पेट्रोलोजिकल विश्लेषण आदि कराया जाता है तथा क्षेत्र में मानचित्रीकरण का कार्य कर मानचित्र तैयार किये जाते है तथा क्षेत्र का भू–भौतिकी विधा द्वारा भू–भौतिकी अध्ययन कर परिणाम प्राप्त किये जाते है। उपरोक्त समस्त अध्ययनों तथा परीक्षणों मे आशातीत परिणाम प्राप्त होने पर वेधन मशीन द्वारा वेधन कार्य सम्पन्न कराकर भूमिगत चट्टानों के प्रसार, प्रकार एवं खनिजों की उपलब्धता की जानकारी प्राप्त कर खनिज भण्डार की गुणवत्ता एवं मात्रा का आंकलन किया जाता है।

खनन प्रशासन के अन्तर्गत भारतीय संविधान की सातवीं अनुसूची के भाग–2 में दी गयी राज्य की प्रविष्टि संख्या–23 में संघ सूची में दिये गये संघ के अधिकारों के नियंत्रण में खानों के विनियमन एवं खनिजों के विकास हेतु कानून बनाने की शक्ति राज्य सरकारों को प्राप्त है। चूंकि खनिज, भूमि की सतह अथवा भूगर्भ में होते है और भूमि के सतही अधिकार राज्य सरकारों मे निहित होते है। इस कारण खनिजों पर रायल्टी प्राप्त करने का अधिकार राज्य सरकारों को निरपेक्ष से प्राप्त है। खानों के विनियमन और खनिजों के विकास हेतु केन्द्र सरकार द्वारा अधिनियमित "खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957" के प्राविधानों के अन्तर्गत, खनिजों के परिहार प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृत किये जाते है तथा निकाले गये खनिजों की मात्रा के आधार पर, स्वामित्व के रूप में प्रदेश सरकार को राजस्व प्राप्त होता हैं।

खनिज सेक्टर से सम्बन्धित समस्त कार्य भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग द्वारा किये जाते है, जिसमे सभी खनिजों के खनिज परिहार को स्वीकृत किये जाने से पूर्व विभाग से तकनीकी परामर्श प्राप्त किया जाता है तथा चट्टानों के रूप में पाये जाने वाले उपखनिजों की खनन योजना का अनुमोदन भी प्रदान किया जाता है।

भू–अभियांत्रिकीय कार्य के अन्तर्गत प्रेदश की विभिन्न निर्माणकारी योजनाओं जैसे–भवन, पुल, मोटर मार्ग, नहर, पेयजल योजना, विद्युत टावर इत्यादित में विभाग द्वारा शासन तथा सम्बन्धित विभाग को भूवैज्ञानिकीय दृष्टिकोण से भूमि उपयुक्तता एवं स्थायित्व की तकनीकी जानकारी उपलब्ध कराना, भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन कर उनहें संरक्षित करने हेतु सुझाव एवं संस्तुतियां शासन को प्रेषित करना है। क्योंकि उत्तराखण्ड राज्य हिमालय पर्वत के भूकम्पीय क्षेत्र के अन्तग्रत आता है। अतएव भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हो जाती है।

भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून के संरचनात्मक ढांचे का पुर्नगठन किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 3044/VII-A-1/2023–147(ख)/2001 दिनांक 16.12.2023, शासनादेश संख्या 156/VII-A-1/2024/147(ख)/2001 दिनांक 29.01.2024 एंव शासनादेश संख्या 174/VII-A-1/2024–147ख/2001 दिनांक 14.02.2024 के द्वारा विभागीय ढांचा स्वीकृत किया गया है, जिसमें निम्नलिखित पद स्वीकृत हैं, जिसका विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	सातवें वेतनमान के अनुसार वेतनमान
1.	महानिदेशक	01	संवर्गानुसार (आई0ए0एस0 संवर्ग)
2.	निदेशक	01	144200–218200 (लेवल–15)
3.	अपर निदेशक	01	123100–215900(लेवल–13)
4.	संयुक्त निदेशक	03	78800–209200(लेवल–12)
5.	उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक	06	67700–208700(लेवल–11)
6.	उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी	03	67700–208700(लेवल–11)
7.	रसायनज्ञ	01	67700–208700(लेवल–11)
8.	वरिष्ठ वित्त अधिकारी	01	67700–208700(लेवल–11)
9.	सहायक भूवैज्ञानिक	12	56100–177500(लेवल–10)
10.	सहायक रसायनज्ञ	02	56100–177500(लेवल–10)
11.	सहायक भू–भौतिकीविद	01	56100–177500(लेवल–10)
12.	भू–रसायनज्ञ	01	56100–177500(लेवल–10)
13.	सर्वेक्षक अधिकारी	01	56100–177500(लेवल–10)
14.	खान अधिकारी	13	56100–177500(लेवल–10)
15.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	02	56100–177500(लेवल–10)
16.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	04	47600–151100(लेवल–08)
17.	प्रशासनिक अधिकारी	04	44900–142400(लेवल–07)
18.	वैयक्तिक अधिकारी	01	44900–142400(लेवल–07)
19.	वरिष्ठ मानचित्रकार	01	44900–142400(लेवल–07)
20.	प्राविधिक सहायक (भूविज्ञान)	02	35400–112400(लेवल–06)
21.	प्राविधिक सहायक फोटोजियोलोजी	01	35400–112400(लेवल–06)
22.	प्राविधिक सहायक (रसायन)	02	35400–112400(लेवल–06)
23.	प्राविधिक सहायक भू–भौतिकी	01	35400–112400(लेवल–06)
24.	खान निरीक्षक	16	35400–112400(लेवल–06)
25.	लाइब्रेरियन/पुस्तकालयाध्यक्ष	01	35400–112400(लेवल–06)
26.	मानचित्रकार	03	35400–112400(लेवल–06)
27.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	01	35400–112400(लेवल–06)
28.	लेखाकार	01	35400–112400(लेवल–06)
29.	वरिष्ठ सर्वेक्षक	02	35400–112400(लेवल–06)
30.	प्रधान सहायक	08	35400–112400(लेवल–06)
31.	सहायक लेखाकार	01	29200–92300(लेवल–05)
32.	वरिष्ठ खनिज पर्यवेक्षक	02	29200–92300(लेवल–05)
33.	सर्वेक्षक	11	29200–92300(लेवल–05)
34.	वरिष्ठ सहायक	12	29200–92300(लेवल–05)
35.	वैयक्तिक सहायक	03	29200–92300(लेवल–05)
36.	खनिज पर्यवेक्षक	04	25500–81100(लेवल–04)
37.	सहायक खनिज पर्यवेक्षक	29	21700–69100(लेवल–03)
38.	कनिष्ठ सहायक	14	21700–69100(लेवल–03)
39.	सहायक भण्डारी	01	21700–69100(लेवल–03)

(स्थापना अनुभाग)

40.	चालक	09	21700–69100(लेवल–03)
41.	प्रयोगशाला परिचर	02	18000–56900(लेवल–01)
42.	सैक्शन कटर	01	18000–56900(लेवल–01)
43.	चपरासी	16	18000–56900(लेवल–01)
44.	चैनमैन	06	18000–56900(लेवल–01)
45.	फिल्ड परिचर	06	18000–56900(लेवल–01)
46.	चौकीदार	06	18000–56900(लेवल–01)
	योग	220	

नोट :– ड्रिल हैल्पर (मृत संवर्ग) के 01 पद को उक्त तालिका में सम्मिलित नहीं किया गया है।

मुख्य कार्य एवं उत्तरदायित्व

- विभिन्न खनिज अन्वेषणकारी संस्थाओं से समन्वय स्थापित कर प्रदेश में खनिज अन्वेषण कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार कर उसका क्रियान्वयन।
- विभिन्न जनपद स्तरीय कार्यालयों के भू–अभियंत्रिकीय कार्यो की समीक्षा करना एवं प्रगति का संकलन करना।
- सेमीनार प्रदर्शनी आदि के माध्यम से स्थानीय खनिजों के विपणन प्रोत्साहन।
- खनिज विकास एवं अन्वेषण हेतु समन्वित राष्ट्रीय संस्थानों से समन्वय।
- खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु उद्यमियों को सहायता एवं सूचना उपलब्ध कराना।
- खनिजो के मद में देय धनराशि की समय से वसूली करने की मॉनीटरिंग तथा आय में वृद्धि के लिए प्रस्ताव तैयार करना/महालेखाकार द्वारा आपत्तियों को निस्तारित कराने का कार्य।
- खानों के वैज्ञानिक विकास की कार्यवाही एवं प्राप्त माईनिंग प्लान का अध्ययन कर आख्या प्रस्तुत करना।
- क्षेत्रीय कार्यलयों से प्राप्त प्रतिवेदन एवं जिला कार्यालय से प्राप्त सन्दर्भो का परीक्षण।
- खनन प्रशासन से सम्बन्धित कार्यो का नियमों के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्पादित करने हेतु क्षेत्रीय अधिकारियों/जिलाधिकारियों को मार्गदर्शन।
- क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा किये गये खनन प्रशासन कार्यो का मूल्यांकन।
- विभिन्न न्यायालयों में चल रहे खनन प्रशासन सम्बन्धित वादों को निस्तारित करवाना।
- खनन प्रशासन सम्बन्धी स्टाफ की प्रगति।
- जिलाधिकारियों से सम्पर्क करके उन्हे खनन प्रशासन कार्यो की प्रगति से अवगत करवाना।
- खानों को वैज्ञानिक दृष्टि से विकसित करवाना।
- खनन कार्यो के सम्बन्ध में केन्द्रीय/प्रदेश सरकार द्वारा समय–समय पर दिये गये निर्देशों का अनुपालन करवाना।
- वार्षिक व पंचवर्षीय योजनाए तैयार करना तथा योजनाओं के लिए बजट की व्यवस्था के प्रस्ताव तैयार करना।
- विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों का कार्मिक प्रबन्धन अधिष्ठान बजट का आवंटन एवं मानव संसाधन विकास।
- विभिन्न शोध एवं विकास संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित कर प्रदेश के विकास में उनका सहयोग प्राप्त करना।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, भोपालपानी (बडासी), थानों रोड–रायपुर, देहरादून के अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य

(The Powers and duties of officers and employees)

संविधान के अनुच्छेद 154 के अधीन राज्य के कार्यकारी अधिकारी राज्यपाल में निहित है और उन अधिकारों का प्रयोग संविधान के अनुसार या तो सीधे राज्यपाल द्वारा अथवा उनके अधीनस्थ अधिकारियों के माध्यम से किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 166 के अनुसार शासन के समस्त कार्य राज्यपाल के नाम से किये गये अभिव्यक्त किये जायेंगे।

संविधान के अनुच्छेद 154 के अन्तर्गत और उसके उपबंधो के अधीन रहते हुये शासन के अधीनस्थ किसी अधिकारी को कुछ सीमा तक और ऐसे प्रतिबंधों के साथ–साथ जिन्हें शासन लगाना आवश्यक समझे अथवा जो संविधान या शासन के नियम अथवा आदेशों या राज्य विधान मण्डल के किसी अधिनियम के उपबंधों द्वारा पहले से लगाये गये हो, प्रतिनिहित किये जा सकते है।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून के संरचनात्मक ढांचे का पुनर्गठन किये जाने से सम्बन्धित शासनादेश संख्या 3044/VII-A-1/2023–147(ख)/2001 दिनांक 16.12.2023, शासनादेश संख्या 156/VII-A-1/2024/147(ख)/2001 दिनांक 29.01.2025, शासनादेश संख्या 147 VII-A-1/2024–147(ख)/2001 दिनांक 16.02.2024 एवं शासनादेश संख्या 615/VII-A-1/2023–147(ख)/2001 दिनांक 28.03.2024 के द्वारा विभागीय ढांचा स्वीकृत किया गया है, जिसमें निम्नलिखित पद स्वीकृत है, जिसका विवरण निम्नवत् है :–

क्र0 सं0	पदनाम	शक्तियां	कार्य का विवरण
1.	महानिदेशक	–	संवर्गानुसार (आई0ए0एस0 संवर्ग)/विभागाध्यक्ष से सम्बन्धित समस्त अधिकार।
2.	निदेशक	1. प्रशासकीय	1. कार्यालयाध्यक्ष से सम्बन्धित समस्त अधिकार। 2.समूह "ग" एवं "घ" के नियुक्ति/स्थानान्तरण का अधिकार।
		2. वित्तीय	1. विभाग के लेखाशीर्षक के अन्तर्गत आवंटित धनराशि के लिये बजट का नियंत्रण। 2. सामान्य भविष्य निर्वाह निधि (उत्तराखण्ड) नियमावली के अन्तर्गत अस्थायी अग्रिम तथा अन्तिम प्रत्याहरण स्वीकृत करना। 3. वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1 में तथा शासन द्वारा जारी शासनादेशों के अन्तर्गत वित्तीय अधिकारों का उपयोग।
		3. तकनीकी/अन्य	1. नियम एवं नीति के प्रख्यापन हेतु प्रस्ताव महानिदेशक के माध्यम से शासन को प्रेषित करना, खनन परिहारों एवं स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्टों आदि की स्वीकृति हेतु शासन को नीतिगत परामर्श। 2. प्रचलित नीतियों तथा नियमावलियों के अनुसार खनन योजना अनुमोदित किया जाना। 3. खनिज अन्वेषण के सम्बन्ध में राज्य क्षेत्रान्तर्गत उपलब्ध खनिज सम्पदा के वैज्ञानिक विदोहन के सम्बन्ध में योजना तैयार करना तथा भूवैज्ञानिकीय विधा से खनिज अन्वेषण कार्य कराया जाना तथा महानिदेशक के माध्यम से शासन को प्रस्ताव प्रेषित करना। 4. भूविज्ञान विधा के अन्तर्गत अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा भू–अभियांत्रिकीय आख्याओं का अनुश्रवण करना। 5. राज्य स्तरीय भूवैज्ञानिकीय प्रबन्धन बोर्ड की बैठको का आयोजन करवाना तथा बैठक में लिये गये निर्णय का अनुश्रवण करना।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

		4. कर्तव्य	1. विभाग का निदेशन एवं नियंत्रण। 2. राज्य के विकास के लिये दीर्घकालिक तत्कालिक योजनाऐं एवं राजस्व प्राप्ति के लिये योजनाऐं एवं प्रस्ताव तैयार कर महानिदेशक के माध्यम से राज्य सरकार को स्वीकृति हेतु प्रेषित करना। 3. विभाग के निर्देशन में कार्यरत जनपदीय कार्यालयों का निर्देशन एवं नियंत्रण। 4. राज्य की भूगर्भीय एवं भौगोलिक स्थिति को दृष्टिगत रखते हुये निर्माणकारी योजनाओं हेतु चयनित स्थलों के भूगर्भय अध्ययन का क्रियान्वयन करना। 5. वैज्ञानिकीय विधि से मुख्य खनिजों के विदोहन हेतु खनिज परिहारों की स्वीकृति हेतु शासन को प्रस्ताव। 6. अवैध खनन/अवैध भण्डारण की रोकथाम हेतु आवश्यक व्यवस्था करना। 7. राज्य के अन्तर्गत उपलब्ध खनिज भण्डारों की खोज एवं अन्वेषण कराना। 8. विभाग की वार्षिक प्रगति से शासन को अवगत कराना। 9. विभाग के वार्षिक आय–व्यय प्रस्ताव का निर्धारण एवं नियंत्रण।
3.	अपर निदेशक	1. प्रशासकीय	1. अधिष्ठान में कार्यरत समस्त कार्मिकों की सेवा संबंधी प्रकरण निदेशक को प्रस्तुत करना। 2. विभाग की खनन, भूविज्ञान, अधिष्ठान, वित्त आदि से सम्बन्धित समस्त पत्रावलियां निदेशक को प्रस्तुत करना।
		4. कर्तव्य	1. भूविज्ञान एवं खनन प्रशासन से सम्बन्धित नियमावली एवं प्रख्यापन व संशोधन हेतु निदेशक के निर्देशानुसार तैयार करना। 2. अधिष्ठान के अन्तर्गत समस्त कार्यरत अनुभागों के कार्यों का अनुश्रवण। 3. कार्मिकों की तैनाती/स्थानान्तरण के सम्बन्ध में निदेशक को प्रस्ताव प्रस्तुत करना। 4. भूविज्ञान एवं खनन प्रशासन सम्बन्धी अभिलेख एवं प्रस्ताव निदेशक को प्रस्तुत करना। 5. आशय पत्र/खनन पट्टा पर स्वीकृत लॉटों की प्राप्त खनन योजना/स्कीम ऑफ माईनिंग तकनीकी परीक्षण कर अनुमोदन हेतु निदेशक को प्रस्तुत करना। 6. जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण हेतु उच्च स्तर को प्रेषित करना। 7. उत्तराखण्ड अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण नियमावली के सुसंगत प्राविधानानुसार अवैध खननकर्ता, अवैध भण्डारणकर्ता पर अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण उच्च स्तर को प्रेषित किया जाना। 8. मासिक प्रगति, एन0आर0ए0/अवैध खनन/अवैध परिवहन/अवैध भण्डारण/भारतीय खान ब्यूरो की सूचना निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, भारतीय खान ब्यूरो को प्रेषित किये जाने हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया जाना। 9. ऑडिट से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण किये जाने हेतु प्रस्ताव निदेशक को प्रेषित किया जाना। 10. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम/भागीदार का नाम परिवर्तन किये जाने हेतु जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु निदेशक को प्रेषित किया जाना। 11. जनपदों से प्राप्त गौण खनिज के खनन पट्टों की स्वीकृति हेतु

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

			प्रस्तावों का परीक्षण कर प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु निदेशक को प्रेषित किया जाना। 12. जनपदों से प्राप्त उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) के खनन पट्टों की स्वीकृति हेतु प्रस्तावों का परीक्षण कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव अपर निदेशक को प्रेषित किया जाना। 13. खनिज अन्वेषण एवं भूमियांत्रिकीय कार्यों का पर्यवेक्षण करना। 14. एस.जी.पी.बी. एवं सी.जी.पी.बी. बैठकों में प्रतिभाग करना एवं बैठक में विभागीय प्रस्तुतीकरण। 15. मा0 न्यायालयों/हरित प्राधिकरणों/मा0 ट्रिब्यनलों में योजित वादों में प्रभावी पैरवी किये जाने हेतु प्रतिशपथ–पत्र तैयार कराकर निदेशक को प्रेषित किया जाना।
4.	संयुक्त निदेशक	–	1. भूविज्ञान एवं खनन प्रशासन सम्बन्धी अभिलेख एवं प्रस्ताव अपर निदेशक को प्रस्तुत करना। 2. आशय पत्र/खनन पट्टा पर स्वीकृत लॉटो की प्राप्त खनन योजना/स्कीम ऑफ माईनिंग तकनीकी परीक्षण कर अनुमोदन हेतु अपर निदेशक/निदेशक को प्रस्तुत करना। 1. जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण हेतु उच्च स्तर को प्रेषित करना। 2. उत्तराखण्ड अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण नियमावली के सुसंगत प्राविधानानुसार अवैध खननकर्ता, अवैध भण्डारणकर्ता पर अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूली की कार्यवाही किये जाने हेतु प्रकरण उच्च स्तर को प्रेषित किया जाना। 3. मासिक प्रगति, एन0आर0ए0/अवैध खनन/अवैध परिवहन/अवैध भण्डारण/भारतीय खान ब्यूरो की सूचना निर्धारित प्रारूप में महालेखाकार, भारतीय खान ब्यूरो को प्रेषित किये जाने हेतु उच्च स्तर को प्रेषित किया जाना। 4. ऑडिट से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण किये जाने हेतु प्रस्ताव अपर निदेशक/निदेशक को प्रेषित किया जाना। 5. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम/भागीदार का नाम परिवर्तन किये जाने हेतु जनपदों से प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु अपर निदेशक/निदेशक को प्रेषित किया जाना। 6. जनपदों से प्राप्त गौण खनिज के खनन पट्टों की स्वीकृति हेतु प्रस्तावों का परीक्षण कर प्रस्ताव शासन को प्रेषित किये जाने हेतु अपर निदेशक/निदेशक को प्रेषित किया जाना। 7. जनपदों से प्राप्त उपखनिज (बालू, बजरी, बोल्डर) के खनन पट्टों की स्वीकृति हेतु प्रस्तावों का परीक्षण कर अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रस्ताव अपर निदेशक/निदेशक को प्रेषित किया जाना। 8. खनिज अन्वेषण एवं भूमियांत्रिकीय कार्यों का पर्यवेक्षण करना। 9. एस.जी.पी.बी. एवं सी.जी.पी.बी. बैठकों में प्रतिभाग करना एवं बैठक में विभागीय प्रस्तुतीकरण। 10. मा0 न्यायालयों/हरित प्राधिकरणों/मा0 ट्रिब्यनलों में योजित वादों में प्रभावी पैरवी किये जाने हेतु प्रतिशपथ–पत्र तैयार कराकर अपर निदेशक/निदेशक को प्रेषित किया जाना।
5.	उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक	–	1. विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी निर्माण कार्यों में भूमि की उपयुक्तता तथा स्थायीत्व से सम्बन्धित तकनीकी परामर्श देना। 2. खनिज अन्वेषण एवं भू–अभियांत्रिकीय से सम्बन्धित कार्य।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड ,देहरादून

			3. एस.जी.पी.बी. एवं सी.जी.पी.बी. बैठकों में अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक को अपेक्षित सहयोग प्रदान करना।
6.	उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी	–	1. खनन प्रशासन के अन्तर्गत नये खनन लॉटों का चिन्हीकरण कर गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या निदेशालय को प्रेषित किया जाना। 2. आशय पत्र/खनन पट्टा पर स्वीकृत लॉटों का सीमांकन कर गठित समिति की सीमांकन आख्या निदेशालय को प्रेषित किया जाना। 3. आशय पत्र/खनन पट्टा पर स्वीकृत लॉटों की खनन योजना/स्कीम ऑफ माईनिंग के अनुमोदन हेतु प्राप्त खनन योजना/स्कीम ऑफ माईनिंग का परीक्षण कर प्रस्ताव निदेशालय को प्रस्तुत करना। 4. निदेशालय स्तर पर पट्टाविलेख निष्पादन के उपरान्त पट्टाविलेख का उपनिबन्धक कार्यालय में पंजीकरण किया जाना। 5. जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण करना। 6. उत्तराखण्ड अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण नियमावली के सुसंगत प्राविधानानुसार अवैध खनन, अवैध परिवहन, अवैध भण्डारण का औचक निरीक्षण कर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाना तथा अवैध खनन, अवैध परिवहन, अवैध भण्डारण पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना। 7. मासिक प्रगति, एन0आर0ए0/अवैध खनन/अवैध परिवहन/अवैध भण्डारण/भारतीय खान ब्यूरो की सूचना निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय को प्रेषित किया जाना। 8. ऑडिट से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण करना। 9. रिटेल भण्डारण अनुज्ञा से सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार कर गठित समिति की संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक को प्रेषित करना। 10. अल्प अवधि की अनुज्ञा से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक/संयुक्त निदेशक, गढ़वाल मण्डल/निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित करना। 11. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम/भागीदार का नाम परिवर्तन संबंधित प्रस्ताव गठित समिति की संस्तुति सहित निदेशालय को प्रेषित करना। 12. मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना/नवीनीकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार कर गठित समिति की संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित करना। 13. हॉट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट की स्थापना/नवीनकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार कर गठित समिति की संस्तुति सहित प्रस्ताव संयुक्त निदेशक/गढ़वाल मण्डल/निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित करना।
7.	रसायनज्ञ	–	1. खनिज अन्वेषण के उपरान्त प्राप्त खनिज नमूनों के रसायनिक विश्लेषण की आख्या सम्बन्धित विभाग/व्यक्ति/संस्था को उपलब्ध कराना। 2. भूवैज्ञानिकों द्वारा क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान एकत्रित खनिज नमूनों का परीक्षण करवाना। 3. खनिज आधारित उद्यमियों द्वारा रसायनिक विश्लेषण हेतु प्रस्तुत नमूनों का रसायनिक विश्लेषण करना। 4. रसायनिक विश्लेषण के उपरान्त प्राप्त शुल्क को विभागीय मद में जमा करवाना एवं आहरण वितरण अधिकारी को सूचित करना। 5. रसायन अनुभाग की मासिक, त्रैमासिक, छमाही एवं वार्षिक प्रगति संयुक्त निदेशक तकनीकी को प्रेषित करना।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

			6. रसायन अनुभाग के अन्तर्गत कार्यरत समस्त कार्मिकों को मार्ग–दर्शन देना।
8.	वरिष्ठ वित्त अधिकारी	—	विभाग के अन्तर्गत महत्वपूर्ण प्रकरणों में वित्तीय परामर्श/अभिमत प्रदान किया जाना।
9.	सहायक भूवैज्ञानिक	—	मुख्यालय स्तर एवं जनपद स्तर पर भूवैज्ञानिक एवं उपनिदेशकों को वांछित सहयोग एवं क्षेत्रीय निरीक्षण से सम्बन्धित कार्य।
10.	सहायक रसायनज्ञ	—	1. खनिज अन्वेषण के उपरान्त प्राप्त खनिज नमूनो का परीक्षण करना। 2. परीक्षण के उपरान्त प्राप्त परिणामों को रसायनज्ञ के माध्यम से सम्बन्धितों को उपलब्ध कराना। 3. मासिक, त्रैमासिक, छमाही एवं वार्षिक प्रगति तैयार करना। 4. खनिज नमूनों के रसायनिक विश्लेषण की आख्या रसायनज्ञ को उपलब्ध कराना।
11.	सहायक भू–भौतिकीविद	—	खनिज अन्वेषण कार्यों के अन्तर्गत भू–भौतिकी से सम्बन्धित कार्य।
12.	भू–रसायनज्ञ	—	1. खनिज अन्वेषण के उपरान्त प्राप्त खनिज नमूनो का परीक्षण करना। 2. परीक्षण के उपरान्त प्राप्त परिणामों को रसायनज्ञ के माध्यम से सम्बन्धितों को उपलब्ध कराना। 3. मासिक, त्रैमासिक, छमाही एवं वार्षिक प्रगति तैयार करना। 4. खनिज नमूनों के रसायनिक विश्लेषण की आख्या रसायनज्ञ को उपलब्ध कराना।
13.	अधिकारी सर्वेक्षक	—	1. मुख्यालय स्तर पर उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी/संयुक्त निदेशक द्वारा दिये गये मानचित्रण से सम्बन्धित कार्यो का संचालन। 2. मुख्यालय स्तर पर सर्वेक्षकों को सर्वेक्षण के सम्बन्ध में तकनीकी मार्गदर्शन एवं परामर्श।
14.	खान अधिकारी	—	1. खनन प्रशासन के अन्तर्गत नये खनन लॉटों का चिन्हीकरण कर गठित समिति की संयुक्त निरीक्षण आख्या निदेशालय को प्रेषित किया जाना। 2. आशय पत्र/खनन पट्टा पर स्वीकृत लॉटों का सीमांकन कर गठित समिति की सीमांकन आख्या निदेशालय को प्रेषित किया जाना। 3. आशय पत्र/खनन पट्टा पर स्वीकृत लॉटों की खनन योजना/स्कीम ऑफ माईनिंग के अनुमोदन हेतु प्राप्त खनन योजना/स्कीम ऑफ माईनिंग का परीक्षण कर प्रस्ताव निदेशालय को प्रस्तुत करना। 4. निदेशालय स्तर पर पट्टाविलेख निष्पादन के उपरान्त पट्टाविलेख का उपनिबन्धक कार्यालय में पंजीकरण किया जाना। 5. जिला खनिज फाउण्डेशन न्यास से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण करना। 6. उत्तराखण्ड अवैध खनन, परिवहन, भण्डारण नियमावली के सुसंगत प्राविधानानुसार अवैध खनन, अवैध परिवहन, अवैध भण्डारण का औचक निरीक्षण कर अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाना तथा अवैध खनन, अवैध परिवहन, अवैध भण्डारण पर प्रभावी अंकुश लगाया जाना। 7. मासिक प्रगति, एन0आर0ए0/अवैध खनन/अवैध परिवहन/अवैध भण्डारण/भारतीय खान ब्यूरो की सूचना निर्धारित प्रारूप पर निदेशालय को प्रेषित किया जाना। 8. ऑडिट से सम्बन्धित प्रकरणों का निस्तारण करना। 9. रिटेल भण्डारण अनुज्ञा से सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार कर गठित समिति की संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक को प्रेषित करना। 10. अल्प अवधि की अनुज्ञा से संबंधित प्रस्ताव तैयार कर संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशक/संयुक्त निदेशक, गढ़वाल मण्डल/निदेशक द्वारा

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

			प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित करना। 11. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम/भागीदार का नाम परिवर्तन संबंधित प्रस्ताव गठित समिति की संस्तुति सहित निदेशालय को प्रेषित करना। 12 मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना/नवीनीकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार कर गठित समिति की संस्तुति सहित प्रस्ताव निदेशालय को प्रेषित करना। 13. हॉट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट की स्थापना/नवीनकरण से सम्बन्धित प्रस्ताव तैयार कर गठित समिति की संस्तुति सहित प्रस्ताव संयुक्त निदेशक/गढ़वाल मण्डल/निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी को प्रेषित करना।
15.	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी	–	1. मिनिस्ट्रीय संवर्ग का पर्यवेक्षकीय कार्य। 2 नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा नामित किये जाने पर पदस्थापित कार्यालय में पदोन्नति/स्थानान्तरण/समायोजन/एन०ए०सी०पी०एस०/चयन प्रोन्नत वेतनमान/स्थाईकरण/क्रय समिति आदि समितियों में सदस्य के रूप में कार्य करना। 3. नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर मिनिस्ट्रीयल संवर्ग के किसी भी कार्मिक के विरूद्ध प्रशासनिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने सम्बन्धी आख्या प्रस्तुत करना। 4. दैनिक डाक मार्क करने एंव उनका निस्तारण व अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु अधीनस्थ कार्मिकों से समन्वय स्थापित करना। 5. कार्यालय के मिनिस्ट्रियल संवर्ग के कार्मिकों के कार्य/पटल का निरीक्षण करना। 6. कार्यालय में प्राप्त डाक/पत्रों का निस्तारण कराते हुए पत्रावलियों पर अपना मंतव्य अंकित करने के पश्चात् उच्चाधिकारी को प्रस्तुत करना। 7. कार्यालय के विभिन्न अनुभागों के कार्यकलापों के सम्बन्ध में कार्यालय सहायकों को सहयोग तथा कर्मचारियों की अवकाश अवधि के लिये वैकल्पिक व्यवस्था करना। 8. समय-समय पर आवश्यकतानुसार पत्रों/सूचनाओं इत्यादि को कम्प्यूटर के माध्यम से उपलब्ध कराना। 9. समूह "ग" व "घ" की उपस्थिति पंजिका का रख-रखाव व निरीक्षण।
16.	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी	–	पटल से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सम्पादन एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करना।
17.	प्रशासनिक अधिकारी	–	पटल से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सम्पादन एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करना।
18.	वैयक्तिक अधिकारी	–	मुख्यालय में महानिदेशक को प्रस्तुत होने वाली पत्रावलियों के रख-रखाव एंव उनके निर्देशानुसार कार्यों का निष्पादन करना एंव वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक एंव वैयक्तिक सहायक के कार्यों का अनुश्रवण से सम्बन्धित कार्य।
19.	वरिष्ठ मानचित्रकार/मानचित्रकार	–	भूवैज्ञानिक/सहायकभूवैज्ञानिक/खान अधिकारी/अधिकारी सर्वेक्षक के मार्गदर्शन में मानचित्र तैयार करने से सम्बन्धित कार्य।
20.	प्राविधिक सहायक भूविज्ञान	–	खनिज अन्वेषण सम्बन्धी कार्यों में भूविज्ञान विधा के उच्चाधिकारियों को सहयोग प्रदान करना।
21.	प्राविधिक सहायक फोटोजियोलोजी	–	खनिज अन्वेषण सम्बन्धी कार्यों में भूविज्ञान विधा के उच्चाधिकारियों को सहयोग प्रदान करना।
22.	प्राविधिक सहायक रसायन	–	1. खनिज अन्वेषण के उपरान्त प्राप्त खनिज नमूनों का सहायक रसायनज्ञ के निर्देशन का परीक्षण करना। 2. परीक्षण के उपरान्त प्राप्त परिणामों को सहायक रसायनज्ञ/रसायनज्ञ के माध्यम से सम्बन्धितों को उपलब्ध कराना। 3. मासिक, त्रैमासिक, छमाही एवं वार्षिक प्रगति सहायक रसायनज्ञ/भू-रसायनज्ञ

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड ,देहरादून

			के निर्देशन में तैयार करना। 4. खनिज नमूनों के रसायनिक विश्लेषण की आख्या सहायक रसायनज्ञ के माध्यम से रसायनज्ञ को उपलब्ध कराना।
23.	प्राविधिक सहायक भू–भौतिकी	–	खनिज अन्वेषण सम्बन्धी कार्यों में भूविज्ञान विधा के उच्चाधिकारियों को सहयोग प्रदान करना।
24.	खान निरीक्षक	–	जनपदों से अवैध खनन के सम्बन्ध में प्राप्त सूचनाओं के आधार पर क्षेत्रीय निरीक्षण।
25.	लाइब्रेरियन/पुस्तकालयाध्यक्ष	–	मुख्यालय में पुस्तकालय में पुस्तकों, साहित्य/अन्य अभिलेखों को यथापूर्वक रखने एवं वितरण सम्बन्धी कार्य।
26.	वरिष्ठ वैयक्तिक सहायक	–	मुख्यालय में निदेशक को प्रस्तुत होने वाली पत्रावलियों के रख–रखाव एवं उनके निर्देशानुसार कार्यों का निष्पादन करना।
27.	लेखाकार	–	1. विभाग के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों के एरियर बिलों का परीक्षण कर आहरण वितरण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना। 2. समस्त राजपत्रित अधिकारियों/कर्मचारियों के यात्रा भत्ता बिलों का परीक्षण कर आहरण वितरण अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना। 3. विभाग की बजट पत्रावलियों का रख–रखाव तथा बजट के सम्बन्ध में शासन से प्राप्त पत्रों का निस्तारण। 4. व्ययाधिक्य एवं बचतों का प्रारम्भिक, अन्तिम विवरण पत्र तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर अंतिम वास्तविक व्यय विवरण पत्र पुनर्विनियोजन आवेदन पत्र मदवार व्याख्यात्मक टिप्पणी सहित तैयार कर शासन को भेजा जाना। 5. मासिक व्यय विवरण बी0एम0–8, बी0एम0–13, एम0आई0एस0 तैयार कर निर्धारित समय पर प्रेषण करवाना। 6. विभाग के मासिक व्यय आंकड़ों का महालेखाकार कार्यालय में पुस्तांकित आंकड़ों से मिलान करवाना। 7. शासन के वित्त विभाग के निर्देशानुसार व्यय विवरण बी0एम0 1, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 व 14 तैयार कर शासन के प्रशासनिक विभाग व वित्त विभाग को नियमित रूप से भेजना। 8. लेखा सम्बन्धी पत्रावलियों का रख–रखाव तथा लेखा सम्बन्धी विभिन्न सूचनाओं का शासन व अन्य स्थानीय पर प्रेषण। 9. आयकर विवरण पत्रों के अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों के पक्ष में फार्म–16/फार्म–24 तथा त्रैमासिक आयकर विवरण यथा समय तैयार कर आयकर विभाग/सम्बन्धित निर्दिष्ट अधिकारी को उपलब्ध करवाया जाना।
28.	सहायक लेखाकार	–	1. आयकर विवरण पत्रों के अन्तर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों के पक्ष में फार्म–16/फार्म–24 तथा त्रैमासिक आयकर विवरण यथा समय तैयार कर आयकर विभाग/सम्बन्धित निर्दिष्ट अधिकारी को उपलब्ध करवाया जाना। 2. आहरण वितरण अधिकारी/प्रभारी अधिकारी लेखा द्वारा भेजे जाने वाले आय–व्ययक/लेखा सम्बन्धी सूचनाओं का त्रैमासिक विवरण तैयार करवाकर प्रस्तुत करना। 3. प्रभारी लेखा/आहरण वितरण अधिकारी के निर्देशानुसार समय–समय पर लेखा कार्यों का सम्पादन। 4. कोषागार से प्राप्त चैकों को रजिस्टर में दर्ज करने के उपरान्त चैक में बैंक से भुगतान आहरण की औपचारिकताएँ अंकित कर बैंक से भुगतान लाना। 5. समस्त मानक मदों के पृथक देयकों के सब वाउचरों के अनुसार देहरादून से बाहर के व्यक्तियों/फर्मों को भुगतान करने हेतु बैंक से बैंक ड्राफ्ट लाकर भिजवाना। 6. स्थानीय व्यक्तियों/फर्मों को किये जाने वाले भुगतान नकद अथवा चैक जारी करना। 7. समस्त भुगतान ड्राफ्टों को रजिस्टर में दर्ज कर सम्बन्धित अनुभागों को सौंपना। 8. विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के मासिक वेतन से प्राप्त चैक पर औपचारिकताएँ पूर्ण कर विभिन्न प्रकार की वसूलियों को सूचीबद्ध कर सम्बन्धित

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

			खाते में जमा करना। 9. विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों के एरियर, यात्रा भत्ता व जी०पी०एफ० के चैकों को बैंक से आहरित कर भुगतान करना। 10. कोषागार से प्राप्त होने वाले समस्त चैकों को कैश कर कैश बुक में दर्ज कर आहरण वितरण अधिकारी से हस्ताक्षर करवाना। 11. वसूल की जाने वाली धनराशि को ट्रेजरी चालान द्वारा बैंक मे जमा करने का कार्य तथा इसकी नित्य कैश बुक में प्रविष्ट करना। 12. अधिकारियों/कर्मचारियों से उनके मासिक वेतन से राष्ट्रीयबचत के अन्तर्गत मासिक जमा राशि को डाकघर में जमा किया जाना। 13. समस्त प्रकार की वसूलियों की प्राप्ति रसीद काटकर जारी कर हस्ताक्षर करना। 14. समय-समय पर विभिन्न प्रकार के बैंक ड्राफ्टों/चैकों की धनराशि बैंक से कैश कर लाना। 15. विभाग प्राप्तियों को विवरण पत्र तैयार करना। 16. विभाग कैश बुक का रख-रखाव के साथ नित्य की समस्त प्रकार की राजकीय प्राप्तियों/भुगतान को दर्ज करने के साथ समस्त सब वाउचरों का भुगतान उपरान्त निरस्त कर आहरण वितरण अधिकारी से सत्यापित करवाना तथा भुगतान प्राप्ति रसीद को सम्बन्धित सब वाउचर में चिपकाना। 17. अवशेष भुगतान को कैश बुक में देयकों के अनुसार दर्ज करना तथा विभाग कैश की जिम्मेदारी पूर्ण निर्वहन/रख-रखाव करना। 18. विभिन्न विभागों/व्यक्तियों से प्राप्त होने वाली धनराशि की प्राप्ति रसीदें सम्बन्धित को भिजवाना। 19. आहरण वितरण अधिकारी, प्रभारी (लेखा) व उच्च अधिकारियों के निर्देशानुसार कार्य का निर्वहन।
29.	वरिष्ठ सर्वेक्षक/सर्वेक्षक	–	खनिज अन्वेषण में सर्वेक्षण, मैपिंग, कन्टूरिंग आदि से सम्बन्धित कार्य एंव खनन क्षेत्रों के सीमाबन्धन से सम्बन्धित सर्वेक्षण कार्य।
30.	प्रधान सहायक	–	पटल से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सम्पादन एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करना।
31.	वरिष्ठ खनिज पर्यवेक्षक	–	खनिज चैक पोस्टों एंव तहसील स्तरों पर अवैध खनिज परिवहन वाहनों की चैकिंग का कार्य एंव खनिज पर्यवेक्षकों के कार्यों का अनुश्रवण से सम्बन्धित कार्य।
32.	वरिष्ठ सहायक	–	पटल से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सम्पादन एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करना।
33.	वैयक्तिक सहायक	–	महानिदेशक, निदेशक, अपर निदेशक एंव संयुक्त निदेशक पदाधिकारियों के साथ तैनात रहते हुए वैयक्तिक सहायक से सम्बन्धित कार्यों का निर्वहन करना।
34.	खनिज पर्यवेक्षक/सहायक खनिज पर्यवेक्षक	–	खनिज चैक पोस्टों एंव तहसील स्तरों पर अवैध खनिज परिवहन वाहनों की चैकिंग का कार्य।
35.	कनिष्ट सहायक	–	पटल से सम्बन्धित समस्त कार्यों का सम्पादन एवं उच्चाधिकारियों द्वारा समय-समय पर सौंपे गये कार्यों का सम्पादन करना।
36.	सहायक भण्डारी	–	मुख्यालय भण्डार से सम्बन्धित अभिलेखों एंव सामग्री का रख-रखाव आदि से सम्बन्धित कार्य।
37.	चालक	–	वाहन संचालन से सम्बन्धित कार्य।
38.	प्रयोगशाला परिचर	–	प्रयोगशाला से सम्बन्धित उपकरणों का रखरखाव।
39.	सैक्शन कटर	–	क्षेत्रीय निरीक्षण के उपरान्त प्राप्त नमूनों की कटिंग का कार्य।
40.	चपरासी	–	1. विभिन्न अनुभागों से सम्बद्ध अनुसेवकों द्वारा कार्यालय कार्य समय से पूर्व साफ-सफाई व डस्टिंग का कार्य। 2. कार्यालय से सम्बद्ध अनुसेवकों द्वारा कार्यालय की डाक (पत्रावलियां/पंजिकायें इत्यादि) सक्षम अधिकारी के पास पहुंचाना तथा लाना। 3. चर्चा कक्षों से सम्बद्ध अनुसेवकों द्वारा प्रातः काल चर्चा कक्षों को खोलना डस्टिंग करना।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

			4. कोषागार के सम्बद्ध अनुसेवक द्वारा इकाई के विभिन्न देयकों को कोषागार में प्रस्तुत करना व पारित देयकों के भुगतान चैकों को लाकर इकाई लेखा लिपिक को सौंपे जाने का कार्य। 5. डिस्पैच/इण्डेक्स से सम्बन्ध अनुसेवक द्वारा डाक द्वारा भेजे जाने वाले लिफाफों को चिपकानें का कार्य, रजिस्ट्री/स्पीड पोस्ट/कोरियर करने हेतु पोस्ट ऑफिस व स्थानीय अधिकृत फर्म के पास जाना। 6. अन्य प्रकार की प्राप्त डाक को इण्डेक्स उपरान्त सम्बन्धित अधिकारियों/अनुभागों में बांटने का कार्य।
41.	चैनमैन	–	मृत संवर्ग।
42.	फिल्ड परिचर	–	जनपद में तैनात अधिकारियों के साथ अवैध खनन, परिवहन के निरीक्षण में सहयोग हेतु।
43.	चौकीदार	–	मृत संवर्ग।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है:–

(The Procedure followed in the decision making process, including channels of supervision and accountability)

उत्तराखण्ड राज्य गठनोपरान्त पर्वतीय राज्य की जटिल भूगर्भीय संरचना एवं राज्य में उपलब्ध खनिज भण्डारों की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुये उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 2584/औ0वि0/147–ख/2001 दिनांक 03 दिसम्बर 2001 के द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय का गठन किया गया था। निदेशालय का मुख्य कार्य/दायित्व प्रदेश मे उपलब्ध खनिजों का अन्वेषण कर उनका गुणात्मक व परिमाणात्मक रूप से विकास कर खनिज क्षेत्रों को चिन्हित करना, नियमानुसार वैज्ञानिक विधियों द्वारा खनिजों के विदोहन हेतु तकनीकी परामर्श लेना तथा प्रदेश में चल रही विभिन्न प्रकार की निर्माणकारी योजनाओं में भूमि की उपयुक्तता एवं स्थायित्व सम्बन्धी परामर्श देना। उपरोक्त कार्यों के सुचारू रूप से संचालन हेतु विभाग में विभिन्न विधाओं के अन्तर्गत कार्मिकों की संरचना उनके उत्तरदायित्व इत्यादि से सम्बन्धित विवरण निम्नवत् है:–

क्र.सं.	कार्य का विवरण	समय, जिसके अन्तर्गत कार्य किया जाना है।	कार्य के लिए उत्तरदायी व्यक्ति
1	खनिज अन्वेषण– इसके अन्तर्गत खनिज बाहुल्य क्षेत्रों को चिन्हित करना तथा उनका रासायनिक विश्लेषण कर गुणात्मक/परिमाणात्मक रूप से आंकलन करना है।	प्रत्येक वर्ष में माह अक्टूबर से 30 जून तक क्षेत्रीय अन्वेषण कार्य चलता रहता है।	1. भूविज्ञान संवर्ग – भूवैज्ञानिक, सहायक भूवैज्ञानिक, सहायक भू–भौतिकीविद् एंव प्राविधिक सहायक (भूविज्ञान) एवं अधीनस्थ स्टाफ। 2. रसायन संवर्ग– रसायनज्ञ, सहायक रसायनज्ञ, भू–रसायनज्ञ, प्राविधिक सहायक (रसायन) एंव अधीनस्थ स्टाफ। 3. सर्वेक्षण संवर्ग– सर्वेक्षक अधिकारी, वरिष्ठ सर्वेक्षक, सर्वेक्षक एवं अधीनस्थ स्टाफ। 4. मानचित्रण संवर्ग– वरिष्ठ मानचित्रकार, मानचित्रकार एवं अधीनस्थ स्टाफ।
2	मुख्य खनिजों एवं उपखनिजों के खनन के मामलों में तकनीकी परामर्श/मार्ग दर्शन देना। उपरोक्त खनिजों के परिहार हेतु तकनीकी बिन्दुओं पर आख्या देना राज्य मे खनिजों से प्राप्त होने वाले राजस्व में वृद्धि हेतु सुझाव देना इत्यादि।	प्रत्येक माह में निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्य का निष्पादन समयान्तर्गत किया जाना।	निदेशक/अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक के मार्गदर्शन मे उपनिदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी, खान अधिकारी, खान निरीक्षक तथा अधीनस्थ स्टाफ के सहयोग से।
3	भू–अभियान्त्रिकीय कार्य– इसके अन्तर्गत विभिन्न सरकारी/गैर सरकारी निर्माण कार्यो में भूमि की उपयुक्तता तथा स्थायित्व से सम्बन्धित तकनीकी परामर्श देना।	प्रत्येक माह मे निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप कार्यो का निष्पादन समयान्तर्गत किया जाना।	उपनिदेशक/भूवैज्ञानिक, सहायक भूवैज्ञानिक एंव अधीनस्थ स्टाफ के सहयोग से।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

4	तकनीकी कार्यो से सम्बन्धित पत्रावलियों के रख–रखाव कार्यालय अधिष्ठान/लेखा/भण्डार से सम्बन्धित लिपिक संवर्गीय कार्य।	माह में अधिक से अधिक संदर्भित मामलों का कार्य निस्तारण समयान्तर्गत किया जाना है।	लेखाकार, सहायक लेखाकार, आहरण वितरण अधिकारी एंव अधीनस्थ स्टाफ के सहयोग से।
5	सेवा पुस्तिका का पूरा किया जाना और सत्यापन।	प्रत्येक वर्ष के जून माह तक।	1. निदेशालय से सम्बन्धित अधिष्ठान के सम्बन्धित वरिष्ठ सहायक/प्रधान सहायक। 2. कार्यालयाध्यक्ष।
6	सेवा पुस्तिका का पुनर्विलोकन और कमी यदि कोई हो, का पूरा किया जाना।	सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व	1. सम्बन्धित अधिष्ठान के प्रधान सहायक। 2. कार्यालयाध्यक्ष/अपर विभागाध्यक्ष।
7	अदेयता प्रमाण पत्र का (सेवा अवधि में) जारी किया जाना।	सेवानिवृत्ति के दो माह पूर्व	कार्यालयाध्यक्ष/अपर विभागाध्यक्ष।
8	(क)–सेवानिवृत्त होने वाले पदधारी को पेंशन प्रपत्र प्रदान किया जाना (ख)– पेंशन प्रपत्र का भरा जाना।	सेवा निवृत्ति के आठ माह पूर्व सेवानिवृत्ति के छः माह पूर्व।	1. कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष। 2. सेवानिवृत्त होने वाला सरकारी सेवक।
9	मृत्यु के मामलों में प्रपत्र का भरा जाना	मृत्यु के एक माह पश्चात	1. पेंशन लिपिक 2. सम्बन्धित वरिष्ठ वरिष्ठ सहायक/प्रधान सहायक। 3. कार्यालयाध्यक्ष/
10	नियुक्ति प्राधिकारी से जांच किया जाना कि क्या कोई विभागीय कार्यवाही विचाराधीन है या नहीं।	सेवानिवृत्ति के आठ माह पूर्व	1. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी 2. कार्यालयाध्यक्ष
11	नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा उपर्युक्त सूचना की पूर्ति	सेवानिवृत्ति के सात माह पूर्व	नियुक्ति प्राधिकारी
12	पेंशन प्रपत्रों का अग्रसारणः (क) सेवा पेंशन (ख) पारिवारिक पेंशन	सेवानिवृत्ति के पांच माह पूर्व मृत्यु के एक माह पश्चात	कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष
13	पेंशन प्रपत्रों आदि का परीक्षण और समीक्षा और यदि उसमें कोई आपत्ति या कमी पायी जाये तो, उसे दूर करने के लिये विभाग को लिखा जाना।	पेंशन प्रपत्रों की प्राप्ति के दो माह	पेंशन भुगतान आदेश जारी करने वाला अधिकारी
14	आपत्तियों का निराकरण	आपत्ति प्राप्त करने के पश्चात एक मास	विभागीय कार्यालयाध्यक्ष।
15	पेंशन मामले का पुनः निरीक्षण/निस्तारण करना।	शुद्ध किये गये प्रपत्रों के प्राप्त होने के पश्चात एक माह	कार्यालयाध्यक्ष।
16	रोके गये उपादान के निर्मुक्त किये जाने के लिये प्रपत्र–2 पर अदेयता प्रमाण पत्र का अग्रसारण	सेवा निवृत्ति के दो माह पश्चात	पेंशन भुगतान जारी करने वाला अधिकारी
17	(पेंशन/उपादान/पेंशन सारांशीकरण) के भुगतान आदेश का जारी किया जाना	सेवानिवृत्ति की संध्या तक	पेंशन भुगतान जारी करने वाला अधिकारी
18	अनन्तिम पेंशन की स्वीकृति (यदि अन्तिम रूप दिया जाना सम्भव न हो))	सेवानिवृत्ति/मृत्यु के एक माह पश्चात	1. पेंशन लिपिक(वरिष्ठ सहायक/प्रधान सहायक) 2. कार्यालयाध्यक्ष/अपर विभागाध्यक्ष

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड ,देहरादून

19	अनन्तिम पेंशन का भुगतान	प्रत्येक मास के सातवें दिन तक	आहरण वितरण अधिकारी।
20	पेंशन का भुगतान के दिनांक से एक माह	भुगतान आदेश प्राप्त होने के दिनांक से एक माह	कोषाधिकारी/कार्य के लिए उत्तरदायी व्यक्ति
21	सेवानिवृत्ति कार्यकारी के विरूद्ध विभागीय कार्यवाही	सिविल सर्विस रेगुलेशन के अनुच्छेद 351–क में दी गयी प्रकिया के अनुसर और सरकारी आदेश के प्राप्त होने के तीन मास भीतर निर्णय का लिया जाना यदि विभागीय कार्यवाही सेवानिवृत्ति के पूर्व संस्थित की गयी हो तो इसे सेवानिवृत्त के दिनांक से छः माह के भीतर पूरा कर दिया जाना चाहिए।	सरकार का प्रशासनिक विभाग/नियुक्त प्राधिकारी
22	पेंशन से सम्बन्धित मामलों के सम्बन्ध में दायर विधिक वादों का प्रतिवाद	मा0 न्यायालय के आदेश के अनुसार या रिट याचिका की प्राप्ति के दिनांक से दो माह के भीतर जो भी पहले हो, प्रतिशपथ–पत्र प्रस्तुत होना चाहिए।	सम्बन्धित विभाग का प्रतिवादी

सामान्य कार्यालय प्रबन्धन के पर्यवेक्षण एवं उत्तर दायित्व के माध्यम

1. कार्यालय में नियुक्त वर्ग "घ" के कर्मचारी कार्यालय खुलने के नियत समय से आधा घन्टे पूर्व आकर कार्यालय खोलना, मेज, कुर्सी, अलमारी, कम्प्यूटर कक्ष आदि की साफ सफाई करना तथा यदि कोई आपत्ति जनक सामग्री या विशेष घटना हो तब तत्काल सम्बन्धित अधिकारी को सूचित करना/कार्यालय में पीने के पानी की व्यवस्था करना, बर्तनों को साफ करना तथा सुरक्षित रखना। बैठक आदि के अवसर पर चाय/जलपान को व्यवस्थित ढंग से वितरित करना। कार्यालय कार्यकाल में सम्बन्धित अधिकारियों के आदेश पर गन्तव्य स्थल पर डाक या अन्य शासकीय सामग्री का समय से प्राप्त कराकर रसीद प्राप्त करना। आवश्यकतानुसार सम्बन्धित अधिकारियों क अन्यत्र कार्यालय या आवास पर डाक पैड, फाईल बैग आदि सुरक्षित ढंग से ले आना, ले जाना। अधिकारी के आदेशानुसार महत्वपूर्ण बैठकों या विशिष्ट स्थिति में अनाधिकृत व्यक्ति का ऐसे अधिकारी के कार्यालय कक्ष में अधिकारी के आदेश से जाने की अनुमति प्रदान करना नागरिकों एवं आगन्तुकों से अतिथ्य भाव से मधुर व्यवहार करना। वर्ग "घ" कर्मचारी जो हाई स्कूल या इन्टर पास है एवं वर्ग "ग" में प्रोन्नति के पात्र है, उन्हें बिना सरकारी कार्य में कमी लाये कार्यालय के कार्य संचालन तथा कम्प्यूटर/टाइप राइटर पर टाइप करना सीखना चाहिये ताकि अवसर मिलने पर पात्रता के आधार पर प्रोन्नति प्राप्त कर सके। कार्यालय के वर्ग "ग" के कर्मचारी यथा आवश्यक सहयोग देंगे, की अपेक्षा निदेशक द्वारा की जाती है। कार्यालय का सामान सुरक्षित रहे एवं कार्यालय को बन्द करना। कार्यालय के तालों की एक चाबी कार्यालयाध्यक्ष के पास रखना ताकि विशेष स्थिति में इसका प्रयोग किया जा सके।
2. निदेशालय में डाक प्रापत करने हेतु अधिकृत कर्मचारी का दायित्व है कि डाक प्राप्त कर उसे कार्यालयाध्यक्ष या उनकी अनुपस्थिति में निदेशक के समक्ष प्रस्तुत करने तथा उस दिये गये

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

निर्देशों के अनुसार निर्धारित पंजी पर पूर्ण विवरण लिखकर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को प्राप्त कराना अनिवार्य है।

3. वरिष्ठ लिपिक/सहायक/वरिष्ठ डाटा एन्ट्री आपरेटर आदि को जो अभिलेख परीक्षण के लिये दिया जाये उन्हें स्थापित नियमावली, प्रकिया, शासनादेश या परिपत्र के प्राविधानों के अनुसार शत प्रतिशत परीक्षण करना। इस कार्य के लिये इकाई में रखे गये आदेशों, निर्देशों की गार्ड फाईल का निरन्तर अन्तराल पर अध्ययन करना। यथा सम्भव आवश्यक आदेशों की एक छायाप्रति अपने पास भी रखना। परीक्षणोपरान्त ऐसे अभिलेखों का यथा आवश्यक कम्प्यूटर पर डाटा एन्ट्री करना तथा सावधानी की दृष्टि से पुनः परिवेक्षण हेतु अपने उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत करना चाहिये। ऐसे अधिकारी जब पूर्णतया संतुष्ट हो जाये कि उस अभिलेख प्राधिकार पत्र/पत्र आदि में गणितीय, भाषा, नियम एवं प्रकिया की कोई त्रुटि नही है तब यथा आवश्यक अभिलेख संयुक्त निदेशक या अन्य उच्च स्तर के अधिकारियों के अनुमोदन एवं हस्ताक्षर हेतु प्रस्तुत किया जाना चाहिये। अभिलेख पर अन्तिम रूप से अन्तिम आदेश पारित करने या हस्ताक्षर करने वाले प्राधिकारी सामान्य सोच से परीक्षण की अनुमोदन या आवश्यक टिप्पणी लिखता है। अन्तिम अनुमोदन/आदेश के बाद जिस माध्यम से अभिलेख आता है उसी माध्यम से वापस इस आशय से किया जाता है ताकि उक्त आदेश से सम्बन्धित स्तर से अवगत हो जाए। अन्ततः अभिलेख/पत्र अन्तिम गन्तव्य को भेजा या डिस्पैच किया जाता है।

4. विभागाध्यक्ष एवं कार्यालयध्यक्ष की शक्तियां एवं कर्तव्य स्पष्ट है। शासन द्वारा नियुक्त आहरण वितरण अधिकारी अर्थात निदेशक का यह दायित्व है कि जो भी प्रस्ताव पत्रावली पर अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाय, उसका विधिवत परीक्षण कर लें ताकि कोई अनियमितता न हो क्योंकि नियमानुसार अन्तिम दायित्व शासन द्वारा नियुक्त डी.डी.ओ. का ही है। वित्तीय नियम संग्रह खण्ड पांच भाग–1 के प्रस्तर–47 (जी) के नीचे लिखी टिप्पणी के कम में प्रतिनिधानित अधिकार के अधिकारी का दायित्व है कि निर्धारित प्रपत्रों पर ही बिल पंजी, नियंत्रक पंजी, देयक, देयक पंजी (प्रपत्र 11–सी) कोषागार पंजी (ट्रेजरी प्रपत्र–1) कैश बुक आदि का सही रख–रखाव करें। यदि किसी मद में कोई सरकारी धनराशि प्राप्त की जाय तब अनिवार्य रूप प्रपत्र–385 पर प्राप्ति रसीद दी जाय। आयकर सम्बन्धी सभी विवरण समय से ही सही प्रारूप में तैयार कर सम्बन्धित व्यक्ति/प्राधिकारी को उपलब्ध कराया जाय, जिस कर्मचारी द्वारा ऐसे अभिलेख तैयार किये जाय व उसमें किसी भी प्रकार से बदलाव, साफ करने या किसी प्रकार के फेरे बदल या गायब करने की कार्यवाही नही करेंगे। यदि कही कोई परिवर्तन आवश्यक हो तब उस अधिकारी से ऐसे परिवर्तन प्रमाणित कराना अनिवार्य है।

5. निर्णय सम्बन्धी प्रकरण में अधीनस्थ कर्मचारी किसी को गलत सूचना या आश्वासन नही दे सकता अपितु सम्बन्धित अधिकारी को सन्दर्भित या उसके पास भेजना चाहिए।

6. जब तक विभागाध्यक्ष मुख्यालय से बाहर न हो या ऐसा करना लोकहित में अनिवार्य न हो नीतिगत प्रकरणों, विधान सभा प्रश्न, लेखा परीक्षा के ड्राफ्ट पैरा, शासन को भेजे जाने वाले प्रस्ताव, नियुक्ति, प्रोन्नति स्थानान्तरण, अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रदेश या देश से बाहर जाने की अनुमति जैसे महत्वपूर्ण विषयों को कार्यालयाध्यक्ष या उनके अनुपस्थिति में अन्य अधिकारी निदेशक के हस्ताक्षर से ही कार्यवाही की जाती है।

7. कार्यालय में रखी जाने वाली पंजिकायें विशेषकर भण्डार पंजिका, सम्पत्ति पंजिका, स्टेशनरी पंजिका, आकस्मिक/अर्जित/चिकित्सा अवकाश पंजी, सेवा पुस्तिका, भविष्य निधि पासबुक तथा तद्सम्बन्धी लेजर, सामूहिक बीमा के भुगतान सम्बन्धी पंजी जैसे अभिलेखों पर निदेशक, जिसके पास कार्यालयाध्यक्ष का प्रभार है, सीधा नियंत्रण रखने का दायित्व है।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

8. निदेशक/अपर निदेशक के नियंत्रणाधीन परन्तु उनके वैयक्तिक सहायक की अभिरक्षा में अधिकारियों/कर्मचारियों की वार्षिक प्रविष्टि की फाइल रखी जाती है। वैयक्तिक सहायक का निजी दायित्व है कि व निदेशक के निर्देशों को यथावत सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को सूचित करें तथा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को जब तक किसी विरोधाभाष का आभाष न हो वैयक्तिक सहायक द्वारा दी गयी सूचना अपर निदेशक का निर्देश/आदेश मानना चाहिये और यदि कही संशय हो तो निदेशक से सीधे वार्ता करना चाहिए। वैयक्तिक सहायक का दायित्व है कि यदि किसी स्थान से निदेशक हेतु कोई सूचना प्राप्त हो तब उसे दूरभाष या लिखकर अवगत कराना चाहिए। यदि निदेशक किसी कारण उपलब्ध न हो सके तब तत्कालिक महत्व की सूचना अपर निदेशक को दिया जाना चाहिए।

9. अधीनस्थ कार्यालय में कर्मचारी बिना कार्यालयाध्यक्ष/विभागाध्यक्ष की अनुमति के निजी प्रकरण में शासन स्तर से पत्राचार नही कर सकते तथा बिना पूर्व अनुमति के शासन के अधिकारी या विभागाध्यक्ष से मिलने हेतु यात्रा नही कर सकते। सेवा सम्बन्धी तथा ट्रान्सफर के प्रकरण में प्रतिवेदन उचित माध्यम से प्रस्तुत करने तथा राजनैतिक दबाव डालना आचार संहिता का उल्लघंन एवं अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ करने का आधार माना जा सकता है।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड ,देहरादून

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, "खनिज भवन" भोपालपानी (बड़ासी), थानों रोड–रायपुर, देहरादून के अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये स्वयं द्वारा स्थापित मापमान

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून के विभागीय संरचना का शासनादेश संख्या 2584/औ.वि./147–ख, दिनांक 3 दिसम्बर, 2001 के द्वारा जारी किया गया था, जिसमें तकनीकी व गैर तकनीकी पद समाविष्ट है। विभाग का मुख्य कार्य प्रदेश में खनिजों का अन्वेषण कर खनिज क्षेत्रों को चिन्हित करना उनका मूल्यांकन करना तथा पर्यावरणीय सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये खनिजों के विदोहन हेतु तकनीकी परामर्श देना है। उपरोक्त कार्यों के निष्पादन हेतु प्रत्येक वर्ष के माह जून/जुलाई में राज्य भूवैज्ञानिक कार्यकारी परिषद की बैठक आयोजित की जाती है, जिसमें वर्ष भर मे सम्पादित कराये जाने वाले खनिजों के अन्वेषण कार्यों को अन्तिम रूप दिया जाता है।

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के मुख्य कार्य

1. **खनिज अन्वेषण** : खनिज अन्वेषण कार्यक्रम के अन्तर्गत अधात्विक/धात्विक खनिजों एवं इमारती पत्थरों के सर्वेक्षण कार्य किये जाते है। प्रश्नगत क्षेत्र का पता लगाने हेतु रिकगनएशन सर्वेक्षण का कार्य किया जाता है। इसके उपरान्त आशातित परिणाम की प्राप्ति होने पर क्षेत्र में विस्तृत मानचित्र तैयार करना, भूमिगत खनिज आंकलन हेतु वेधन कार्य, ट्रैंचिंग–पिटिंग कार्य से सतह के निकट खनिज का आकार व प्रकार अवलोकित किया जाता है। तदोपरान्त समस्त परिक्षणों से प्राप्त आंकड़ों के आधार पर खनिज के भण्डार का आंकलन गुणवत्ता एवं वाणिज्यिक उपयोग को निर्धारित किया जाता है।

2. **भू–अभियांत्रिकीय कार्य** : भू–अभियांत्रिकीय कार्यों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य की जटिल भूगर्भीय संरचना को दृष्टिगत रखते हुये भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का अध्ययन एवं पर्यावरण को दृष्टिगत रखते हुये राज्य के विकास में निर्माण कार्यों से सम्बन्धित योजनाओं में भूमि की उपयुक्तता एवं स्थायित्व परीक्षण हेतु स्थलों का भूगर्भीय अवलोकन किया जाता है।

3. **खनिज प्रशासनः** खनिज प्रशासन के अन्तर्गत मुख्य खनिज एवं उपखनिज क्षेत्रों की तकनीकी जांच आख्या जिला प्रशासन एवं शासन को उपलब्ध करायी जाती है, जिसके आधार पर मुख्य खनिज एवं उपखनिज के पट्टे/परमिट/प्रा.ला. शासन द्वारा परिहार स्वीकृत किये जाते है। खनिज परिहार धारक वैज्ञानिक व पर्यावरण की सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये खनन कार्य किया जाता है।

खनन प्रशासन के अन्तर्गत उपखनिज क्षेत्रों तकनीकी जांच आख्या जिला प्रशासन एवं शासन को उपलब्ध करायी जाती है, जिसके आधार पर शासन के द्वारा पर्यावरणीय अनुमति के उपरान्त खनन पट्टे स्वीकृत किये जाते है।

राजस्व का विगत वर्षो का राजस्व प्राप्ति का ब्यौरा

वर्ष	कुल राजस्व (करोड रू. में)
2010–11	90.24
2011–12	112.33
2012–13	109.90
2013–14	248.00
2014–15	224.31
2015–16	261.60
2016–17	335.27
2017–18	440.00
2018–19	467.30
2019–20	396.83
2020–21	506.24
2021–22	575.01
2022–23	472.25
2023–24	645.42
2024–25	1040.57

उपलब्ध खनिजों के भण्डारण/निकासी व विदोहन हेतु केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित अधिनियम/शासनादेश, जिसमें नीति के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार के प्रपत्र इत्यादित समाविष्ट है, जिनका विवरण निम्नवत् है–

1. खान अधिनियम– 1952
2. खान एवं खनिज विकास विनियम अधिनियम– 1957
3. खनन परिहार नियमावली 1960 (MCR 1960)
4. The Metalliferous Mines Regulation, 1961
5. उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति–2021 (समय–समय पर यथा संशोधित)
6. उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति–2021 (समय–समय पर यथा संशोधित)
7. उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली–2021 (समय–समय पर यथा संशोधित)
8. उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2023 (समय–समय पर यथा संशोधित)

समस्त नियमावलियां विभागीय वेबसाईट www.dgm.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी उपरोक्त अधिनियमों, नियमावलियों एवं नीतियों के अन्तर्गत उपखनिजों के खनन पट्टे, अनुज्ञा पत्र, भण्डारण, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडी मिक्स प्लान्ट स्वीकृत किया जाता है। उपखनिज बालू, बजरी बोल्डर के खनन पट्टे अनुमोदित खनन योजनानुसार एवं अन्य दी गयी शर्तों के अनुसार कार्य करते है, के नियंत्रण हेतु समुचित कार्यवाही निदेशालय द्वारा की जाती हैं, इसके अतिरिक्त राजस्व के आंकडों का संकलन भी किया जाता है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली 2023 (समय समय पर यथा संशोधित) के अन्तर्गत खनन पट्टे, अनुज्ञा, उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल, स्क्रीनिंग प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडी मिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अन्तर्गत स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल, स्क्रीनिंग प्लान्ट, आदि तथा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 (समय–समय पर यथा संशोधित) के अन्तर्गत रिटेल भण्डारण अनुज्ञा स्वीकृत किये जाने का प्राविधान है।

उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली 2023 के नियम 6 के अन्तर्गत प्रपत्र एम0एम0–1 पर उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर के खनन पट्टे, एम0एम0–01 (क) नवीनीकरण तथा नियम–51 के अन्तर्गत प्रपत्र एमएम0–8 पर खनन अनुज्ञा हेतु आवेदन किया जाता है तथा उक्त नियमावली के अध्याय–04 के अन्तर्गत राजस्व नदीतल क्षेत्रों में खनन पट्टे ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से आवंटित किये जाते है।

उक्त आवेदन पत्रों पर सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक जांचोपरान्त संस्तुति सहित प्रस्ताव महानिदेशक/निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को प्रेषित की जाती है तथा निदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के द्वारा संस्तुति प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया जाता है तथा शासन के द्वारा आवेदन पत्रों का निस्तारण किया जाता है। तथा ई–निविदा सह ई–नीलामी के तहत निदेशालय से आशय पत्र पर स्वीकृत उपखनिज लॉटों में वांछित अनुमतियाँ प्राप्त होने के उपरान्त निदेशालय की संस्तुति पर शासन द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जाता है।

विन्दु 3.2 वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में उपखनिजों का चुगान कार्य/खनन कार्य क्रमशः स्वस्थानें किस्म की चट्टानों तथा नदी तल क्षेत्रों में किया जाता है।

मुख्य खनिज मैग्नेसाईट, लाईम स्टोन एवं गौण खनिज सोपस्टोन से विगत वर्ष 2024–25 तक का राजस्व प्राप्ति का ब्यौरा :

क्रम सं0	वर्ष	खनिज मैगनेसाईट/लाईमस्टोन/सोपस्टोन से प्राप्त रायल्टी (रू0 करोड में)			योग (रू0 करोड में)
		मैग्नेसाईट	लाईमस्टोन (निम्न ग्रेड)	सोपस्टोन	
1	2024–25	0.393	–	13.4245981	13.8175981

उपलब्ध खनिजों के भण्डारण/निकासी व विदोहन हेतु केन्द्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित अधिनियम/शासनादेश, जिसमें नीति के क्रियान्वयन हेतु विभिन्न प्रकार के प्रपत्र इत्यादित समाविष्ट है, जिनका विवरण निम्नवत् है–

1. खान एवं खनिज विकास विनियम अधिनियम–1957
2. खनन (खनिज अंतर्वस्तु का साक्ष्य) नियम–2015
3. खनिज (परमाणु और हाईड्रोकार्बन उर्जा खनिजों से भिन्न रियात नियम–2016)
4. नीलामी नियम–2016
5. गैर–विशिष्ट सर्वेक्षण अनुज्ञा पत्र–नियम–2015
6. उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली–2001 (समय–समय पर यथा संशोधित)
7. खान मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या का.आ. 423(अ) दिनांक 10 फरवरी, 2015 द्वारा घोषित गौण खनिज हेतु उत्तराखण्ड राज्य सरकार द्वारा प्रख्यापित गौण खनिज नीति–2015 (समय–समय पर यथा संशोधित)

समस्त नियमावलियां विभागीय वेबसाईट www.dgm.uk.gov.in पर उपलब्ध है।

वर्तमान में उत्तराखण्ड राज्य में मुख्य खनिज लाईमस्टोन/मैग्नेसाईट तथा गौण खनिज (उपखनिज) सोपस्टोन का खनन कार्य किया जाता है।

वर्तमन मे उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्गत मुख्य खनिज, लाईम स्टोन, मैग्नेसाईट, सिलिका सैण्ड व गौण खनिज सोपस्टोन के खनन पट्टों का जनपदवार विवरण निम्नवत है:–

क्र0 सं0	जनपद का नाम	सोपस्टोन		मैग्नेसाईट		सिलिका सैण्ड		लाईम स्टोन	
		संख्या	क्षेत्रफल (है0 में)	संख्या	क्षेत्रफल (है0 में)	संख्या	क्षेत्रफल (है0 में)	संख्या	क्षेत्रफल (है0 में)
1.	बागेश्वर	138	1281.15	01	165.08				
2.	पिथौरागढ	26	148.075	02	8.425	–			
3.	अल्मोडा	01	1.40	–	–	–	–	–	–
4.	चमोली	12	117.551	–	–				
5.	टिहरी गढवाल	–	–	–	–	–		03	14.165
6.	उत्तरकाशी					01	35.944		
	योग	177	1548.176	03	173.505	01	35.944	03	14.165

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड "खनिज भवन" भोपालपानी (बडासी), थानों रोड–रायपुर, देहरादून के अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिये प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख –

(The rules, Regulation, instructions, Manuals and records, held by it or under its control or used by its employees for discharging its functions)

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा समय–समय पर जो अधिनियम नियमावली मैनुअल, वित्तीय नियम संग्रह आदि प्रयोग में उनकी सूची तथा संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है–

क्रम संख्या	नियम का विवरण	उपयोगिता सम्बन्धी विवरण
1.	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–1	वित्तीय अधिकारों का प्रतिनिधायन से सम्बन्धित नियमावली।
2.	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–2 भाग 2 से 4	सेवा सम्बन्धित नियमावली जैसे वेतन निर्धारण, अवकाश से सम्बन्धित नियमावली।
3.	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–3	यात्रा भत्ता नियमावली।
4.	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5, भाग–1	लेखा नियमावली, लेखा से सम्बन्धित प्रपत्रों का प्रारुप।
5.	वित्तीय नियम संग्रह खण्ड–5 भाग–2	कोषागार के वित्तीय व्यवहरण के सभी अंश जो डी.डी.ओ. से जुडा हुआ है।
6.	कोषागार मैनुअल	कोषागार के वित्तीय व्यवहरण के सभी अंश जो डी.डी.ओ. से जुडा हुआ है।
7.	बजट मैनुअल	बजट प्रकिया से सम्बन्धित कार्य हेतु।
8.	यू.पी. रिटायरमेन्ट्स बेनिफिट्स रूल्स–1965	सेवानिवृत्तिक लाभ की प्रकिया।
9.	उत्तराखण्ड राज्य पेंशन के मामलों की प्रस्तुतीकरण निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन नियमावली 2003	उत्तर प्रदेश के कम में उत्तराखण्ड द्वारा अपने नियम का प्रख्यापन।
10.	मैनुअल ऑफ गर्वनमेंट आर्डस	शासनादेशों का संग्रह।
11.	सी.एस.आर.	इस पुस्तक का पेंशन सम्बन्धी अंश।
12.	उत्तरांचल कर्मचारी आचरण नियमावली 2002	उत्तर प्रदेश के प्राविधानोंको उत्तरांचल द्वारा अपने नियमों का प्रख्यापन।
13.	उत्तरांचल विभागीय पदोन्नति समिति का गठन (लोक सेवा आयोग की परिधि के बाहर के पदो के लिये नियमावली 2002)	लोक सेवा आयोग से भिन्न चयन प्रक्रिया पर मार्गदर्शन। वर्तमान मे उत्तर प्रदेश सेवा नियमावली लागू है।
14.	उत्तरांचल सरकारी सेवक ज्येष्ठता	सरकारी सेवकों की वरिष्ठता सम्बन्धी मानक

	नियमावली 2002	आधार।
15.	उत्तरांचल (उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से बाहर समूह "ग" के पदो पर सीधी भर्ती नियमावली 2003)	जिन विभागों में विशिष्ट आधार पर स्वतन्त्र नियमावली अधिसूचित नही है उसके लिये चयन प्रकिया के मानक। उत्तर प्रदेश सेवा नियमावली के अनुसार सीधी भर्ती की प्रकिया।
16.	उत्तरांचल राज्य के सरकारी सेवकों की स्थायीकरण नियमावली 2002	सरकारी सेवकों के स्थायीकरण के आधार एवं स्थिति।
17.	उत्तरांचल सरकारी सेवक (प्रतिकूल वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट के विरूद्ध प्रत्योवदन और सहबद्ध मामलों का निपटारा) नियमावली 2002	प्रकिया एवं समय–सारणी, जिसके अधीन प्रतिवेदन किया जाना अनिवार्य हैं
18.	उत्तरांचल सरकारी सेवक (पदोन्नति द्वारा भर्ती के लिये मापदण्ड) नियमावली 2004	प्रोन्नति के मानक।
19.	समूह "घ" कर्मचारी सेवा नियमावली 2004	इस संवर्ग में नियुक्ति की प्रकिया।
20.	उत्तरांचल राज्य कर्मचारी सामूहिक बीमा योजना निधि नियमावली 2003	समूहिक बीमा निधि की कार्य प्रक्रिया, प्रपत्र तथा दायित्व।
21.	उत्तर प्रदेश कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि नियमावली 1985	सामान्य भविष्य निधि से सम्बन्धित प्रक्रिया, प्रपत्र दायित्व तथा सक्षम अधिकारी।
22.	उत्तर प्रदेश जिला पंचायत कर्मचारी सेवा नियमावली 1970	जिला पंचायत कर्मचारी सेवा नियमावली के अनुसार सेवाओं में प्रवेश की आयु, योग्यता, भर्ती प्रकिया, प्रोन्नति का आधार एवं संवर्ग की संरचना आदि का कार्य अंश।

टिप्पणी – उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 में इस आशय का प्राविधान किया गया है कि उत्तर प्रदेश के अधिनियम/नियम/शासनादेश/प्रक्रिया तब तक लागू रहेंगें, जब तक ऐसे अधिनियम/नियम/शासनादेश/प्रकिया उत्तराखण्ड अलग से संशोधित/प्रख्यापित नही करती है।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
''खनिज भवन, भोपालपानी, देहरादून।

ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियत्रणाधीन है, प्रवर्गो का विवरण:–

(A Statement of documents held by and under Directorate of Geology and Mining's control)

7.1– निदेशालय द्वारा धारित व नियंत्रणाधीन अभिलेखों को श्रेणी वार व्यवस्थित किया गया है, जो निम्नवत् है :

7.1.1. पत्रावलियों का विवरण:

निदेशालय में संरचनात्मक एवं कार्यात्मक दृष्टि विभिन्न अनुभाग व्यवस्थित है। इन अनुभागों द्वारा व्यवस्था के संचालन हेतु आवश्यकतानुसार पत्रावलियों का सृजन किया जाता हैं। इन अनुभागों का विवरण निम्नवत् है–

(1) स्थापना अनुभाग :

- अधिकारियों/कर्मचारियों के मध्य कार्य विभाजन।
- कर्मचारियों से सम्बन्धित व्यक्तिगत पत्रावलियां।
- अधिकारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित पत्रावलियां।
- कर्मचारियों की नियुक्ति से सम्बन्धित पत्रावलियां।
- कर्मचारियों की प्रोन्नति से सम्बन्धित पत्रावलियां।
- समयमान वेतनमान के अन्तर्गत सलेक्शन ग्रेड की पत्रावलियां।
- निदेशालय से सम्बन्धित सूचना का मासिक/त्रैमासिक सूचनाओं का प्रेक्षण।
- अधिकारियों व कर्मचारियों के समस्त प्रकार के अवकाश प्रकरण।
- अधिवर्षता आयु/सेवा निवृत्ति, पेंशन, ग्रैच्युटी व सेवा निवृत्तिक लाभों के प्रकरण।
- राजपत्रित/अराजपत्रित अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा समान्य भविष्य निर्वाह निधि से विभिन्न प्रयोजनों हेतु आवेदित अग्रिमों की स्वीकृति से सम्बन्धित।
- अधिकारियों/कर्मचारियों को स्वयं एवं परिवार के आश्रित चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति के दावों का निसतारण।
- लोक सभा/विधान सभा के तारांकित/अतारांकित प्रश्नों विषयक सूचना का प्रेषण।
- न्यायालय से सम्बन्धित वादों पर कार्यवाही।

- शासन द्वारा अनुमन्य अवकाश यात्रा की सुविधा की स्वीकृति।
- अधिकारियों/कर्मचारियों को भवन निर्माण/विस्तार वाहन, कम्प्यूटर क्रय की स्वीकृति।
- स्टाफ/कर्मचारियों की बैठकों से सम्बन्धित पत्रावली।
- शासन से विभिन्न नीतिगत व अन्य विषयों पर पत्राचार से सम्बन्धित पत्रावली।

(2) लेखा अनुभाग :

- बजट सम्बन्धी पत्रावली।
- मासिक व्यय विवरण (बी0एम0-8 व बी0एम0-13) का प्रेषण।
- विभागीय प्रभारी लेखा के स्तर से आय-व्ययक एवं लेखा सम्बन्धी त्रैमासिक सूचनाओं का प्रेषण।
- लेखा से सम्बन्धित विषय।
- निदेशालय अभिलेखों का ऑडिट।
- निदेशालय के व्यय विवरण का महालेखाकर कार्यालय से मिलान।
- अधिकारियों/कर्मचारियों के आयकर विवरण से सम्बन्धित विषय।
- अन्य पत्रावलियां आवश्यकतानुसार।

(3) स्टोर अनुभाग :

- उपभोग्य व अनुपभोग्य सामग्री के क्रय विषयक।
- समस्त प्रकार की स्टेशनरी के क्रय विषयक।
- निष्प्रोज्य सामग्री की नीलामी विषयक।
- अधिकारियों/कर्मचारियों/कार्यालय उपयोगार्थ सामग्री के वितरण विषयक।
- कार्यालय उपयोगार्थ कम्प्यूटर व सहवर्ती उपकरणों के क्रय विषयक।
- कम्प्यूटर व सहवर्ती उपकरणों के वार्षिक अनुरक्षण अनुबन्ध व रख-रखाव विषयक।
- इन्टरनेट सुविधा की स्थापना व संचालन से सम्बन्धित।
- इन्टरनेट सुविधा के वार्षिक भुगतान विषयक।
- कम्प्यूटर स्टेशनरी, सॉफ्टवेयर के क्रय विषयक।
- निदेशालय भवन के रख-रखाव विषयक।
- लघु निर्माण/अनुरक्षण/मरम्मत/रंगाई-पुताई विषयक।
- विद्युत उपभोग के देयकों के भुगतान विषयक।
- जलकर एवं जल उपभोग के देयकों के भुगतान विषयक।
- सुरक्षा व्यवस्था विषयक।
- इन्टरकॉम सुविधा/सेवा के अनुबन्ध व रख-रखाव विषयक।

(4) पुस्तकालय अनुभाग :

- पुस्तकों, जनरल्स, पीरियडिकल्स, पत्र–पत्रिकाओं की व्यवस्था / कय विषयक।
- सी.डी. / मल्टी मीडिया में उपलब्ध प्रकाशनों के कय विषयक।
- समाचार पत्रों की व्यवस्था विषयक।
- वार्षिक प्रतिवेदन के निर्धारण व प्रकाशन विषयक।
- पुस्तकालय की रद्दी की नीलामी विषयक।
- पुस्तकालय फर्नीचर, साज–सज्जा विषयक।
- पुस्तकालय की सदस्यता देने विषयक।
- पुस्तकालय के अभिलेखों के कम्प्यूटरीकरण विषयक।

(5) सूचना अनुभाग :

- लोक सूचना अधिकारी से सूचना लेने हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों की पत्रावली।
- विभागीय अपीलीय अधिकारी को प्राप्त अपील पर कार्यवाही की पत्रावली।
- राज्य सरकार से प्राप्त निर्देशों / दिशा निर्देशों की पत्रावली।
- राज्य सूचना आयोग से प्राप्त निर्देशों पर कार्यवाही की पत्रावली।
- सूचना अधिकार अधिनियम–2005 पर परामर्श विषयक पत्रावली।

(6) तकनीकी अनुभाग :

- कार्मिकों के प्रशिक्षण से सम्बन्धित पत्रावली।
- आपदा प्रबन्धन से सम्बन्धित पत्रावली।
- खनिज अन्वेषण से सम्बन्धित पत्रावली।
- सी.जी.पी.बी. की बैठक से सम्बन्धित पत्रावली।
- एस.जी.पी.बी. की बैठक से सम्बन्धित पत्रावली।

(7) खनन अनुभाग :

- मुख्य खनिजों के खनन पट्टा स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली।
- उपखनिजों के खनन पट्टों की स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली।
- अनुज्ञा पत्र स्वीकृति से सम्बन्धित पत्रावली।
- खनिज नीति से सम्बन्धित पत्रावली।
- अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण से सम्बन्धित पत्रावली।
- खनन से सम्बन्धित वादों की पत्रावलियां।

- खनन राजस्व से सम्बन्धित पत्रावली।

(8) **रसायन अनुभाग :**

- सैम्पल प्राप्ति से सम्बन्धित पत्रावली।
- मासिक प्रगति से सम्बन्धित पत्रावली।
- रसायनों के रख–रखाव से सम्बन्धित पत्रावली।
- उपकरणों से सम्बन्धित पत्रावली।

(9) **सर्वेक्षण अनुभाग :**

- सर्वेक्षणों एवं पैमाईसों से सम्बन्धित अन्य कार्यो की पत्रावली।
- सामान्य पत्राचारों से सम्बन्धित पत्रावली।

(10) **मानचित्रण अनुभाग :**

- मानचित्रों से सम्बन्धित पत्रावली।
- मानचित्रण से सम्बन्धित उपकरणों की पत्रावली।
- सामान्य पत्राचार से सम्बन्धित पत्रावली।

(11) **वेधन अनुभाग :**

- वेधन शिविरों से सम्बन्धित पत्रावली।
- निष्प्रयोज्य वेधन सामग्री से सम्बन्धित पत्रावली।
- वेधन शिविरों के चौकीदारों को रखने से सम्बन्धित पत्रावली।
- वेधन उपकरणों की सूची से सम्बन्धित पत्रावली।

7.1.2 – पंजिकाओं का विवरण :

- पंजिकाओं की पंजिका।
- उपस्थिति पंजिका।
- आकस्मिक अवकाश पंजिका।
- डाक की प्राप्ति व डाक भेजने की पंजिका।
- स्थानीय डाक वितरण की पंजिका।
- पत्रावलियों की पंजिका।
- पत्रावली इन्डेक्स पंजिका।

- भण्डार पंजिकाऐं –
    - आयोजनागत क्रय पंजिका।
    - आयोजनेत्तर क्रय पंजिका।
    - सामान्य भण्डार पंजिका।
    - अनुरक्षण सम्बन्धी पंजिका।
- अधिष्ठान आदेश पुस्तिका।
- डाक टिकटों की पंजिका।
- प्राप्त पंजीकृत/पार्सल की पंजिका।
- नष्टीकरण वाले अभिलेखों की पंजिका।
- डेड स्टाक पंजिका।
- कनज्यूमेबिल स्टाक पंजिका।
- स्टेशनरी पंजिका।
- परिसम्पत्ति (भूमि व भवन) का रजिस्टर।
- विद्युत देयकों के भुगतान की पंजिका।
- जलकर, जल उपभोग देयकों की पंजिका।
- भवन कर, सफाई कर के देयकों की पंजिका।
- टेलीफोन पंजिका।
- वाहनों की लॉग बुक।
- जमानत की पंजिका।
- शासकीय प्राप्ति रसीदों की पंजिका।
- पुस्तकों, जर्नल्स, नीरियिडिकल्स, पत्र पत्रिकाओं की परिग्रहण पंजिका।
- पुस्तक निर्गत पंजिका।
- पेंशन नियंत्रण पंजिका।
- पेंशन/ग्रेज्युटी व राशिकरण पंजिका।
- सीधी भर्ती में नियुक्ति हेतु रोस्टर पंजिका (समूह ग व घ के लिए पृथक–पृथक)
- पदोन्नति हेतु रोस्टर पंजिका
- नव नियुक्त समूह ग व घ कर्मचारियों के पी.जी.एफ. लेखा आवंटन विषयक।
- आगंतुक पंजिका।
- लेखाशीर्षक के अन्तग्रत विभिन्न मानक मदों के कन्टीजेन्ट पंजिका।
- व्यय नियंत्रक पंजिका।
- भवन निर्माण/विस्तार–मरम्मत अग्रिम की मासिक वसूली की पंजिका।
- वाहन अग्रिम की मासिक वसूली की पजिका।
- सामान्य भविष्य निधि अग्रिमों की बिल पंजिका।
- समान्य भविष्य निर्वाह निधि की लेजर पंजिका।
- समान्य भविष्य निधि ब्राडशीट (समूह घ)

- विभिन्न मानक मदों के देयकों की पंजिका (11 सी)
- कैश बुक पंजिका।
- यात्रा भत्ता अग्रिमों की पंजिका।
- यात्रा भत्ता देयकों की पंजिका।
- विभिन्न प्रकार के शासनादेशों/आदेशों की पृथक-पृथक गार्ड फाईल्स पंजिका।
- अधिकारियों/कर्मचारियों की मासिक वेतन पंजिका।

7.1.3– सूचना का अधिकार से सम्बन्धित पंजिकाऐं :–

- सूचना प्राप्त करने हेतु आगन्तुकों की पंजिका।
- आवेदन पत्रों की प्रविष्टि की पंजिका।
- आवेदन पत्र शुल्क व अभिलेख देने हेतु प्राप्त शुल्क/फीस की पंजिका।
- आवेदन पत्र तथा अपील के सम्बन्ध में पत्राचार (डाक प्रेषण पंजिका)
- प्रकाशनों/सामग्री के वितरण/उपयोग से सम्बन्धित पंजिका।

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड,
"खनिज भवन" भोपालपानी (बडासी), थानों रोड–रायपुर, देहरादून।

किसी व्यवस्था की विशिष्ठियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिये विद्यमान है, से सम्बन्धित सूचना संलग्न है।

क्रम संख्या–121 (ग)

पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

देहरादून, बृहस्पतिवार, 11 नवम्बर, 2021 ई0

कार्तिक 20, 1943 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग–1

संख्या 1875/VII-A-1/2021–03(101)/2021

देहरादून, 11 नवम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

प0 आ0–89

राज्यपाल, खनिज विकास एवं राजस्व हित में उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2020 को अधिक्रमित करते हुए निम्नवत् उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है, अर्थात :–

उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

परिभाषाएं 2. (1) इस नीति में जब तक कि सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–

(क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;

(ख) "कलक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भार साधक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ग) "सरकार" से उत्तराखण्ड की राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(घ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है;

(ङ) "स्थानीय अधिकारी" से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी अभिप्रेत है, जो क्रमशः नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का वैध रूप से हकदार है या जिसका नियंत्रण या प्रबन्ध सरकार द्वारा उनको न्यस्त किया गया है;

(च) "व्यक्ति" से भारतीय आयकर अधिनियम में यथापरिभाषित व्यक्ति अभिप्रेत है;

(छ) "पर्वतीय क्षेत्र" के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग को छोड़कर), अल्मोड़ा, चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग को छोड़कर) नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) सम्मिलित है;

(ज) "मैदानी क्षेत्र" के अन्तर्गत जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर का सम्पूर्ण भाग, सम्मिलित है;

(झ) "खनन सत्र" से 01 अक्टूबर से आगामी 30 जून तक अभिप्रेत है;

(ञ) "आबादी" से आवेदन की तिथि को कम से कम 10 परिवारों का समूह निवासरत हो, आबादी क्षेत्र अभिप्रेत है;

(ट) "On site स्थापना" से नदी/गधेरे में स्वीकृत चुगान पट्टा/अनुज्ञा क्षेत्र में मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापना अभिप्रेत है;

(ठ) "नदी" (Perennial river) से ऐसे नदी, जिसमें जल का प्रवाह वर्षभर निरन्तर होता रहता अभिप्रेत है;

(ड) बरसाती नदी, नाला एवं गधेरा (Non-Perennial river) से ऐसे जल प्रवाह से है, जिसमें जल का प्रवाह केवल वर्षाकाल में ही होता है, अभिप्रेत है;

(ढ) "नियमावली" से यथाप्रचलित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली अभिप्रेत है;

(ण) "नदी के किनारे" से उच्चतम बाढ़ स्तर 'Highest flood level' अभिप्रेत है;

(त) "महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" से जिला स्तर पर तैनात सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी अथवा उपनिदेशक, भूवैज्ञानिक/ज्येष्ठ खान अधिकारी से अभिप्रेत है;

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

(थ) "महानिदेशक" से महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(द) "निदेशक" से निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ध) "राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना" से राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग निर्माण, जल विद्युत परियोजना, रेलवे परियोजना आदि अभिप्रेत है;

(न) "राष्ट्रीय/राज्य महत्व की कार्यदायी संस्था" से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बी.आर.ओ., रेल विकास निगम लि., टी.एच.डी.सी.लि., एन.एच.पी.सी., एन.टी.पी.सी., सी.पी.डब्लू.डी., पी.डब्लू.डी., यू.जे.वी.एन.एल. आदि अभिप्रेत है;

(2) "शब्द और पद", जो इस नीति में परिभाषित नहीं है, परन्तु उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिये उक्त अधिनियम में दिये गये हैं। ऐसा कोई भी स्पष्टीकरण यदि आवश्यक हो, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा जारी किया जायेगा।

अध्याय–1. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट

स्टोन क्रेशर प्लांट/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु आवेदन

3. (i)-स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन **अनुसूची–1** में उल्लिखित प्रपत्र पर वर्णित अभिलेखों एवं आवेदन शुल्क सहित छः प्रतियों में जिला स्तरीय भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र का परीक्षण करने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।

आवेदन में प्लान्ट एवं भण्डारण हेतु अधिकृत परामर्शदाता (Authorized consultant)/आर्किटेक्ट द्वारा प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जिसमें निर्धारित मानकों के अनुरूप समस्त आवश्यक संरचनाओं यथा हरित पट्टिका, आवागमन हेतु मार्ग, कार्यालय, धर्मकांटा व भण्डारण स्थल आदि के क्षेत्रफल को मानचित्र पर प्रदर्शित किया गया हो, मानचित्र सहित प्रस्तुत की जायेगी। भण्डारण हेतु मानचित्र पर प्रदर्शित क्षेत्रफल में एक समय मे भण्डारित की जाने वाली अधिकतम उपखनिज की मात्रा का भी उल्लेख किया जायेगा।

आवेदन शुल्क

4. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना हेतु आवेदन शुल्क के रूप में रू. 10,000/–विभागीय लेखाशीर्षक में जमा किया जाना अनिवार्य होगा, जो अप्रतिदेय (Non-Refundable) होगा।

आवेदन पर आपत्तियों का निराकरण

5. आवेदन प्राप्त होने पर 03 दिन के अन्तर्गत महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्थानीय समाचार पत्र, जिसका क्षेत्र में व्यापक प्रचार–प्रसार हो, में विज्ञप्ति जन–साधारण की सूचना हेतु आवेदक के व्यय पर प्रकाशित की जायेगी। विज्ञप्ति में आवेदक इकाई का नाम, पता व स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित होगा। विज्ञप्ति पर यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि, जो प्रस्तावित प्लान्ट के निर्धारित दूरी के अन्तर्गत आते हों तथा प्रस्तावित इकाई की स्थापना/संचालन से प्रभावित हों अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिन के अन्तर्गत जिलाधिकारी एवं महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी, को लिखित रूप में प्रस्तुत करेंगे।

यदि विज्ञप्ति के सापेक्ष आपत्ति प्राप्त होती है तो प्रस्तर–6 में गठित समिति के अध्यक्ष द्वारा प्रभावित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए संस्तुति सहित आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी। जिलाधिकारी द्वारा आवेदन पत्र मय गठित समिति की आख्या संस्तुति सहित महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को अग्रसारित किया जायेगा।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

स्थल चयन समिति

6. आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आवेदित स्थल की जांच निम्न समिति द्वारा की जायेगी :–

1.	संबंधित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो कि सहायक वन संरक्षक से अन्यून स्तर का न हो	सदस्य
3.	महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य सचिव

चयन समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण की वीडियोग्राफी भी आवश्यक रूप से की जायेगी तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप **अनुसूची–2** में वीडियोग्राफी सहित जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

दूरी के मानक

7. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट के आवेदन हेतु प्रस्तावित प्लांट के डक स्थल से क्षैतिज दूरी के निम्नलिखित मानक होंगे :–

क्र०सं०	स्थान	स्टोन क्रेशर	स्क्रीनिंग प्लांट
1.	सरकारी वन	100 मीटर	100 मीटर
2.	(क) जिला हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से	01 किलोमीटर	01 किलोमीटर
	(ख) अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी (Perennial river) के किनारे से	500 मी०	500 मी०
	(ग) Non-Perennial river (बर्साती नदी, नाला, गधेरा) के किनारे से	50 मी०	50 मी०
3.	सार्वजनिक धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि)	300 मीटर	300 मीटर
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि	300 मीटर	300 मीटर
5	आबादी से दूरी	300 मीटर	300 मीटर

टिप्पणी :–

(1) पर्वतीय क्षेत्र में स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लाट की स्थापना हेतु Non-Perennial river के किनारे से 25 मीटर, नदी (Perennial river) से दूरी 50 मीटर तथा सरकारी वन से दूरी 25 मीटर होगी। शेष दूरी के मानक मैदानी क्षेत्र के मानकों के समान होंगे।

(2) गठित समिति द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या में प्रस्तावित प्लांट के डक स्थल से निर्धारित क्षैतिज दूरी के मानकों के सापेक्ष मौके पर प्लांट की वास्तविक दूरी का उल्लेख किया जायेगा।

(3) आबादि से 300 मी0 के अन्तर्गत स्थित परिवारों/भूस्वामियों की एन0ओ0सी0/अनापत्ति अपरिहार्य होगी।

(4) आवेदन के उपरान्त यदि कोई धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च आदि), स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि एवं आवासीय भवन एवं परिवार का एक मकान/एक से अधिक परिवार का मकान आदि का निर्माण कराया जाता है, तो उनके द्वारा की गयी आपत्ति मान्य नहीं होगी और प्लान्ट के नवीनीकरण/स्वीकृति में भी कोई व्यवधान नहीं माना जायेगा।

पर्यावरणीय मानक

8. (1) स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की अनुज्ञा के उपरान्त उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) तथा प्लान्ट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त किया जाना अपरिहार्य होगा।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

(2) पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना सं0–55 दिनांक 09 जून 2021, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु संरक्षण अधिनियम, 1981, जल संरक्षण अधिनियम,1974 एवं संगत नियमावलियों तथा मा0 न्यायालयों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

प्लांट हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल

9. इस नीति के प्रख्यापन के उपरान्त आवेदित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल, जो एक संहत खण्ड में हो, निम्नवत् होगा :–

(क) मैदानी क्षेत्र हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल:– 0.75 है0 ।

(ख) पर्वतीय क्षेत्र हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल:– 0.10 है0 ।

(ग) प्लांट हेतु आवेदित क्षेत्र के सम्बन्ध में प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार, प्लांट, हरित पट्टिका, धर्मकांटा, ऑफिस एवं वाहन के आवागमन हेतु मार्ग के क्षेत्रफल को छोड़ने के पश्चात् अवशेष क्षेत्र में भण्डारण की मात्रा का निर्धारण उपलब्ध/आवेदित क्षेत्रफल के अनुसार किया जायेगा।

(घ) प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार आवेदित भण्डारण स्थल में एक समय में प्लांट की वार्षिक क्रशिंग क्षमता की 1.5 गुना से अधिक की मात्रा का भण्डारण नहीं कर सकेगा।

(ड) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की वार्षिक क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता (टन में):– प्लांट की क्षमता (टन/घंटा) x स्टोन क्रेशर प्लांट/स्क्रीनिंग प्लांट संचालन की अवधि औसतन 10घंटा प्रतिदिन x 360 दिन।

(च) कच्चा माल (आर0बी0एम0) एवं पक्का माल का भण्डारण औसतन 05 मीटर की ऊंचाई तक।

कच्चे माल की आपूर्ति एवं उत्पादित माल का विक्रय

10. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट संचालकों द्वारा क्रय किये जाने वाले कच्चे माल के स्रोत को **नोटराईज्ड** शपथ–पत्र के माध्यम से सूचित किया जायेगा।

उत्पादित माल का विक्रय विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल के माध्यम से किया जाना अनिवार्य होगा।

प्लांट संचालक को उत्पादित माल के विक्रय की गयी मात्रा पर निर्धारित पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क जमा किया जाना आवश्यक होगा।

स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की क्षमता

11. (1) स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट की क्षमता टन प्रति घंटा में आवेदक द्वारा शपथ–पत्र पर घोषित की जायेगी।

(2) क्षमता का परीक्षण/प्रमाणीकरण निम्न विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जायेगा :–

क– महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी

ख– विद्युत वितरण निगम का जिला स्तरीय अधिकारी

ग–लोक निर्माण विभाग या अन्य अभियांत्रिकी विभाग का यांत्रिक अभियन्ता (Mechanical Engineer)

समिति द्वारा प्लांट का संचालन कर प्लांट की क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता का सत्यापन कर रिपोर्ट जिलाधिकारी के माध्यम से महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म को प्रस्तुत की जायेगी तथा महानिदेशक द्वारा तद्नुसार प्लांट की क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता का निर्धारण किया जायेगा।

विशेषज्ञ समिति, प्रत्येक दो वर्ष में या शिकायत प्राप्त होने या प्लांट स्वामी के अनुरोध पर, प्लांट की क्रशिंग/स्क्रीनिंग की क्षमता का परीक्षण कर आख्या जिलाधिकारी के माध्यम से महानिदेशक को उपलब्ध करायेगी।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

अनुज्ञा शुल्क

12. स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु अनुज्ञा शुल्क निम्नवत् होगा :–

क्र० सं०	संयत्र	पर्वतीय क्षेत्र हेतु अनुज्ञा शुल्क	मैदानी क्षेत्र हेतु अनुज्ञा शुल्क
1	स्टोन क्रेशर	रू0 10.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)	रू0 20.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)
		रू0 1.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	रू0 2.00 लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)
2	स्क्रीनिंग प्लान्ट	रू0 2.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)	रू0 4.00 लाख (क्षमता 100 टन प्रतिघंटा तक)
		रू0 25,000.00 (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रतिघण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)	रू0 1.00लाख (प्रत्येक 100 अतिरिक्त टन प्रति घण्टा अथवा उसके भाग पर अतिरिक्त)

अनुज्ञा शुल्क इकाई की स्वीकृति के उपरान्त ई–रवन्ना जारी होने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना आवश्यक होगा।

अनुज्ञा स्वीकृति

13. (1) जिलाधिकारी एवं महानिदेशक की संस्तुति पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं उपखनिज भण्डारण हेतु अनुज्ञा 10 वर्ष की अवधि हेतु शासन द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

(2) शासन द्वारा निजी नाप भूमि में व्यवसायिक प्रयोजन हेतु स्थापित होने वाले स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट तथा भण्डारण स्थल की स्वीकृति सक्षम स्तर से निर्गत होने के उपरान्त जिलाधिकारी एवं महानिदेशक को प्रेषित की जायेगी। ऐसी अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त तथा स्थल पर प्लान्ट के स्थापना के उपरान्त उसका उपयोग प्रारम्भ होने पर उत्तर–प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 (उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त और समय–समय पर यथासंशोधित) की धारा 143 के अधीन सम्बन्धित उपजिलाधिकारी द्वारा इसे स्वतः दर्ज किया जायेगा।

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा देने हेतु शर्तें

14. प्लान्ट संचालन हेतु निम्न शर्तों का अनुपालन किया जाना होगा :–

(1) अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त 02 वर्ष के भीतर प्लान्ट की स्थापना/संचालित किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में प्लान्ट अनुज्ञा निरस्त कर दी जायेगी।

(2) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण कराया जाना आवश्यक होगा।

(3) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।

(4) प्लान्ट के सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था की जानी आवश्यक होगी।

(5) प्लान्ट के चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टी, जो न्यूनतम तीन परतों में हो, का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयत्र चालू करने के 06 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।

(6) प्लान्ट में छेड़छाड़ विरोधी (Tamper Proof) इलैक्ट्रानिक मीटर लगाया जाना अपरिहार्य होगा। इलैक्ट्रानिक मीटर को प्रतिदिन प्रारम्भ (Start) और बन्द (Close) किया जायेगा तथा इसकी मीटर रीडिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा अभिलिखित की जायेगी।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

(7) समस्त वित्तीय लेखे दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली (Double Entry Accounting System) के अनुसार रखे जाने अनिवार्य होंगे।

(8) खनिजों का रू. 2.00 लाख से अधिक धनराशि का क्रय एवं विक्रय की कार्यवाही चैक/बैंक ड्राफ्ट/आर०टी०जी०एस० के माध्यम से ही किया जायेगा तथा तत्संबंधी अभिलेखों को संरक्षित किया जायेगा।

(9) प्लान्ट के प्रवेश व निकासी गेटों पर सी०सी०टी०वी० स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा और रिकार्डिंग को संरक्षित रखा जायेगा। औचक निरीक्षण के समय सक्षम अधिकारी द्वारा रिकार्डिंग मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यदि निरीक्षण के दौरान सी०सी०टी०वी० बन्द पाया जाता है या उपलब्ध करायी गयी सी.सी.टी.वी. रिकॉर्डिंग में कोई गड़बड़ी पायी जाती है, तो जिला स्तरीय खान अधिकारी द्वारा प्लांट स्वामी के ऊपर ₹ 250.00 प्रति मिनट की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जिसे प्लांट स्वामी द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।

विनियमितीकरण 15. (1) पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी, जिन्होंने अपने प्लांटों की क्षमता टन प्रतिघंटा में घोषित नहीं किया है अथवा विनियमितीकरण नहीं हुआ है, को इस नीति की घोषणा के 06 माह के भीतर अपने प्लांटों की क्षमता टन प्रति घन्टा के अनुसार घोषित करना आवश्यक होगा।

घोषित प्लांट की क्षमता के अनुसार प्लांट स्वामी द्वारा विनियमितीकरण हेतु आवेदन निर्धारित विनियमितीकरण शुल्क के साथ महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। प्रस्ताव का परीक्षणोपरान्त विनियमितीकरण जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक द्वारा किया जायेगा।

विनियमितीकरण शुल्क नीति में वर्णित अनुज्ञा शुल्क का 50 प्रतिशत होगा, जिसका 01 प्रतिशत विनियमितीकरण हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय तथा शेष 99 प्रतिशत शासन द्वारा विनियमितीकरण आदेश जारी के उपरान्त तथा ई–रवन्ना पोर्टल में अपलोड किये जाने से पूर्व निर्धारित लेखाशीर्षक–0853 अलौह धातु खनन एवं धातुकर्म उद्योग में जमा करना होगा। निदेशालय द्वारा विनियमितीकरण आदेश जारी होने के उपरान्त यदि प्लांट स्वामी द्वारा विनियमितीकरण शुल्क की अवशेष 99 प्रतिशत धनराशि 01 माह के अन्तर्गत जमा नहीं करायी जाती है तो प्लांट का ई–रवन्ना पोर्टल बंद कर दिया जायेगा।

नीति की घोषणा के 06 माह बाद **ई–प्रपत्र "जे"** केवल विनियमित प्लान्ट को ही जारी किये जायेंगे।

नवीनीकरण 16. स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की अनुज्ञा का नवीनीकरण निम्नवत् किया जायेगा :–

(1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण के नवीनीकरण हेतु आवेदन निर्धारित प्रपत्र **अनुसूची–3** में वर्णित अभिलेखों सहित किया जायेगा।

(2) नवीनीकरण प्रस्ताव/आवेदन का स्थलीय निरीक्षण महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी एवं पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की संयुक्त समिति द्वारा किया जायेगा। समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण की वीडियोग्राफी सहित संस्तुति सहित आख्या **अनुसूची–4** जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी, जिसे जिलाधिकारी द्वारा संस्तुति

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड ,देहरादून

सहित आख्या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को उपलब्ध करायी जायेगी। अनुज्ञा का नवीनीकरण आदेश, जिलाधिकारी तथा महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु भण्डारण सहित स्वीकृत किया जायेगा।

(3) प्लान्ट के नवीनीकरण हेतु अनुज्ञा शुल्क नवीनीकरण की स्वीकृति होने के उपरान्त ई–रवन्ना जारी होने से पूर्व आवेदक द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना होगा, जो नीति में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा।

(4) पूर्व से स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट को इस नीति में उल्लिखित दूरी एवं क्षेत्रफल के मानकों को छोड़कर अन्य मानकों को प्रत्येक दशा में छः माह के भीतर पूर्ण करना अनिवार्य होगा।

नाम परिवर्तन/ भागीदारों के नाम परिवर्तन/ /अनुज्ञा हस्तान्तरण:

17\. (1) स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिलाधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की स्पष्ट संस्तुति पर शासन द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:–

1. स्टोन क्रेशर का नाम या भागीदरों का नाम परिवर्तन–प्रत्येक हेतु रू0 2.00लाख।
2. स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन–प्रत्येक हेतु रू0 1.00 लाख।

प्लान्ट का नये स्थान पर स्थानान्तरण

18\. पूर्व से स्वीकृत एवं स्थापित ऐसे प्लान्ट, जो वर्तमान नीति के मानक पूर्ण नहीं करते हैं या कतिपय अन्य कारणों से यदि प्लांट का स्थानान्तरण नये अन्यत्र स्थान पर करना चाहता है तथा प्रस्तावित नवीन स्थल नीति में निर्धारित क्षेत्रफल एवं दूरी के मानकों के अनुरूप है, तो प्लांट स्वामी के अनुरोध पत्र के क्रम में जिला स्तर पर गठित समिति की आख्या तथा जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर प्लांट के स्थानान्तरण हेतु अनुमति शासन द्वारा पूर्व में स्वीकृत अनुज्ञा की अवशेष अवधि हेतु प्रदान की जायेगी। इस हेतु प्लांट स्वामी को कोई शुल्क देय नहीं होगा।

अध्याय–II. मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्वीकृति एवं नवीनीकरण

आवेदन

19\. प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा निर्धारित प्रपत्र अनुसूची–5 में वर्णित अभिलेखों एवं अध्याय–2 में निर्धारित आवेदन शुल्क सहित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त आवेदन पत्र अपनी स्पष्ट संस्तुति सहित जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।

अनुज्ञा शुल्क

20\. **मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट हेतु अनुज्ञा शुल्क निम्नवत् होगा :–**

रू0 25,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा या उससे कम हेतु)
रू0 50,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा से अधिक एवं 25 टन प्रतिघंटा से कम हेतु)
रू0 1.00 लाख (क्षमता 25 से 50 टन प्रतिघंटा हेतु)
रू0 2.00 लाख (क्षमता 50 टन प्रतिघंटा से अधिक हेतु)

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

आवेदन पर आपत्तियों का निराकरण

21. मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट के संचालन से पूर्व सम्बन्धित आवेदक के द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय की विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं को आपत्ति है, तो वे अपनी आपत्ति लिखित रूप में सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला स्तरीय कार्यालय में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर दर्ज करायें। यदि विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिन के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जायेगा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है एवं तदनुसार जिलाधिकारी के द्वारा अनुमति के संबंध में गुण दोष के आधार पर निर्णय लेकर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी। यदि स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं से कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उस दशा में जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक जांच कराते हुए गुण–दोष के आधार पर प्लान्ट के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

स्थल चयन, मानक एवं अनुज्ञा स्वीकृति

22. (1) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापना के सम्बन्ध में आवेदित स्थल की जांच सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।

(2) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु राजकीय निर्माण परियोजना प्रबंधक/राजकीय कार्यदायी संस्था के द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय को खनन सत्र में क्रशड किये जाने हेतु प्रस्तावित उपखनिज के श्रोत एवं मात्रा के सम्बन्ध में लिखित रूप से सूचित किया जायेगा।

(3) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्टों पर भी धूल के उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लाटों पर लागू हैं।

(4) प्लान्ट स्थापना हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

(5) राज्य में उपखनिजों के छोटे लॉटों/पट्टों में मूल्य संवर्धन (Value addition) के उद्देश्य से खनन क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापित कर संचालन किया जायेगा।

(6) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापना एवं संचालन हेतु नदी से दूरी के मानक में शिथिलता रहेगी तथा आबादी आदि से दूरी के मानक वहीं रहेंगे, जो संबंधित क्षेत्र हेतु नीति में निर्धारित है।

(7) प्लांट संचालन तथा प्लांट के परिसर में कच्चे माल एवं तैयार माल के भण्डारण की स्वीकृति उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की संस्तुति के आधार पर अधिकतम एक वर्ष अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा साथ–साथ स्वीकृत की जायेगी।

परन्तु यह कि, मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट केवल सरकारी संस्थाओं को सरकारी निर्माण कार्यों हेतु अधिकतम 01 वर्ष की अवधि के लिये अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, स्वीकृत किये जायेंगे।

(8) पूर्व से स्थापित मोबाईल स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट पर इस नीति के विनियमितीकरण प्राविधान उपरोक्तानुसार लागू होंगे।

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

(9) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा क्रय एवं उपयोग में लाये गये मैटेरियल का लेखा–जोखा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह संबंधित खान अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

नवीनीकरण 23. (1) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय–II में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा।

(2) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनीकरण अपरिहार्य परिस्थितियों में एक वर्ष की अवधि अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।

नाम परिर्वतन/ भागीदारों के नाम परिवर्तन/ /अनुज्ञा हस्तान्तरण: 24. मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनर्स के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति, जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:– इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:–

1. मोबाईल स्टोन क्रेशर का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन – प्रत्येक हेतु रू0 50,000/–
2. मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन – प्रत्येक हेतु रू0 25,000/–

अध्याय–III. हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट

आवेदन 25. हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट के स्थापना एवं प्लान्ट में पक्के माल के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु आवेदन अनुसूची–6 में वर्णित अभिलेखों एवं शुल्क सहित संबंधित जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा।

जिला खान अधिकारी अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को स्पष्ट संस्तुति सहित अग्रसारित किया जायेगा।

अनुज्ञा शुल्क 26. अनुज्ञा शुल्क रू0 25000/–

अनुज्ञा स्वीकृति 27. 1. जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी जाँच आख्या प्राप्ति के उपरान्त प्लान्ट एवं प्लान्ट परिसर में पक्के माल के भण्डारण की स्वीकृति याचित परियोजना अवधि अथवा दो वर्ष जो भी कम हो, हेतु की जायेगी।

हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट में भण्डारण एवं सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी, जो उपजिलाधिकारी से न्यून न हो अथवा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

नवीनीकरण 28. हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय–III में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट का नवीनीकरण उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी/महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी द्वारा 02 वर्ष या याचित अवधि जो भी कम हो, के लिए की जायेगी।

अन्य शर्तें 29. (1) प्लांट की स्थापना एवं संचालन हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) एवं संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

(2) प्लान्ट को ई-रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

(3) प्लान्ट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा-निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

नाम परिर्वतन/ भागीदारों के नाम परिवर्तन/ /अनुज्ञा हस्तान्तरण: 30. हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स (आर०एम०सी०) प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति जिलाधिकारी द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:-

1. हाटमिक्स प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन – प्रत्येक हेतु रू0 50,000/–
2. रेडिमिक्स (आर०एम०सी०) प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन – प्रत्येक हेतु रू0 50,000/–

अध्याय-IV. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना एवं परिसर मे खनिज सोपस्टोन के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति व नवीनीकरण

आवेदन 31. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना एवं प्लांट परिसर मे खनिज सोपस्टोन के भण्डारण हेतु आवेदन अनुसूची-7 में उल्लिखित प्रपत्र पर आवेदन शुल्क एवं वर्णित अभिलेखों सहित पांच प्रतियों में संबंधित जिले के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।

आवेदन शुल्क 32. पल्वराईजर प्लांट हेतु आवेदन शुल्क रू0 1.00 लाख होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।

स्थल चयन समिति 33. पल्वराईजर प्लांट की स्थापना हेतु आवेदित स्थल की जाँच उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की गठित समिति के द्वारा किया जायेगा।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

अनुज्ञा देने हेतु शर्तें 34.

(क) पल्वराईजर प्लांट की स्थापना हेतु न्यूनतम 0.20 एकड़ क्षेत्रफल आवश्यक होगा।

(ख) पल्वराईजर प्लांट की स्थापना, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, नर्सिंग होम, सार्वजनिक धार्मिक स्थल से न्यूनतम 50 मीटर की दूरी पर स्थापित किया जायेगा।

(ग) पूर्व से स्थापित/संचालित पल्वराईजर प्लांट पर दूरी एवं क्षेत्रफल के मानक लागू नहीं होगें।

(घ)प्लांट की स्थापना एवं संचालन से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) एवं संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

(ङ) प्लांट स्वामी को ई–रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अपरिहार्य होगा।

अनुज्ञा स्वीकृति 35.

पल्वराईजर प्लांट की स्थापना/संचालन तथा प्लांट परिसर में खनिज सोपस्टोन, लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति गठित समिति की आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी।

पूर्व में स्थापित/संचालित ऐसे पल्वराईजर प्लान्ट, जिनके द्वारा अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गयी है, को भी इस नीति के तहत अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

पूर्व से स्थापित एवं संचालित प्लांटों पर इस नीति में निर्धारित दूरी एवं क्षेत्रफल के मानक लागू नहीं होगें।

नवीनीकरण 36.

पल्वराईजर प्लांट एवं परिसर में खनिज सोपस्टोन लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदक द्वारा प्लांट की स्वीकृत अवधि की समाप्ति से छः माह पूर्व आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क रू0 1.00 लाख का कोषागार चालान जमा के साथ आवेदन, जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा जिसे परीक्षण कर जिला खान अधिकारी अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। उप जिलाधिकारी व जिला खान अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त प्लांट एवं परिसर मे खनिज सोपस्टोन, लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञा का नवीनीकरण शासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी।

नाम परिर्वतन/ भागीदारों के नाम परिवर्तन/ /अनुज्ञा हस्तान्तरणः 37.

पल्वराईजर प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति शासन द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:–

पल्वराईजर प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन प्रत्येक हेतु –रू. 50,000/–

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

विविध 38. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांटको प्रोसेसिंग यूनिट मानते हुए उत्पादित उपखनिज एक श्रेणी में होने के कारण प्लांट संचालकों को उत्पादित/विक्रय की गयी मात्रा तथा हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट में प्रयोग हेतु क्रय किये गये उपखनिज (ग्रिट आदि) की मात्रा पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क रू0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक–0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

39. (1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट को नीति के विपरीत कार्य करने पर स्वीकृता अधिकारी द्वारा सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

(2) यदि स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्लांट की स्थापना नहीं की जाती है, तो जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा धारक को युक्ति–युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनुज्ञा निरस्त किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

(3) स्थापित एवं संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाएगा तथा अनियमितता पाये जाने पर सुसंगत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) नये प्लान्ट की स्थापना, नवीनीकरण एवं प्लान्ट के नाम/भागीदार परिवर्तन/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवश्यक खनन अदेयता प्रमाण पत्र यदि आवेदक इकाई के विरूद्ध अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन से सम्बन्धित अधिरोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में वाद/अपील विचाराधीन हैं तथा इस हेतु आवेदक/भागीदारों के द्वारा वाद/अपील में पारित अन्तिम निर्णय का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर खनन अदेयता प्रमाण पत्र महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा उक्त शर्तों के अधीन निर्गत किया जायेगा।

अध्याय–V. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं के सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों हेतु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की स्वीकृति :–

आवेदन 40. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र अनुसूची–8 में आवेदन करने पर संबंधित परियोजना अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों को परियोजना की अवधि अथवा याचित अवधि, जो भी न्यून हो, तक महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र अनुसूची–8 में आवेदन करने पर संबंधित परियोजना के सरकारी कार्यदायी संस्था अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों को परियोजना की अवधि अथवा याचित अवधि, जो भी न्यून हो, तक संबंधित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

स्थल चयन समिति 41. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों से स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु आवेदन पत्र प्राप्त होने पर आवेदित स्थल की निम्नानुसार गठित तकनीकी समिति से संयुक्त निरीक्षण आख्या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राप्त की जायेगी :–

i	महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी	संयोजक
ii	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iii	प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iv	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित वन संरक्षक स्तर का अधिकारी	सदस्य
v	संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी	सदस्य
vi	अभियन्ता (सिविल), रेल विकास निगम।	सदस्य
vii	क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।	सदस्य

उक्त तकनीकी समिति आवश्यकतानुसार विभागीय अधिकारियों एवं विशेषज्ञों को विशेष आमंत्री के रूप में आबद्ध कर सकेगी।

मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु निर्धारित प्रपत्र अनुसूची–8 में जिलाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत करने पर जिला स्तर पर गठित समिति की स्थलीय निरीक्षण कर आख्या/संस्तुति संबंधित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी।

अनुज्ञा स्वीकृति 42. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में उपरोक्तानुसार गठित समिति द्वारा स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट प्लांट तथा प्लांट परिसर में उपखनिज के भण्डारण हेतु प्रस्तावित भूमि की उपयुक्तता के सम्बन्ध में स्थलीय निरीक्षणोंपरान्त अपनी संयुक्त निरीक्षण आख्या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रेषित की जायेगी तथा महानिदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट की अनुज्ञा 05 वर्ष की अवधि अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के क्रम में जिला स्तर पर गठित समिति की स्थलीय निरीक्षण कर आख्या/संस्तुति के आधार पर 01 वर्ष की अवधि अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, अनुज्ञा संबंधित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा परियोजनाओं के विभिन्न टनलों/निर्माण स्थलों से निकलने वाले उपखनिज Muck में से उपयोगार्थ उपखनिज (Usable material) की मात्रा उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियमानुसार निर्गत स्वीकृति एवं रिवर ट्रेनिंग के अन्तर्गत प्राप्त अनुज्ञप्ति में स्वीकृत मात्रा) को स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट में उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत (Source of Raw Material) के रूप में मान्य होगा।

मानक एवं अन्य शर्तें - 43. (1) हॉट मिक्स प्लांट एवं रेडिमिक्स प्लांट हेतु राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्वीकृत स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांटों से तैयार माल स्रोत (Source of Material) के रूप में मान्य होगा।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों द्वारा स्वीकृत प्लांटों का पंजीकरण विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल पर कराया जाना अनिवार्य होगा।

(2) वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्गत अधिसूचना दिनांक 09 जून 2021, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु संरक्षण अधिनियम, 1981, जल संरक्षण अधिनियम-1974 एवं संगत नियमावलियों तथा मा0 न्यायालयों, केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/दिशा निर्देशों का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा।

(3) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट संयत्र (Equipment) को परिसर की चाहरदीवारी/कवर्ड फेसिंग (Boundary wall)/Covered Fencing) के अन्दर स्थापित करेगा।

(4) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण किया जाना होगा, जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी0 ऊंची होगी, जिससे धूल कण आदि परिसर से बाहर न आएं।

कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक होने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी पर ₹ दो लाख तक का अर्थ दण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित खनिज लेखा शीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(5) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट को कवर्ड शैड (Covered shed) के अन्दर स्थापित करना होगा। धूल जनित बिन्दुओं पर फब्बारे (Water sprinklers) लगाने होंगे।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

(6) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के करने होंगे।

(7) संचालक द्वारा सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था करनी होगी, जिससे कि धूल हवा में न उड़ें।

(8) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टी, जो न्यूनतम तीन परतों में हो, का विकास कर उनको संरक्षित करना होगा। यह कार्यवाही अनुज्ञा प्राप्त करने के साथ ही प्रारम्भ करनी होगी तथा यह प्रक्रिया संयत्र चालू करने के 06 माह की अवधि के भीतर पूर्ण कर ली जायेगी।

(9) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लांट स्थापित करने हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।

(10) सम्पूर्ण क्रशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार फव्वारे (Water sprinklers) की स्थापना की जाय, जिससे धूल कणों का विसर्जन कम से कम हो।

(11) फव्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की जाये ताकि फव्वारों में आवश्यकतानुसार जल-दाब बना रहे।

(12) कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित किया जाये, जिसकी आई०डी फैन के माध्यम से स्क्रबिंग की जाय। स्क्रबिंग में प्रयुक्त जल को सेटलिंग टैंक के माध्यम से रिसाईकिल किया जाये।

(13) स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वीकृति से पूर्व उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) तथा प्लान्ट स्वीकृति के उपरान्त प्लान्ट संचालन से पूर्व संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) लिया जाना अपरिहार्य होगा।

(14) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्टों में धूल के उत्सर्जन एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों पर लागू हैं।

नीति का स्पष्टीकरण — 44. इस नीति में किये गये प्रावधान का कोई भी स्पष्टीकरण (Clarification) करने का अधिकार शासन में निहित होगा।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

अनुसूची–1

(06 प्रतियों में)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी, आवेदन प्राप्ति का दिनांक............................

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,

जिला.........................

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन नये स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुमति प्रदान की जाय।

1– स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नामः–..।

2– स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):–..........................

पता–...

मोबाईल नं0–...

ई–मेल आई0डी0–...

3– आवेदित स्थल का विवरण –

जिला................................

तहसील...........................

ग्राम....................

खसरा संख्या ....

क्षेत्रफल.................

4– प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) ....।

5– अधिकृत परामर्शदाता/आर्किटेक्ट द्वारा आवेदित स्थल (जिसमें नीति मे निर्धारित मानकों के अनुरूप समस्त आवश्यक संरचनाओं यथा हरित पट्टिका, आवागमन हेतु मार्ग, कार्यालय, धर्मकांटा व भण्डारण स्थल आदि का क्षेत्रफल मानचित्र पर प्रदर्शित हो) की प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति...।

6– प्लांट परिसर मे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में)................................ ....।

7– अनुज्ञा शुल्क का विवरण :– चालान सं0....................धनराशि....................दिनांक.................।

8–अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है....................।

9–यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता ....।

वरिष्ठ [illegible] अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

10– फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता...।

11–आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति...।

12–यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के विधिवत रजिस्ट्रेशन या पार्टनरशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति ....।

13–आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति ....।

14– आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की प्रति..................।

15– आवेदक अथवा उसके भागीदार के भूस्वामी न होने पर संबंधित स्थल के भूमिधर/भूमिधरों के साथ आवेदक का विधिवत पंजीकृत पट्टा विलेख प्लान्ट की प्रति ....।

16– स्थानीय समाचार पत्र में प्रभावित व्यक्तियों की अनापत्ति के संबंध में प्रकाशित विज्ञापन की प्रति....................।

17– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति......................।

18– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति.... ....।

19– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध मे नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ....।

20 –आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति..।

21– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर की प्रति..................................।

22– प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रमाणित प्रति..................।

23– प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा, जो कि निरन्तर संचालित रहेंगे, लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र..............।

मैं/हम एतदद्वारा घोषण करता हूँ/करते है कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही है और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक..............................

आवेदक का हस्ताक्षर।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर मे खनिज भण्डारण अनुज्ञा सम्बन्धी संयुक्त निरीक्षण आख्या का प्रारूप
(अनुसूची-2)

1. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम:-..।

2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम व पता (निजी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):-..।

3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल का विवरण -..।

ग्राम	तहसील	जिला	खसरा सं0	क्षेत्रफल
1	2	3	4	5

4. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की प्रस्तावित क्षमता (टन/प्रति घंटा)..।

5. आवेदक शुल्क का विवरण:-

चालान सं0	धनराशि	दिनांक

6. आवेदक का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र के सम्बन्ध मे टिप्पणी:-

7. आवेदक के स्थायी निवास प्रमाण पत्र के सम्बन्ध मे टिप्पणी:-

8. आवेदक के द्वारा दैनिक समाचार पत्र मे स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध मे विज्ञप्ति प्रकाशन का दिनांक...।

9. आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र मे स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की अनापत्ति के सम्बन्ध मे प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त प्राप्त आपत्ति का विवरण एवं निस्तारण सम्बन्धी आख्या:-

10. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल के संयुक्त निरीक्षण का दिनांक..................।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

11. प्रस्तावित संयत्र से प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ संलग्न मानचित्र के अनुसार प्लांट के डक स्थल से नीति मे निर्धारित दूरी के सापेक्ष वास्तविक दूरी:--

क्र0सं0	स्थान	नीति मे निर्धारित दूरी के मानक	मौका निरीक्षण के अनुसार वास्तविक दूरी	टिप्पणी
1.	सरकारी वन			
2.	(क) जिला हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे से			
	(ख) अन्य मैदानी क्षेत्रों हेतु नदी (Perennial river) के किनारे से			
	(ग) Non-Perennial river (बर्साती नदी, नाला, गधेरा) के किनारे से			
3.	सार्वजनिक धार्मिक स्थल (मंदिर, मस्जिद, गुरूद्वारा, चर्च आदि)			
4.	स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, अस्पताल, या नर्सिंग होम आदि			
5.	आबादी से दूरी			

12. राजस्व विभाग की आख्या :--

(क) प्लांट की स्थापना हेतु आवेदित क्षेत्र का राजस्व अभिलेखानुसार विवरण:--

क्र0सं0	ग्राम	तहसील	खाता सं0	खसरा सं0	भूमि की श्रेणी	भूस्वामी का नाम	क्षेत्रफल (है0 में)	भूमि बन्धक होने या न होने के सम्बन्ध मे टिप्पणी।
1	2	3	4	5	6	7	8	9

(ख). आवेदक अथवा उसके भागीदार के भूस्वामी न होने पर संबंधित स्थल के भूमिधर/भूमिधरों के साथ आवेदक का नोटराईज्ड शपथ पत्र-- ....।

(ग). आवेदित भूमि के बन्धक मुक्त होने के संबंध में प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र.. ....।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

(घ) प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध मे टिप्पणी:– ....।

13. वन विभाग की आख्या:–

(क) प्रस्तावित प्लांट की सरकारी वन/आरक्षित वन से दूरी:– ....।

(ख) प्रस्तावित प्लांट की नेशनल पार्क/सेंचुरी से दूरी:– ....।

(ग) प्रस्तावित प्लांट स्थल पर विद्यमान वृक्षों का प्रकार व संख्या:– ....।

(घ) प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध मे टिप्पणी:– ....।

14. भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की आख्या :–

1. (क) नीति के अध्याय–1 के बिन्दु सं0 4 के अनुसार प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का क्षेत्रफल (है0 में):–...
....

(ख) प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्लान्ट परिसर में प्रस्तावित भण्डारण क्षमता (टन में)....................।

(ग) नीति के अध्याय–1 के बिन्दु संख्या 4 (घ) के अनुसार एक समय मे भण्डारण क्षमता (टन मे)– ....।

(घ) नीति के अध्याय–1 के बिन्दु संख्या 4 (ड) के अनुसार प्लांट की वार्षिक क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता (टन में):–.........
.....।

2. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट हेतु कच्चे माल के स्रोत के सम्बन्ध मे आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के सम्बन्ध मे टिप्पणी:–...।

3 (क). आवेदक द्वारा दैनिक समाचार पत्र मे स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं की आपत्ति के सम्बन्ध मे विज्ञप्ति प्रकाशित की गयी है अथवा नहीं के सम्बन्ध मे टिप्पणी:– ....।

(ख) आवेदक द्वारा प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था द्वारा कार्यालय मे आपत्ति प्राप्त हुयी है अथवा नही, यदि आपत्ति प्राप्त हुयी है तो उस पर जन सुनवाई की गयी है अथवा नही, यदि की गई है तो जन सुनवाई का दिनांक व लिये गये निर्णय के सम्बन्ध मे टिप्पणी:– ....।

4. प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित प्लांट डक स्थल के जी0पी0एस0 कॉर्डिनेट्स.......................................।

5. प्रस्तावित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के नाम पूर्व मे स्वीकृत खनन पट्टा/भण्डारणों मे अर्थदण्ड तो आरोपित नहीं है, यदि है तो पूर्ण विवरण :– ....।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

6. प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध मे टिप्पणी-- ....।

7. प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध मे टिप्पणी:– ....।

8. अन्य कोई अभिलेख/शर्तें, यदि आवश्यक हो:–

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना/संचालन के सम्बन्ध मे गठित समिति की संस्तुति:–

(प्रभागीय वनाधिकारी प्रतिनिधि) वन विभाग, सदस्य।	(जिला खान अधिकारी) भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, सदस्य सचिव।	(उप जिलाधिकारी) राजस्व विभाग, अध्यक्ष।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लांट परिसर मे खनिज भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप (अनुसूची–3)।

(03 प्रतियों मे)

सेवा मे,

जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला.........................

आवेदन प्राप्ति का दिनांक..........................

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन पूर्व से स्थापित/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के नवीनीकरण एवं प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण के नवीनीकरण हेतु अनुमति प्रदान की जाय।

1– स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट का नाम–..।

2– स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):–..........................

....

पता–:..
मोबाईल नं0–..
ई–मेल आई0डी0–..

3– आवेदित स्थल का विवरण –

जिला	तहसील	ग्राम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल

4– स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थापना की स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु पूर्व निर्गत आदेश की प्रति ....।

5– प्लान्ट की क्षमता (टन/घंटा), जिसके लिए नवीनीकरण किया जाना है ....।

6– अधिकृत परामर्शदाता/आर्किटेक्ट द्वारा आवेदित स्थल (जिसमें नीति से निर्धारित मानकों के अनुरूप समस्त आवश्यक संरचनाओं यथा हरित पट्टिका, आवागमन हेतु मार्ग, कार्यालय, धर्मकांटा व भण्डारण स्थल आदि का क्षेत्रफल मानचित्र पर प्रदर्शित हो) की प्रमाणित प्रोजेक्ट रिपोर्ट/मानचित्र की प्रति..।

वरिष्ठ [illegible] अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

7– प्लांट परिसर मे प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन मे).. ....।

8– आवेदन शुल्क का विवरण (मूल प्रति सहित) :–

चालान सं0	धनराशि	दिनांक

9– पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे जमा की गयी धनराशि का विवरण.................................

क्र0सं0	स्वीकृत अवधि मे प्रतिवर्ष विक्रय उपखनिज की मात्रा (टन मे)	पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे जमा धनराशि (रू0)

10–अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण का नवीनीकरण अपेक्षित है..।

11–यदि आवेदक एक व्यक्ति अथवा फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता ....।

12– आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति...।

13– यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अन्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति ....।

14– आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति ....।

15– आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों के स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति ....।

16– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के पक्ष मे जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति.. ....।

17– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति.. ....।

18– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ....।

19– अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने अथवा यदि अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन सम्बन्धी प्रकरणों मे अधिरोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध मे प्रकरण विभिन्न न्यायालयों मे विचाराधीन हो तो मा0 न्यायालय द्वारा पारित अन्तिम निर्णय आदेश की अक्षरशः अनुपालना सुनिश्चित किये जाने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ....।

20– प्रचलित नीति के अध्याय–I के बिन्दु सं0–6 व अध्याय–III के बिन्दु सं0 2 के अनुपालना के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ....।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड ,देहरादून

21– आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैंक में बंधक हो तो, संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण प्रत्र की प्रति... ....

22– प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध में अनुबन्ध की नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रति..................।

23– पूर्व से स्थापित प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा, जो कि निरन्तर संचालित रहेंगे, लगाये जाने के सम्बन्ध में प्रमाण स्वरूप फोटोग्राफ की सत्यापित प्रति.... ....।

मैं/हम एतदद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक..........................

आवेदक का हस्ताक्षर।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लांट परिसर मे खनिज भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु संयुक्त निरीक्षण आख्या का प्रारूप

(अनुसूची–4)

1. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नामः–...।

2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी का नाम व पता (निजी व्यक्ति/फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):–...।

3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल का विवरण –...।

ग्राम	तहसील	जिला	खसरा सं0	क्षेत्रफल

4. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की प्रस्तावित क्षमता (टन/प्रति घंटा)..।

5. आवेदक शुल्क का विवरणः–

चालान सं0	धनराशि	दिनांक

6. स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्थल के संयुक्त निरीक्षण का दिनांक...................।

7. भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की आख्या :–

1. (क) नीति के अध्याय–I के बिन्दु सं0 4 के अनुसार प्रस्तावित स्टोन केशर/स्क्रीनिंग प्लांट का क्षेत्रफल (है0 मे):–..

(ख) नीति के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 4 (ग) के अनुसार प्लांट परिसर मे खनिजों के भण्डारण हेतु अवशेष क्षेत्रफल(है0 मे):– ....।

(ग) प्रस्तुत प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार अवशेष आवेदित भण्डारण स्थल मे एक समय मे भण्डारण क्षमता (टन मे)..........

(घ) नीति के अध्याय– I के बिन्दु संख्या 4 (घ) के अनुसार एक समय मे भण्डारण क्षमता (टन मे)– ....।

(ङ) नीति के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 4 (ढ) के अनुसार प्लांट की वार्षिक क्रशिंग/स्क्रीनिंग क्षमता (टन मे):–..........

2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा प्लांट मे Tamper Proof इलैक्ट्रानिक मीटर लगाया गया है अथवा नही..........।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड,देहरादून

3. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के है अथवा नही.............................।

4. प्रस्तावित स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट हेतु कच्चे माल का स्रोत के सम्बन्ध में आवेदक द्वारा प्रस्तुत नोटराईज्ड शपथ पत्र के सम्बन्ध मे टिप्पणी...............................।

5. प्रस्तावित स्टोन केशर/स्क्रीनिग प्लांट स्वामी के नाम पूर्व में स्वीकृत खनन पट्टा/भण्डारणों में अर्थ दण्ड तो आरोपित नहीं है यदि है, तो पूर्ण विवरण अद्यतन स्थिति सहित..।

6. (क). स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट, यदि फर्म/कम्पनी हो तो उसके भागीदारों एवं सदस्यों का विवरण–............।

(ख). भागीदारी डीड एवं पंजीकरण दिनांक का विवरण ....।

7. प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा० न्यायालयों/मा० राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी–

8. सी०सी०टी०वी० संचालन की स्थिति के सम्बन्ध मे टिप्पणी...।

9. विगत पॉच वित्तीय वर्षों मे प्लांट स्वामी के द्वारा क्रय–विक्रय किये गये उपखनिज का विवरण–

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	प्लांट की स्वीकृत वार्षिक क्रशिंग क्षमता (टन में)	क्रय	विक्रय

10. पूर्व स्वीकृत अवधि मे जमा किये गये पर्यावरणीय एवं खनिज सम्पदा शुल्क का विवरण–

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	स्वीकृत अवधि मे प्रतिवर्ष विक्रय उपखनिज की मात्रा (टन मे)	पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे जमा धनराशि (रू0)

11. नीति के अध्याय–। के बिन्दु संख्या 7 (1) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट संयत्र (Equipment) मे चाहरदीवारी (Boundary wall) की स्थिति...............................।

12. नीति के अध्याय–। के बिन्दु संख्या 7 (2) के अनुसार स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी० ऊंची है अथवा नही के सम्बन्ध मे टिप्पणी।

13. प्लांट की स्थापना/संचालन हेतु स्थल के उपयुक्त/अनुपयुक्त होने के सम्बन्ध मे टिप्पणी–

14. प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अनुसार प्रस्तावित प्लांट क्षक स्थल के जी०पी०एस० कॉर्डिनेट्स...।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

15. अन्य कोई अभिलेख/शर्तें, यदि आवश्यक हो–

उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की आख्या:–

1. स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिंग प्लान्ट संयत्र (Equipment) मे चाहरदीवारी (Boundary wall) की स्थिति........ ....।
2. स्टोन क्रेशर प्लान्ट/स्क्रीनिगं प्लान्द इकाई के चारों तरफ चाहरदीवारी का निर्माण जो उपखनिजों के भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी0 ऊंची है अथवा नही के सम्बन्ध मे टिप्पणी।
3. पूर्व से स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट मे धूल के कणों SPM (Suspended Particulate Matter) का उत्सर्जन 600 $\mu g/m^3$ से कम है अथवा नही के सम्बन्ध मे टिप्पणी।
4. पूर्व से स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट मे Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 मे निर्धारित मानकों के अनुरूप होने अथवा न होने के सम्बन्ध मे टिप्पणी।
5. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/कन्वेयर बैल्ट आदि को covered shed के अन्दर स्थापित किया गया है अथवा नही के सम्बन्ध मे टिप्पणी......................।
6. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के अन्दर के सभी मार्ग पक्के है अथवा नही............................।
7. सम्पूर्ण क्षेत्र से धूल हटाने की व्यवस्था तथा भूमि पर पानी का नियमित छिड़काव करने की व्यवस्था की गयी है अथवा नही.................................।
8. पूर्व से स्थापित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट के चारों तरफ धूल वाले कणों को रोकने वाली प्रजातियों के पेड़ों की सघन हरित पट्टीका का निर्माण किया गया है अथवा नही के सम्बन्ध मे टिप्पणी।
9. सम्पूर्ण क्रशिंग, स्क्रीनिंग, कन्वेयर आदि धूल जनित बिन्दुओं पर आवश्यकतानुसार Water sprinklers फव्वारे की स्थापना की गयी है अथवा नही.................।
10. फव्वारों में विशिष्ट प्रकार की नोजल, पम्प तथा पाईप लाईन्स की स्थापना की गयी है अथवा नही...............।
11. कवर्ड टिन शेड में धूल कणों के निष्कासन हेतु डक्टिंग सिस्टम स्थापित की गयी है अथवा नही..............।
12. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से Consent to establish जारी किये जाने की तिथि... .... तथा अन्तिम Consent to Operate की तिथि......................।
13. प्रस्तावित प्लांट स्थल यदि मा0 न्यायालयों/मा0 राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण एवं भारत सरकार के किसी आदेशों से प्रभावित होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी:–
14. प्लांट संचालन हेतु पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत लगायी जाने वाली अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध:–

स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना/संचालन के सम्बन्ध मे गठित समिति की संस्तुति–

(क्षेत्रीय अधिकारी प्रतिनिधि)
उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण
एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

(जिला खान अधिकारी)
भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

मोबाइल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

अनुसूची–5

(03 प्रतियों में)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला.........................

आवेदन प्राप्ति का दिनांक..............................

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन मोबाइल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय।

1– मोबाइल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नाम:–..।

2– मोबाइल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):–.....
....

पता–..
मोबाईल नं0–...
ई–मेल आई0डी0–..

3– आवेदित स्थल का विवरण –
जिला...............................
तहसील............................
ग्राम....................
खसरा संख्या ....
क्षेत्रफल.....................

4– प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) ....।

5– प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में)...।

6– आवेदन शुल्क का विवरण :– चालान सं0.......................धनराशि....................दिनांक...................।

7– पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि का विवरण...................................

धनराशि..................वर्ष........................से ....तक।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

8– अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ....।

9–अवधि, जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है....................।

10–यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता ....।

11– फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता..................................।

12–आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति...................................।

13–यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म /सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रतिं या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति ....।

14–आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति ....।

15– आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की प्रति...............।

16– यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ–पत्र की प्रति ....।

17– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति..................।

18– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति.... ....।

19– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ....।

20 –आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति.....

19– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर..............................।

20– प्लांट में कच्चे माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध मे नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..................।

मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही है और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक........................

आवेदक का हस्ताक्षर।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट तथा खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

अनुसूची–6

(03 प्रतियों में)

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला......................

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.............................

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन हॉट मिक्स प्लांट व रेडिमिक्स प्लांट तथा परिसर मे खनिज भण्डारण की अनुज्ञा की स्वीकृति/नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय।

1– हॉट मिक्स प्लांट व रैडिमिक्स प्लांट का नाम:–..।

2– हॉट मिक्स प्लांट व रैडिमिक्स प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):–....................
....

पता–..
मोबाईल नं0–..
ई–मेल आई0डी0–..

3– आवेदित स्थल का विवरण –
जिला..............................
तहसील..........................
ग्राम.................
खसरा संख्या ....
क्षेत्रफल...................

4– प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) ....।

5– प्लांट परिसर मे उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन मे)..।

6– आवेदन शुल्क का विवरण :– चालान सं0.....................धनराशि...................दिनांक..................।

7– पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा की गयी धनराशि का विवरण.................................
धनराशि.................वर्ष......................से ....तक।

8–अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.....................।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

9– यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता .... ।

10– फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता................................ ।

11–आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति................................ ।

12–यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति .... ।

13–आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति .... ।

14– अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .... ।

15– आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की प्रति................ ।

16– यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ–पत्र की प्रति .... ।

17–आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति.................. ।

18– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति.... .... ।

19– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .... ।

20 –आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति.....

21– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी०एस०टी० नम्बर........................... ।

22– प्लांट में कच्चे/पक्के माल की आपूर्ति के श्रोत के संबंध नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति .... ।

मैं/हम एतद्द्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही है और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक....................

आवेदक का हस्ताक्षर।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

पल्वराईजर प्लांट की स्थापना तथा प्लांट परिसर मे खनिज सोपस्टोन भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृति/नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप।

अनुसूची–7

(06 प्रतियों मे)

सेवा मे,

जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जिला........................

आवेदन प्राप्ति का दिनांक..........................

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन पल्वराईजर प्लांट की स्थापना तथा प्लांट परिसर मे खनिज सोपस्टोन भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृति/नवीनीकरण की अनुमति प्रदान की जाय।

1– पल्वराईजर प्लांट का नाम:–..।

2– पल्वराईजर प्लांट स्वामी का नाम (फर्म/कम्पनी के भागीदारों/सदस्यों का नाम):–..
....
पता–..
मोबाईल नं0–..
ई–मेल आई0डी0–..

3– आवेदित स्थल का विवरण –
जिला...........................
तहसील.........................
ग्राम.................
खसरा संख्या ....
क्षेत्रफल..................

4– प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) ....।

5– प्लांट परिसर मे खनिज सोपस्टोन के भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन मे).......................................।

6– आवेदन शुल्क का विवरण :– चालान सं0.....................धनराशि...................दिनांक.................।

7– पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप मे जमा की गयी धनराशि का विवरण..............................
धनराशि.................वर्ष.......................से ....तक।

8– अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है.......................।

9– यदि आवेदक एक व्यक्ति है तो उसकी राष्ट्रीयता ....।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

10– फर्म/कम्पनी/समिति है तो उसके सभी भागीदारों/सदस्यों की राष्ट्रीयता..।

11– आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति..।

12– यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मेमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति ....।

13– आवेदक या आवेदक फर्म/कम्पनी के भागीदारों का अद्यतन चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति ....।

14– आवेदित क्षेत्र का साइट प्लान की स्वप्रमाणित प्रति...................।

15– प्लांट के स्थापना एवं संचालन संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति ....।

16– आवेदक/फर्म/कम्पनी के सभी भागीदारों का स्थायी निवास प्रमाण–पत्र की प्रति..................।

16– यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ–पत्र की प्रति ....

17– अवैध भण्डारण/परिवहन के सम्बन्ध में यदि कोई अर्थदण्ड अधिरोपित हो तो अधिरोपित धनराशि बकाया न होने के सम्बन्ध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ....।

18– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति.....................।

19– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति... ....।

20– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी द्वारा वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ....।

21 – आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्धसरकारी बैंक में बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति...

22– आवेदक व्यक्ति/फर्म/कम्पनी का जी0एस0टी0 नम्बर................................।

23– प्लांट में कच्चे माल (सोपस्टोन) की आपूर्ति के श्रोत के संबंध में नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति...................।

24– प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने की बाध्यता के संबंध में नोटराइज्ड शपथ पत्र.................।

मैं/हम एतदद्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक..........................

आवेदक का हस्ताक्षर।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं हेतु स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना तथा प्लांट परिसर में खनिज भण्डारण हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

(अनुसूची–8)

(03 प्रतियों में)

आवेदन प्राप्ति का दिनांक.........................

सेवा में,

महानिदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराइजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अधीन नये स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट की स्थापना एवं प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण की अनुमति प्रदान की जाय।

1– स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम:–...।

2– स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट के आवेदक का नाम:–.......
पता–...
मोबाईल नं0–...
ई–मेल आई0डी0–...

3– आवेदित स्थल का विवरण –

क्र0 सं0	ग्राम	तहसील	खाता सं0	ख0सं0	भूमि की श्रेणी	भूस्वामी का नाम	क्षेत्रफल (है० में)	भूमि बन्धक होने या न होने के सम्बन्ध में टिप्पणी

4– प्लान्ट की प्रस्तावित क्षमता (टन/घंटा) ....।

5– प्लांट परिसर मे उपखनिज भण्डारण की प्रस्तावित क्षमता (टन में)..।

6– अनुज्ञा शुल्क का विवरण :– चालान सं0....................धनराशि....................दिनांक..................।

7– अवधि जिसके लिए प्लांट एवं भण्डारण की अनुमति अपेक्षित है......................।

8– आवेदित स्थल का खसरा, खतौनी व मानचित्र की सत्यापित प्रति..।

9– यदि आवेदक फर्म/सोसाइटी या कम्पनी है तो फर्म/सोसाइटी या कम्पनी के रजिस्ट्रेशन या पार्टनशिप डीड की प्रति या मैमोरेंडम ऑफ अण्डरस्टैंडिंग की स्वप्रमाणित प्रति ....।

10– राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रैक्टर्स होने की दशा मे परियोजनाओं एवं उनके मध्य हुये अनुबन्ध की प्रति ....।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

11– आवेदित क्षेत्र का साइट प्लान की स्वप्रमाणित प्रति..............।

12– प्लांट के स्थापना एवं संचालन संबंधी प्रोजेक्ट रिपोर्ट की प्रति ....।

14– यदि आवेदक भूमिधर नहीं है, तो प्रत्येक भूमिधरों की अनापत्ति का नोटराईज्ड शपथ–पत्र की प्रति ....।

15– राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रक्टर्स होने की दशा मे खनन बकाया न होने संबंधी जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत खनन अदेयता प्रमाण पत्र की प्रति....................।

16– राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रक्टर्स होने की दशा मे आयकर बकाया न होने संबंधी प्रमाण पत्र/नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति..........।

17– राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रक्टर्स होने की दशा मे वाणिज्यकर बकाया न होने संबंध प्रमाण पत्र/ नोटराईज्ड शपथ पत्र की प्रति ....।

18– आवेदित भूमि किसी सरकारी/अर्द्धसरकारी बैंक मे बंधक हो, तो संबंधित बैंक का भारमुक्त प्रमाण पत्र की प्रति..

19– राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा अधिकृत कॉन्ट्रेक्टर्स का जी0एस0टी0 नम्बर...........................।

20– विभिन्न परियोजनाओं के निर्माण स्थलों/टनलों से निकलने वाले उपखनिज (Muck) में से उपयोगार्थ उपखनिज (Usable material) की मात्रा, जो राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं द्वारा लिखित रूप से सूचित किया जायेगा, को स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट मे उपयोग किये जाने वाले कच्चे माल की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत (Source of Raw Material) के रूप मे मान्य होगा, को प्रस्तुत किया जायेगा।

21– प्लांट परिसर में धर्मकांटा तथा प्रवेश एवं निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाये जाने की बाध्यता के संबंध मे नोटराइज्ड शपथ पत्र............।

मैं/हम एतदद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक.........................

आवेदक के हस्ताक्षर।

आज्ञा से,

आर० मीनाक्षी सुन्दरम,

सचिव।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 11 औ0वि0/533–2021–100+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 839 / VII-A-1 / 2023 / 03(101) / 2021
देहरादून, दिनांक 26 मई, 2023

कार्यालय ज्ञाप / संशोधन सं0 813 / VII-A-1 / 2023 / 03(101) / 2021, दिनांक 25 मई, 2023 द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अध्याय– I के बिन्दु संख्या 6 "स्थल चयन समिति" में किये गये आंशिक संशोधन की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव– मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी (मा0 विभागीय मंत्री जी) के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. मण्डलायुक्त, कुमांऊ / गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
5. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
6. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
10. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिनेश यादव)
अनु सचिव

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या: 813 /VII-A-1/2023/03(101) 2021
देहरादून, दिनांक: 25 मई, 2023

कार्यालय ज्ञाप/संशोधन

राज्यपाल, उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अध्याय–I के बिन्दु 6 "स्थल चयन समिति" में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

स्थल चयन समिति	6. आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आवेदित स्थल की जांच निम्न समिति द्वारा की जायेगी:–

वर्तमान प्रावधान		एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान	
1. सम्बन्धित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष	1. सम्बन्धित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी	अध्यक्ष
2.सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो कि सहायक वन संरक्षक से अन्यून स्तर का न हो	सदस्य	2. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो कि सहायक वन संरक्षक से अन्यून स्तर का न हो	सदस्य
3. महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य सचिव	3. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि	सदस्य
		4. महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी	सदस्य सचिव
चयन समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण की वीडियोग्राफी भी आवश्यक रूप से की जायेगी तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप अनुसूची–2 में वीडियोग्राफी सहित जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।		चयन समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण की वीडियोग्राफी भी आवश्यक रूप से की जायेगी तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप अनुसूची–2 में वीडियोग्राफी सहित जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।	

आज्ञा से,

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव

Letter 2023

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या: 108 /VII-A-1/2024–03(101)2021 टी0सी0
देहरादून, दिनांक: 16 जनवरी, 2024

कार्यालय ज्ञाप संख्या–492/VII-A-1/2024–03(101)2021 टी0सी0, दिनांक 16 जनवरी, 2024 द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 7 "दूरी के मानक" में किये गये अतिरिक्त प्राविधान की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव– मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी (मा0 विभागीय मंत्री जी) के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मण्डलायुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अतिरिक्त प्राविधान को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हनुमान प्रसाद तिवारी)
उप सचिव

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

Letter 2024

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास(खनन) अनुभाग–1
संख्या: ५१२ /VII-A-1/2024–03(101)/2021 टी0सी0
देहरादून: दिनांक 16 जनवरी, 2024

कार्यालय ज्ञाप

कार्यालय ज्ञाप संख्या 1875/VII-A-1/2021–03(101)/2021, दिनांक 11.11.2021 द्वारा प्रख्यापित "उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति, 2021 के अध्याय–I के बिन्दु संख्या 7 "दूरी के मानक" के पश्चात् निम्नानुसार अतिरिक्त प्राविधान 7 (क) जोड़े जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

अतिरिक्त प्राविधान

7 (क). जिन आवेदनकर्ताओं के द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2020 के प्रावधानानुसार स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना/संचालन के लिए अनुज्ञा स्वीकृति हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र मे निर्धारित शुल्क सहित सम्बन्धित जिलाधिकारी को आवेदन प्रस्तुत कर दिये जाने के उपरान्त समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर ली हो तथा जिलाधिकारी की संस्तुति सहित प्रस्ताव विभाग/शासन स्तर पर उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 के प्रख्यापन से पूर्व प्रस्तुत कर दिया हो, ऐसे स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लांट की स्थापना/संचालन के लिए अनुज्ञा स्वीकृति एवं संयत्र की स्थापना हेतु उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हाट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2020 मे निर्धारित दूरी सम्बन्धी मानक लागू होंगे"।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

Letter 2024

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या । 600 / VII-A-1 / 2024–03(101) / 2021
देहरादूनः दिनांकः 09 अक्टूबर, 2024

कार्यालय ज्ञाप संख्या 1734 / VII-A-1 / 2024–03(101) / 2021 दिनांक 08 अक्टूबर, 2024 द्वारा निर्गत 'उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोवाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा (तृतीय संशोधन) नीति, 2024 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव–मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी (मा0 विभागीय मंत्री जी) के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. आयुक्त, गढ़वाल / कुमांऊ मण्डल पौड़ी / नैनीताल।
4. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त नीति को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन का यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हनुमान प्रसाद तिवारी)
उप सचिव

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या– 1734/VII-A-1/2024–03(101)2021
देहरादून: दिनांक: 8 अक्टूबर, 2024

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, वर्ष 1957) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्कीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति, 2021 यथासंशोधित 2023 व 2024 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा (तृतीय संशोधन) नीति, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1). इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड स्टोन केशर, स्कीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन केशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लांट, पल्वराईजर प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट अनुज्ञा नीति (तृतीय संशोधन) 2024 है।
(2). यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

बिन्दु संख्या 2 के उपनियम (त) का संशोधन

2. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान बिन्दु 2 के उपबिन्दु (त) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान बिन्दु	स्तम्भ–2 प्रतिस्थापित बिन्दु
नियम 02– परिभाषाएं– (त) "महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" से जिला स्तर पर तैनात सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी अथवा उपनिदेशक, भूवैज्ञानिक /ज्येष्ठ खान अधिकारी से अभिप्रेत है।	नियम 02– परिभाषाएं– (त) "महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" से जनपद के जिला खान अधिकारी अभिप्रेत हैं।

बिन्दु 06 का संशोधन

3. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–I के बिन्दु 06 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

5 स्थल चयन समिति– आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आवेदित स्थल की जांच निम्न समिति द्वारा की जायेगी :– 1. संबंधित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी– अध्यक्ष। 2. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो कि सहायक वन संरक्षक से अन्यून स्तर का न हो– सदस्य। 3. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि– सदस्य। 4. महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी– सदस्य सचिव चयन समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण की वीडियोग्राफी भी आवश्यक रूप से की जायेगी तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या	5 स्थल चयन समिति– आवेदन प्राप्त होने के उपरान्त आवेदित स्थल की जांच निम्न समिति द्वारा की जायेगी :– 1. संबंधित क्षेत्र का उपजिलाधिकारी – अध्यक्ष। 2. सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो कि सहायक वन संरक्षक से अन्यून स्तर का न हो – सदस्य 3. उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधि – सदस्य। 4. जिला खान अधिकारी– सदस्य सचिव। 5. भूवैज्ञानिक, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग (मात्र पर्वतीय क्षेत्रों हेतु) – सदस्य।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

निर्धारित प्रारूप अनुसूची–2 में वीडियोग्राफी सहित जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

चयन समिति द्वारा स्थलीय निरीक्षण की वीडियोग्राफी भी आवश्यक रूप से की जायेगी तथा संयुक्त निरीक्षण आख्या निर्धारित प्रारूप अनुसूची–2 में वीडियोग्राफी सहित जिलाधिकारी को प्रस्तुत की जायेगी।

बिन्दु 13 में उपबिन्दु (3) का अंतःस्थापन

4. मूल नीति के अध्याय–I के बिन्दु 13 के उपबिन्दु (2) के पश्चात उपबिन्दु (3) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

13–अनुज्ञा स्वीकृतिः–

(3) यदि स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी, स्वीकृत क्षेत्रफल एवं क्षमता में विस्तार कराना चाहता है तो स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के द्वारा जिला खान अधिकारी के कार्यालय मे आवेदन मय अभिलेखों सहित प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी व सम्बन्धित तहसीलदार की संस्तुति पर स्वीकृत क्षेत्र का विस्तारीकरण महानिदेशक/निदेशक के द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा की अवशेष अवधि हेतु किया जायेगा।

बिन्दु 14 के उपबिन्दु (9) का संशोधन

5. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–II के बिन्दु 14 के उपबिन्दु (9) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

14 स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्ते :– (9). प्लान्ट के प्रवेश व निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा और रिकार्डिंग को संरक्षित रखा जायेगा। औचक निरीक्षण के समय सक्षम अधिकारी द्वारा रिकार्डिंग मांगे जाने पर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। यदि निरीक्षण के दौरान सी0सी0टी0वी0 बन्द पाया जाता है या उपलब्ध करायी गयी सी.सी.टी.वी. रिकॉर्डिंग में कोई गड़बड़ी पायी जाती है, तो जिला स्तरीय खान अधिकारी द्वारा प्लांट स्वामी के ऊपर रू0 250.00 प्रति मिनट की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जिसे प्लांट स्वामी द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।	14 स्टोन केशर/स्कीनिंग प्लांट अनुज्ञा देने हेतु शर्ते :– (9). प्लान्ट के प्रवेश व निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा और रिकार्डिंग को संरक्षित रखा जायेगा। अनुज्ञाधारक द्वारा सी0सी0टी0वी0 की रिकार्डिंग को न्यूनतम 30 दिन तक संरक्षित रखा जायेगा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा रिकॉर्डिंग मांगे जाने पर, प्रस्तुत करेगा। यदि निरीक्षण के दौरान सी0सी0टी0वी0 बन्द अथवा खराब पाया जाता है या उपलब्ध करायी गयी रिकॉर्डिंग में कोई गड़बड़ी पायी जाती है या मांगे जाने पर रिकॉर्डिंग प्रस्तुत नही की जाती है तो अनुज्ञाधारक के ऊपर रू0 पांच लाख अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

बिन्दु 15 का

6. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–II के बिन्दु संख्या 15 विनियमितीकरण के उप बिन्दु (1) को नीति से विलोपित किया जाता है।

बिन्दु 17 का संशोधन

7. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–II के बिन्दु 17 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

17–नाम परिवर्तन/भागीदारों के नाम परिवर्तन /अनुज्ञा हस्तान्तरणः– (1) स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिलाधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का	17–नाम परिवर्तन/भागीदारों के नाम परिवर्तन /अनुज्ञा हस्तान्तरणः– (1) स्टोन क्रेशर एवं स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं शुल्क सहित जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

	नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की स्पष्ट संस्तुति पर शासन द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:– 1. स्टोन क्रेशर का नाम या भागीदरों का नाम परिवर्तन–प्रत्येक हेतु रू0 2.00 लाख। 2. स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन–प्रत्येक हेतु रू0 1.00 लाख।	प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति महानिदेशक/ निदेशक के द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:– 1. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट का नाम या भागीदारों का नाम परिवर्तन– प्रत्येक हेतु रू0 2.00 लाख।

बिन्दु 20 का संशोधन

8. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–II के बिन्दु 20 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

20. अनुज्ञा शुल्क मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु अनुज्ञा शुल्क निम्नवत् होगा :– रू0 25,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा या उससे कम हेतु) रू0 50,000 हजार (क्षमता 10 टन प्रतिघंटा से अधिक एवं 25 टन प्रतिघंटा से कम हेतु) रू0 1.00 लाख (क्षमता 25 से 50 टन प्रतिघंटा हेतु) रू0 2.00 लाख (क्षमता 50 टन प्रतिघंटा से अधिक हेतु)	20. अनुज्ञा शुल्क मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट हेतु अनुज्ञा शुल्क रू0 2.00 लाख देय होगा।

बिन्दु 21 का संशोधन

9. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–II के बिन्दु 21 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

21. आवेदन पर आपत्तियों का निराकरण:– मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट के संचालन से पूर्व सम्बन्धित आवेदक के द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय की विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं को आपत्ति है, तो वे अपनी आपत्ति लिखित रूप में सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय तथा भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जिला स्तरीय कार्यालय में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर दर्ज कराये। यदि विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिन के भीतर कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होती है, तो यह मान लिया जायेगा कि किसी को कोई आपत्ति नहीं है एवं तदनुसार जिलाधिकारी के द्वारा अनुमति के संबंध में गुण दोष के आधार पर निर्णय लेकर अनुज्ञा प्रदान की जायेगी। यदि स्थानीय व्यक्तियों/संस्थाओं से कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उस दशा में जिलाधिकारी के द्वारा आवश्यक जांच कराते हुए गुण–दोष के	21. आवेदन पर आपत्तियों का निराकरण:– मोबाईल स्टोन क्रेशर/ मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट के संचालन से पूर्व सम्बन्धित आवेदक के द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में इस आशय की विज्ञप्ति प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि को आपत्ति है, तो वे अपनी आपत्ति लिखित रूप में सम्बन्धित भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के जिला स्तरीय कार्यालय में प्रकाशन की तिथि से 15 दिन के भीतर दर्ज करायें। प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/ संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है तो सम्बन्धित उप जिलाधिकारी व जिला खान अधिकारी के द्वारा आपत्तिकर्ता एवं आवेदक को एक माह के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा तथा सुनवाई के उपरान्त युक्तियुक्त निर्णय लिया जायेगा। यदि सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड ,देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

आधार पर प्लान्ट के संचालन के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।	आपत्तिकर्ता उपस्थित नही होता है तो आपत्तिकर्ता की आपत्ति निरस्त समझी जायेगी।

बिन्दु 22 का संशोधन

10. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–II के बिन्दु 22 के उपबिन्दु (6) को विलोपित करते हुए स्तम्भ–2 में दिये गये बिन्दु रख दिये जायेंगे, अर्थात्:–

22. स्थल चयन मानक एवं अनुज्ञा स्वीकृति:–	22. स्थल चयन मानक एवं अनुज्ञा स्वीकृति:–
(1) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापना के सम्बन्ध में आवेदित स्थल की जांच सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।	(1) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापना के सम्बन्ध में आवेदित स्थल की जांच सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी के द्वारा किया जायेगा।
(2) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट हेतु राजकीय निर्माण परियोजना प्रबंधक/राजकीय कार्यदायी संस्था के द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय को खनन सत्र में क्रश्ड किये जाने हेतु प्रस्तावित उपखनिज के श्रोत एवं मात्रा के सम्बन्ध में लिखित रूप से सूचित किया जायेगा।	(2) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट हेतु राजकीय निर्माण परियोजना प्रबंधक/राजकीय कार्यदायी संस्था के द्वारा सम्बन्धित जिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय को खनन सत्र में क्रश्ड किये जाने हेतु प्रस्तावित उपखनिज के श्रोत एवं मात्रा के सम्बन्ध में लिखित रूप से सूचित किया जायेगा।
(3) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्टों पर भी धूल के उत्सार्जन एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लाटों पर लागू हैं।	(3) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्टो पर भी धूल के उत्सार्जन एवं ध्वनि प्रदूषण संबंधी वही मानक लागू होंगे, जो स्टोन क्रेशर/स्कीनिंग प्लाटों पर लागू हैं।
(4) प्लान्ट स्थापना हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।	(4) प्लान्ट स्थापना हेतु पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986, वायु अधिनियम, 1981, जल अधिनियम, 1974 एवं उसके अन्तर्गत नियमित नियमों के साथ ही केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों/अधिनियम में इंगित दिशा निर्देशानुसार सभी मानक अनिवार्य रूप से पूर्ण करने होंगे।
(5) राज्य में उपखनिजों के छोटे लॉटों/पट्टों में मूल्य संवर्धन (Value addition) के उद्देश्य से खनन क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापित कर संचालन किया जायेगा।	(5) राज्य में उपखनिजों के छोटे लॉटों/पट्टों में मूल्य संवर्धन (Value addition) के उद्देश्य से खनन क्षेत्र एवं अन्य क्षेत्र में मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापित कर संचालन किया जायेगा।
(6) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापना एवं संचालन हेतु नदी से दूरी के मानक में शिथिलता रहेगी तथा आबादी आदि से दूरी के मानक वहीं रहेंगे, जो संबंधित क्षेत्र हेतु नीति में निर्धारित है।	(6) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट स्थल पर (on site) स्थापना एवं संचालन हेतु नदी से दूरी के मानक में शिथिलता रहेगी तथा आबादी आदि से दूरी के मानक वहीं रहेंगे, जो संबंधित क्षेत्र हेतु नीति में निर्धारित है।
(7) प्लांट संचालन तथा प्लांट के परिसर में कच्चे माल एवं तैयार माल के भण्डारण की स्वीकृति उपजिलाधिकारी एवं जिला खान	(7) प्लांट संचालन तथा प्लांट के परिसर में कच्चे माल एवं तैयार माल के भण्डारण की स्वीकृति उपजिलाधिकारी एवं जिला खान

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

अधिकारी की संस्तुति के आधार पर अधिकतम एक वर्ष अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा साथ-साथ स्वीकृत की जायेगी। परन्तु यह कि, मोबाईल स्टोन क्रेशर/ मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट केवल सरकारी संस्थाओं को सरकारी निर्माण कार्यों हेतु अधिकतम 01 वर्ष की अवधि के लिये अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, स्वीकृत किये जायेंगे। (8) पूर्व से स्थापित मोबाईल स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट पर इस नीति के विनियमितीकरण प्रावधान उपरोक्तानुसार लागू होंगे। (9) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा क्रश्ड एवं उपयोग में लाये गये मैटेरियल का लेखा-जोखा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह संबंधित खान अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।	अधिकारी की संस्तुति पर अधिकतम दो वर्ष अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, के लिए महानिदेशक/ निदेशक के द्वारा स्वीकृत की जायेगी। परन्तु यह कि मोबाईल स्टोन क्रेशर/ मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट केवल सरकारी संस्थाओं को सरकारी निर्माण कार्यों हेतु अधिकतम 02 वर्ष की अवधि के लिये अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, स्वीकृत किये जायेंगे। (8) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी द्वारा क्रश्ड एवं उपयोग में लाये गये मैटेरियल का लेखा-जोखा निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह संबंधित खान अधिकारी को अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किया जायेगा।

बिन्दु 23 के उपबिन्दु (2) का संशोधन

11. मूल नीति के नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान अध्याय-II के बिन्दु 23 के उपबिन्दु (2) के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

23. नवीनीकरण (2) मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनीकरण अपरिहार्य परिस्थितियो में एक वर्ष की अवधि अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, संबंधित जिलाधिकारी द्वारा किया जायेगा।	23. नवीनीकरण (2) मोबाईल स्टोन क्रेशर/ मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट का नवीनीकरण अपरिहार्य परिस्थितियो में दो वर्ष की अवधि अथवा परियोजना पूर्ण होने की तिथि, जो भी पहले हो, उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक के द्वारा किया जायेगा।

बिन्दु 25 का संशोधन

12. मूल नीति के नीचे स्तम्भ-1 में दिये गये विद्यमान अध्याय-III के बिन्दु 25 के स्थान पर स्तम्भ-2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:-

25. आवेदनः- हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट के स्थापना एवं प्लान्ट में पक्के माल के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु आवेदन अनुसूची-6 में वर्णित अभिलेखों एवं शुल्क सहित संबंधित जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को स्पष्ट संस्तुति सहित अग्रसारित किया जायेगा।	25. आवेदनः- हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट/ WMM प्लान्ट के स्थापना एवं प्लान्ट में पक्के माल के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति हेतु आवेदन अनुसूची-6 में वर्णित अभिलेखों एवं शुल्क सहित संबंधित जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराया जायेगा तथा अभिलेखों को पूर्ण कराये जाने के उपरान्त गठित समिति के द्वारा आवेदित स्थल के स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

बिन्दु 25 में उपबिन्दु (1) का अंतःस्थापन

13. मूल नीति के विद्यमान अध्याय–III के बिन्दु 25 में उप बिन्दु (1) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

25. आवेदन

(1) मैदानी क्षेत्रों मे हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना हेतु दूरी के मानक निम्नानुसार होंगे :–

1. शहर व कस्बों की सीमा से – 01 कि0मी0
2. आवासों से दूरी– 0.5 कि0मी0
3. राष्ट्रीय या राज्य राजमार्ग (मध्य रेखा से) से– 0.2 कि0मी0
4. स्कूल, शैक्षणिक संस्थान, मन्दिर से–0.5 कि0मी0
3. अस्पताल, न्यायालय तथा पर्यटन स्थल से– 01 कि0मी0

पर्वतीय क्षेत्रों मे हॉट मिक्स प्लांट की स्थापना हेतु दूरी के मानक मैदानी क्षेत्रों मे दूरी के मानकों के 50 प्रतिशत लागू होंगे।

बिन्दु 26 का संशोधन

14. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–III के बिन्दु 26 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

26. अनुज्ञा शुल्क:– अनुज्ञा शुल्क रू0 25000/–	26. अनुज्ञा शुल्क:– अनुज्ञा शुल्क रू0 1.00 लाख/–

बिन्दु 27 का संशोधन

15. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–III के बिन्दु 27 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

27. अनुज्ञा स्वीकृति:– 1. जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी जॉच आख्या प्राप्ति के उपरान्त प्लान्ट एवं प्लान्ट परिसर में पक्के माल के भण्डारण की स्वीकृति याचित परियोजना अवधि अथवा दो वर्ष जो भी कम हो, हेतु की जायेगी। हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट में भण्डारण एवं सम्बन्धित अभिलेखों का परीक्षण जिलाधिकारी अथवा जिलाधिकारी द्वारा अधिकृत अधिकारी, जो उपजिलाधिकारी से न्यून न हो अथवा महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।	27. अनुज्ञा स्वीकृति:– 1. महानिदेशक/निदेशक अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा मण्डल के संयुक्त निदेशक के द्वारा जिला खान अधिकारी व सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की जॉच आख्या प्राप्ति के उपरान्त प्लान्ट एवं प्लान्ट परिसर में पक्के माल के भण्डारण की स्वीकृति परियोजना निर्माण अवधि अथवा दो वर्ष की अवधि, जो भी न्यून हो, हेतु की जायेगी।

बिन्दु 28 का संशोधन

16. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–III के बिन्दु 28 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

28. नवीनीकरण हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय–III में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" में जमा कराया जायेगा। हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट का नवीनीकरण उप जिलाधिकारी एवं जिला खान अधिकारी/महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के	28. नवीनीकरण हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट/WMM प्लान्ट हेतु नवीनीकरण शुल्क अध्याय– III में निर्धारित अनुज्ञा शुल्क के बराबर होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक "0853 अलौह धातुकर्म एवं खनन उद्योग" मे जमा कराया जायेगा। हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट/WMM प्लान्ट का नवीनीकरण जिला खान अधिकारी एवं सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की संस्तुति सहित प्रेषित संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर महानिदेशक/निदेशक

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

आधार पर जिलाधिकारी द्वारा 02 वर्ष या याचित अवधि जो भी कम हो, के लिए की जायेगी।	द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा मण्डल के संयुक्त निदेशक के द्वारा 02 वर्ष या परियोजना निर्माण अवधि, जो भी न्यून हो, के लिए की जायेगी।

बिन्दु 29 के उपबिन्दु (1) का संशोधन

17. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–III के बिन्दु 29 के उपबिन्दु (1) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

29. अन्य शर्तें:– (1) प्लांट की स्थापना एवं संचालन हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) एवं संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।	29. अन्य शर्तें:– (1) अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त प्लांट की स्थापना एवं संचालन हेतु उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से स्थापनार्थ सहमति (Consent to establish) एवं संचालनार्थ सहमति (Consent to operate) की अनुमति प्राप्त की जानी आवश्यक होगी।

बिन्दु 31 का संशोधन

18. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–IV के बिन्दु 31 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

31. आवेदन:– पल्वराईजर प्लांट की स्थापना एवं प्लांट परिसर मे खनिज सोपस्टोन के भण्डारण हेतु आवेदन अनुसूची–7 में उल्लिखित प्रपत्र पर आवेदन शुल्क एवं वर्णित अभिलेखों सहित पांच प्रतियों में संबंधित जिले के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराने के उपरान्त जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा।	31. आवेदन:– पल्वराईजर प्लांट की स्थापना एवं प्लांट परिसर मे भण्डारण हेतु आवेदन अनुसूची–7 में उल्लिखित प्रपत्र पर आवेदन शुल्क एवं वर्णित अभिलेखों सहित पांच प्रतियों में संबंधित जिले के भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराया जायेगा तथा अभिलेखों को पूर्ण कराये जाने के उपरान्त गठित समिति के द्वारा आवेदित स्थल के स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

बिन्दु 32 का संशोधन

19. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–IV के बिन्दु 32 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

32 आवेदन शुल्क:– पल्वराईजर प्लांट हेतु आवेदन शुल्क रू0 1.00 लाख होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।	32. आवेदन शुल्क:– पल्वराईजर प्लांट हेतु आवेदन शुल्क रू0 2.00 लाख होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जाना होगा।

बिन्दु 35 का संशोधन

20. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–IV के बिन्दु 35 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

35. अनुज्ञा स्वीकृति:– पल्वराईजर प्लांट की स्थापना/संचालन तथा प्लांट परिसर में खनिज सोपस्टोन, लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति गठित समिति की आख्या के आधार	35. अनुज्ञा स्वीकृति:– पल्वराईजर प्लांट की स्थापना/संचालन तथा प्लांट परिसर में भण्डारण अनुज्ञा की स्वीकृति गठित समिति की संस्तुति पर महानिदेशक /निदेशक के द्वारा 10 वर्ष की

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय

Scanned with OKEN Scanner

पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी।

पूर्व में स्थापित/संचालित ऐसे पल्वराईजर प्लान्ट, जिनके द्वारा अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गयी है, को भी इस नीति के तहत अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

पूर्व से स्थापित एवं संचालित प्लांटों पर इस नीति में निर्धारित दूरी एवं क्षेत्रफल के मानक लागू नहीं होगें।

अवधि हेतु प्रदान की जायेगी।

पूर्व में स्थापित/संचालित ऐसे पल्वराईजर प्लान्ट, जिनके द्वारा अनुज्ञा प्राप्त नहीं की गयी है, को भी इस नीति के तहत अनुज्ञा प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

पूर्व से स्थापित एवं संचालित प्लांटों पर इस नीति में निर्धारित दूरी एवं क्षेत्रफल के मानक लागू नहीं होगें।

बिन्दु 36 का संशोधन

21. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–IV के बिन्दु 36 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

36. नवीनीकरण:–

पल्वराईजर प्लांट एवं परिसर में खनिज सोपस्टोन लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदक द्वारा प्लांट की स्वीकृत अवधि की समाप्ति से छः माह पूर्व आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क रू0 1.00 लाख का कोषागार चालान जमा के साथ आवेदन, जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा जिसे परीक्षण कर जिला खान अधिकारी अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। उप जिलाधिकारी व जिला खान अधिकारी की संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति के उपरान्त प्लांट एवं परिसर मे खनिज सोपस्टोन, लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञा का नवीनीकरण शासन द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु एक साथ प्रदान की जायेगी।

36. नवीनीकरण:–

पल्वराईजर प्लांट की स्थापना एवं प्लांट परिसर मे भण्डारण अनुज्ञा के नवीनीकरण हेतु आवेदक द्वारा प्लांट की स्वीकृत अवधि की समाप्ति से छः माह पूर्व आवेदन पत्र निर्धारित शुल्क रू0 2.00 लाख का कोषागार चालान जमा के साथ आवेदन, जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा तथा जिला खान अधिकारी द्वारा अभिलेखों का परीक्षण कर एवं अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराया जायेगा तथा अभिलेखों को पूर्ण कराये जाने के उपरान्त जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर प्लांट एवं प्लांट परिसर मे भण्डारण अनुज्ञा का नवीनीकरण महानिदेशक/ निदेशक द्वारा 10 वर्ष की अवधि हेतु प्रदान की जायेगी।

बिन्दु 37 का संशोधन

22. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–IV के बिन्दु 37 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

37. नाम परिर्वतन/भागीदारों के नाम परिवर्तन/ अनुज्ञा हस्तान्तरण:–

पल्वराईजर प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु

37. नाम परिर्वतन/भागीदारों के नाम परिवर्तन/ अनुज्ञा हस्तान्तरण:–

पल्वराईजर प्लान्ट का नाम व प्लान्ट स्वामी के नाम का परिवर्तन या पार्टनरों के नाम जोड़ने व घटाये जाने/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवेदन आवश्यक अभिलेखों एवं निम्न अनुमति शुल्क सहित जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर सम्बन्धित प्लान्ट का नाम/प्लान्ट स्वामी का नाम/पार्टनरों के नाम जोड़ने या घटाने हेतु अनुमति महानिदेशक/निदेशक के द्वारा

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

अनुमति शासन द्वारा प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:– पल्वराईजर प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन प्रत्येक हेतु– रू. 50,000/–	प्रदान की जायेगी। इस हेतु अनुमति शुल्क निम्नानुसार देय होगा:– पल्वराईजर प्लान्ट का नाम या भागीदारों के नाम का परिवर्तन प्रत्येक हेतु रू. 1.00 लाख/–

बिन्दु 38 का संशोधन

23. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–IV के बिन्दु 38 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

38. विविध:– स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांटको प्रोसेसिंग यूनिट मानते हुए उत्पादित उपखनिज एक श्रेणी में होने के कारण प्लांट संचालकों को उत्पादित/विक्रय की गयी मात्रा तथा हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट में प्रयोग हेतु क्रय किये गये उपखनिज (ग्रिट आदि) की मात्रा पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क रू0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक–0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।	38. विविध:– स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हाट मिक्स प्लान्ट/ रेडिमिक्स प्लान्ट/WMM प्लान्ट में उत्पादित/विक्रय किये गये उपखनिज की मात्रा पर पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क रू0 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक –0853 अलौह धातु कर्म एवं खनन उद्योग में अग्रिम रूप से जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

बिन्दु 39 का संशोधन

24. मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–IV के बिन्दु 39 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया बिन्दु रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

(1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा। मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट /हाट मिक्स प्लान्ट/ रेडिमिक्स प्लान्ट को नीति के विपरीत कार्य करने पर स्वीकृता अधिकारी द्वारा सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा। (2) यदि स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्लांट की स्थापना नहीं की जाती है, तो जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा धारक को युक्ति–युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए अनुज्ञा निरस्त किये जाने	(1) स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी के द्वारा शासन की नीति के विपरीत कार्य करने पर जिलाधिकारी एवं महानिदेशक/निदेशक की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रदद करने का निर्णय लिया जायेगा। मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हाट मिक्स प्लान्ट/ रेडिमिक्स प्लान्ट/पल्वराईजर/WMM प्लान्ट को नीति के विपरीत कार्य करने पर महानिदेशक/निदेशक द्वारा सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रदद करने का निर्णय लिया जायेगा। (2) यदि स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट की स्वीकृति शासन द्वारा निर्गत किये जाने की तिथि से दो वर्ष की अवधि के भीतर प्लांट की स्थापना नहीं की जाती है, तो जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा अनुज्ञा धारक को युक्ति–युक्त सुनवाई का अवसर

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

(3) स्थापित एवं संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा अनिवार्य रूप से कराया जाएगा तथा अनियमितता पाये जाने पर सुसंगत नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(4) नये प्लान्ट की स्थापना, नवीनीकरण एवं प्लान्ट के नाम/भागीदार परिवर्तन/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवश्यक खनन अदेयता प्रमाण पत्र यदि आवेदक इकाई के विरूद्ध अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन से सम्बन्धित अधिरोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में वाद/अपील विचाराधीन हैं तथा इस हेतु आवेदक/भागीदारों के द्वारा वाद/ अपील में पारित अन्तिम निर्णय का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर खनन अदेयता प्रमाण पत्र महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा उक्त शर्तों के अधीन निर्गत किया जायेगा।

प्रदान करते हुए अनुज्ञा निरस्त किये जाने के संबंध में निर्णय लिया जायेगा।

(3) नये प्लान्ट की स्थापना, नवीनीकरण एवं प्लान्ट के नाम/भागीदार परिवर्तन/अनुज्ञा का हस्तान्तरण हेतु आवश्यक खनन अदेयता प्रमाण पत्र यदि आवेदक इकाई के विरूद्ध अवैध खनन/भण्डारण/परिवहन से सम्बन्धित अधिरोपित अर्थदण्ड के सम्बन्ध में विभिन्न न्यायालयों में वाद/अपील विचाराधीन है तथा इस हेतु आवेदक/भागीदारों के द्वारा वाद/ अपील में पारित अन्तिम निर्णय का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किये जाने सम्बन्धी नोटराईज्ड शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर खनन अदेयता प्रमाण पत्र महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत जिला स्तरीय अधिकारी द्वारा उक्त शर्तों के अधीन निर्गत किया जायेगा।

बिन्दु 39 में उपबिन्दु (5) का अंतःस्थापन

25. मूल नीति के अध्याय–IV के नियम 39 में उप बिन्दु (4) के उपरान्त उप बिन्दु (5) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

(5) स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, आदि के द्वारा क्रय किये गये उपखनिज को प्लांट में Process किये जाने के उपरान्त Crushed material/Screened Material का स्वरूप परिवर्तन होने के फलस्वरूप Processed Material वन उपज की श्रेणी में नहीं आयेगा।

बिन्दु 42 में उपबिन्दु (1) का अंतःस्थापन

26. मूल नीति के अध्याय–V के नियम 42 मे उपबिन्दु (1) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–

42– अनुज्ञा स्वीकृतिः–

(1) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके अनुबन्धित ठेकेदारों के द्वारा स्टोन क्रेशर्स/स्क्रीनिंग प्लांट्स के तैयार माल को प्लांट परिसर से बाहर अन्यत्र किसी निजी नाप भूमि पर एकत्रित करना चाहता है अथवा पूर्व से ही रखा गया है, की अनुमति जिला खान अधिकारी तथा सम्बन्धित उप जिलाधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक/निदेशक के द्वारा दो वर्ष की अवधि अथवा परियोजना निर्माण अवधि, जो भी न्यून हो, तक अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी। इस हेतु दूरी के मानक लागू नहीं होंगे।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

Scanned with OKEN Scanner

क्रम संख्या–121 (क) पंजीकरण संख्या–UA/DO/DDN/30/2021-2023

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–4, खण्ड (क)
(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, बुधवार, 10 नवम्बर, 2021 ई0
कार्तिक 19, 1943 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1

संख्या 1874/VII-1/2021/03(102)/2021
देहरादून, 10 नवम्बर, 2021

अधिसूचना

सा0प0नि0–31

राज्यपाल, खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, सन् 1957) की धारा 23ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2020 तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों और आदेशों का अधिक्रमित करते हुए राज्य में खनिजों के अवैध खनन, परिवहन और भण्डारण को निवारित करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021

अध्याय–एक
प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

परिभाषाएं 2. (1) जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :–

(क) "अधिनियम" से खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, सन् 1957) (समय–समय पर यथासंशोधित) अभिप्रेत है;

(ख) "प्राधिकृत अधिकारी" से ऐसा अधिकारी, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस नियमावली के अधीन सरकारी गजट में अधिसूचना में विनिर्दिष्ट ऐसे क्षेत्र के लिए और ऐसे कृत्यों का पालन करने के लिए जिसके लिए उसे अधिसूचना द्वारा प्राधिकृत किया गया हो, अभिप्रेत है और वह भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (अधिनियम संख्या 45, सन् 1860) की धारा 21 के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जायेगा;

(ग) "वाहक" से किसी रीति, सुविधा या वाहन अभिप्रेत है जिसके द्वारा खनिज का परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान को किया जाय, जिसमें यांत्रिक युक्ति, व्यक्ति, पशु या गाड़ी भी सम्मिलित है;

(घ) "अनुसंधान कार्य" से बिना किसी वाणिज्यिक उद्देश्य के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजन के लिए और उद्योग में उपयोग हेतु खनिज के लाभार्थ और उच्चीकरण के लिए उसकी उपयुक्तता के परीक्षण के लिए किये गये कोई कार्य अभिप्रेत है;

(ङ) "नियमावली, 1960" से अधिनियम की धारा 13 के अधीन बनाई गई खनिज रियायत नियमावली, 1960 तथा खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन खनिज से भिन्न) रियायत नियमावली, 2016 अभिप्रेत है;

(च) "नियमावली, 2001" से अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन बनाई गयी "उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (समय–समय पर यथासंशोधित) अभिप्रेत है;

(छ) "वैज्ञानिक परीक्षण" से बिना किसी वाणिज्यक उद्देश्य के वैज्ञानिक अध्ययन के प्रयोजन के लिए खनिज के रासायनिक या खनिज विश्लेषण और उसके रासायनिक एवं खनिजीय घटकों एवं गुणों के निर्धारण के लिए किये गये परीक्षण अभिप्रेत है;

(ज) "जिला अधिकारी" से उस जिले के कलेक्टर या उपायुक्त अभिप्रेत है, जिसमें भूमि स्थित है;

(झ) "अभिवहन पास/ई–रवन्ना" से अधिनियम या तदधीन बनाई गई नियमावली के उपबन्धों के अनुसार निकाले गये किसी खनिज के विधिपूर्ण परिवहन हेतु खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा–पत्र धारक या खनिज के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक द्वारा जारी किये गये पास अथवा विभागीय वेब पोर्टल से निर्गत ई–रवन्ना अभिप्रेत है;

(ञ) "आवतन अपराधी" से ऐसे अवैध खनिज परिवहनकर्ता अभिप्रेत है, जो एक वर्ष में दो या इससे अधिक बार खनिज का अवैध परिवहन करते हुए पकड़ा गया हो, दोष सिद्ध हुआ हो एवं अर्थदण्ड/अन्य दण्ड से दण्डित हुआ हो;

(ट) "बाजार मूल्य" से प्रचलित उपखनिज की रायल्टी का पांच गुना की धनराशि अभिप्रेत है;

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

(थ) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारधारक अधिकारी अभिप्रेत है;

(द) "महानिदेशक" से महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;

(ध) निदेशक, अपर निदेशक, संयुक्त निदेशक, खनन/भूविज्ञान से भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड में नियुक्त अधिकारियों अभिप्रेत है;

(न) "महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" से जनपद स्तर पर तैनात सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी, उप निदेशक/भूवैज्ञानिक/उप निदेशक/ ज्येष्ठ खान अधिकारी अभिप्रेत है;

(प) "खनन सत्र" से वर्षाकाल के उपरान्त 01 अक्टूबर, से 30 जून तक की अवधि अभिप्रेत है;

(फ) मैदानी क्षेत्र:–मैदानी क्षेत्र से जिला टिहरी गढ़वाल (नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), जिला हरिद्वार एवं जिला उधमसिंहनगर के सम्पूर्ण भाग अभिप्रेत है;

(ब) पर्वतीय क्षेत्र:– पर्वतीय क्षेत्र से जिला उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़, जिला टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग छोड़कर), अल्मोड़ा (सम्पूर्ण भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग छोड़कर), जिला नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), जिला देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) अभिप्रेत है;

(भ) "जिला खान अधिकारी" से भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई का जनपद में खनन प्रशासन हेतु राज्य सरकार/महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा नामित अधिकारी अभिप्रेत है;

(म) "रिटेल भण्डारण" से खनिजों (रेता, बजरी, आर०बी०एम०, बोल्डर, ग्रिट, डस्ट इत्यादि) का ऐसा भण्डारण अभिप्रेत है, जो कि निजी व्यक्ति/ फर्म/संस्था/कम्पनी, स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी (प्लांट परिसर से बाहर हेतु), खनन पट्टाधारक/अनुज्ञाधारक, रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञाधारक, सोपस्टोन ट्रेडर्स, सोपस्टोन पल्वराईजर अनुज्ञाधारक द्वारा विक्रय एवं प्लांटों के प्रयोजन से भण्डारित किया गया है, अभिप्रेत है तथा जिसे इस नियमावली के अन्तर्गत अनुज्ञा प्रदान की गयी है।

(य) "लेखाशीर्षक" से राज्य सरकार के लेखाशीर्षक 0853–अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग, 102–खनिज रियायती शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क, 01 खनिज रियायत शुल्क किराया और स्वत्व शुल्क अभिप्रेत है;

(र) "मोबाईल चैक पोस्ट" से महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा खनिजों के परिवहन कर रहे वाहनों के चैकिंग हेतु चलित (Movable) चैक पोस्ट से अभिप्रेत है;

(ल) "राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना" से राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग निर्माण, जल विद्युत परियोजना, रेलवे परियोजना आदि अभिप्रेत है;

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

(व) "राष्ट्रीय/राज्य महत्व की कार्यदायी संस्था" से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बी०आर०ओ०, रेल विकास निगम लि०, टी०एच०डी०सी० लि०, एन०एच०पी०सी०, एन०टी०पी०सी०, सी०पी०डब्ल्यू०डी०, पी०डब्ल्यू०डी०, यू०जे०वी०एन०एल० आदि अभिप्रेत है;

(2) "शब्द और पद" जो इस नियमावली में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं परन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए अधिनियम में दिये गये हैं।

प्रतिषेध

3. कोई भी व्यक्ति, खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा–पत्र धारक, स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट धारक /रेडिमिक्स प्लान्ट या भण्डारण अनुज्ञाधारक द्वारा जारी अभिवहन पास के बिना, किसी खनिज का स्वीकृत खनन पट्टा क्षेत्र/खनन अनुज्ञा क्षेत्र, प्लांट के भण्डारण अनुज्ञा स्थल/रिटेल भण्डारण अनुज्ञा स्थल से भिन्न किसी अन्य स्थान पर न तो परिवहन करेगा, न ही उसे ले जायेगा अथवा न ही परिवहन करायेगा और न ही ले जाने का कार्य करायेगा।

अभिवहन पास का प्रदाय और उसके लिए फीस

4. (1) खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञा–पत्र धारक, स्टोन क्रेशर/ स्क्रीनिंग प्लांट/ मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट धारक/ रेडिमिक्स प्लान्ट या भण्डारण अनुज्ञाधारक, राज्य सरकार या महानिदेशक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष किसी खनिज के परिवहन हेतु अभिवहन पास प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर यथा निर्धारित फीस के साथ एवं रीति के अनुसार आवेदन प्रस्तुत करेंगे।

(2) अभिवहन पास का प्रदाय, सम्बन्धित जिले के जिला खान अधिकारी या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा इस नियमावली या अधिनियम या तद्धीन बनाई गई किसी अन्य नियमावली के अधीन किया जायेगा।

अभिवहन पास का जारी किया जाना

5. (1) अभिवहन पास, खनन पट्टाधारक या खनन अनुज्ञाधारक द्वारा राज्य सरकार के विभागीय ई–पोर्टल पर निर्धारित <u>प्रपत्र "क"</u> से मुख्य खनिज के लिए और नियमावली, 2001 के साथ संलग्न ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र एम०एम० 11 में उपखनिज के लिए जारी किया जायेगा।

(2) खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक (स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/ मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लान्ट के भण्डारण अनुज्ञाधारक एवं रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक, भण्डारण स्थल से विधिपूर्ण राज्य के अन्तर्गत खनिजों के परिवहन के लिए ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र प्रपत्र–"जे" में तथा राज्य के बाहर प्रपत्र–"जे" (ओ0एस0) में अभिवहन पास जारी करेगा;

परन्तु राज्य के बाहर से आर०बी०एम० एवं बोल्डर (गौण खनिज, मुख्य खनिज, ग्रिट व डस्ट को छोड़कर) का परिवहन सामान्यतः अनुमन्य नहीं होगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में केवल राजकीय कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा यह परिवहन निर्धारित शर्तों के अधीन सीमित अवधि के लिए अनुमन्य किया जा सकेगा।

(3) मुख्य खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक, भण्डार से विधिपूर्ण परिवहन के लिए ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र–"एन" में अभिवहन पास जारी करेगा।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

अध्याय–दो
खनिजों का परिवहन

खनिजों के निरीक्षण हेतु जांच चौकियों की स्थापना

6. (1) खनिजों के अवैध परिवहन की रोकथाम हेतु महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा मोबाईल चैक पोस्ट की स्थापना की जायेगी।

(2) (क) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा मोबाईल चैक पोस्ट हेतु गठित दल के प्रभारी अधिकारी को मौके पर अवैध रूप से परिवहन किये जाने रहे खनिज तथा वाहन का अधिहरण (Confiscate) करने का अधिकार होगा।

(ख) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा मोबाईल चैक पोस्ट हेतु गठित दल, ऐसे खनिज और वाहन की, जो उसके द्वारा अधिगृहित किये गये हैं, प्राप्ति रसीद उस व्यक्ति को देगा जिसके कब्जे या नियंत्रण से उसे अधिगृहित किया गया है।

(ग) महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा मोबाईल चैक पोस्ट हेतु गठित दल का प्रभारी अधिकारी, अवैध खनिजों के परिवहन कर रहे वाहन चालक/स्वामी को निकटतम पुलिस स्टेशन पर खनिज को ले जाने एवं अपनी अभिरक्षा अथवा पुलिस अभिरक्षा में रखने का निर्देश दे सकता है।

खनिजों का परिवहन

7. (1) खनिजों के परिवहन हेतु उपयोग मे लाये जा रहे वाहनों के साथ अभिवहन पास/ई–रवन्ना प्रपत्र का रखा जाना आवश्यक होगा। वाहन चालक/स्वामी, उक्त प्रयोजन के लिए मोबाईल चैक पोस्ट के प्रभारी अधिकारी की मांग पर अभिवहन पास प्रस्तुत करेगा।

(2) खनिज ढोने वाले सभी वाहन चालक/स्वामी, मोबाईल चैक पोस्ट पर रूकेंगे और अभिवहन पास की जांच कराने के उपरान्त ही प्रस्थान करेंगे। मोबाईल चैक पोस्ट का प्रभारी अधिकारी अभिवहन पास/ई–रवन्ना प्रपत्र का विवरण निर्धारित पंजिका में अंकित कर हस्ताक्षर करेगा तथा प्रत्येक माह परीक्षण हेतु निदेशालय को प्रस्तुत करेगा। प्रभारी अधिकारी द्वारा अभिवहन पास से सम्बन्धित कोई सूचना पंजिका में जानबूझकर गलत अंकित करने अथवा सूचना त्रुटिपूर्ण होने व दोष सिद्ध होने की दशा में मोबाईल चैक पोस्ट के प्रभारी अधिकारी के खिलाफ सुसंगत अधिनियमों/नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी, जिसमें भारतीय दण्ड संहिता की धारा 218 के अन्तर्गत कार्यवाही भी सम्मिलित रहेगी।

(3) राज्य सरकार मोटरयान अधिनियम के अन्तर्गत संचालित वी०टी०एस० (Vehicle Tracking System) प्रणाली को खनन परिवहन में उपयोग होने वाले वाहनों पर लागू कर सकेगी।

अध्याय–तीन
खनिजों का भण्डारण

खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन

8. (1) इस नियमावली के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खनिजों के रिटेल भण्डारण हेतु आवेदन कोई भी व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनी सम्बन्धित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई कार्यालय मे निर्धारित प्रपत्र–"एच" में चार प्रतियों में वांछित अभिलेखों एवं निर्धारित आवेदन शुल्क सहित प्रस्तुत करेगा। आवेदन की एक प्रति पावती के रूप में आवेदक को हस्ताक्षर कर वापस कर दी जायेगी। कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं संलग्नक/अभिलेखों का परीक्षण कर, अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराते हुए गठित समिति से स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही हेतु 01 सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी को संदर्भित किया जायेगा;

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

परन्तु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट एवं पल्वराईजर प्लान्ट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति में निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

(क) वाहन, ऑफिस, तौल मशीन एवं प्लांट के क्षेत्र को छोड़कर अवशेष क्षेत्र में खनिज भण्डारण किया जायेगा, जिसकी रिटेल भण्डारण स्थलों में अधिकतम ऊंचाई 03 मीटर से अधिक नहीं होगी, परन्तु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट स्वामी प्लान्ट के परिसर में एक समय में औसतन 05 मी० ऊंचाई तक उपखनिज का भण्डारण किया जा सकेगा।

(ख) आवेदक, खनिज भण्डारण हेतु उपखनिज की आपूर्ति किये जाने वाले स्रोत को नोटराइज्ड शपथ पत्र के माध्यम से सूचित करेगा।

परन्तु, उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(2) ऐसे प्रत्येक आवेदन हेतु निम्नानुसार अनुज्ञा शुल्क देय होगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा :-

1. उपखनिज के रिटेल भण्डारण हेतु अनुज्ञा शुल्क ₹ 25,000.00 (₹ पच्चीस हजार मात्र) देय होगा, जो वापस नही किया जायेगा।
2. स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/पल्वराइजर/हॉट मिक्स/रेडिमिक्स प्लांट परिसर में उपखनिज भण्डारण हेतु पृथक से शुल्क देय नहीं होगा।

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(3) भण्डारण अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु जिला खान अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने के 01 सप्ताह के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में स्वयं के व्यय पर विज्ञप्ति, जिसमें आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो, इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि जो निर्धारित दूरी 100 मीटर के अन्तर्गत निवासरत हो तथा खनिज भण्डारण के प्रस्तावित स्थल से प्रभावित हो अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है तो सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ता एवं आवेदक को सुनने के उपरान्त युक्तियुक्त निर्णय हेतु जिलाधिकारी को अवगत कराया जायेगा। जिलाधिकारी प्रकरण पर 30 दिन के भीतर निर्णय लेंगे अन्यथा की स्थिति में आपत्ति स्वीकार मानी जायेगी अर्थात् भण्डारण आवेदन निरस्त माना जायेगा

प्रकाशित विज्ञप्ति में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत यदि किसी स्थानीय व्यक्ति /संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त नहीं होती है अथवा जिलाधिकारी द्वारा भण्डारण अनुज्ञाधारक के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, तो जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञा स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जायेगी।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(4) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तावित भण्डारण स्थल अनुज्ञा स्वीकृति हेतु समिति द्वारा उपयुक्त न पाये जाने पर संबंधित जिलाधिकारी द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुये आवेदनकर्ता को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा;
परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(5) आवेदित भण्डारण स्थल की संयुक्त जांच के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:–

1. संबंधित उप जिलाधिकारी – अध्यक्ष।
2. महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी – सदस्य सचिव।

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(6) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा परियोजना के निर्माण/टनल से निकले मक (Muck) के चिन्हित भण्डारण स्थलों पर भण्डारण हेतु प्रपत्र **"एच–1"** में आवेदन, निर्धारित आवेदन शुल्क ₹ 50,000/– (₹ पच्चास हजार) सहित, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई को प्रस्तुत किया जायेगा। उक्त के संबंध में महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा निम्नानुसार गठित तकनीकी समिति से निर्धारित प्रपत्र **"एच–2"** पर संयुक्त निरीक्षण आख्या प्राप्त की जायेगी :–

i	महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी	संयोजक
ii	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iii	प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी	सदस्य
iv	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित वन संरक्षक स्तर का अधिकारी	सदस्य
v	संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी	सदस्य
vi	संबंधित परियोजना के अभियन्ता (सिविल),	सदस्य

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार को स्वीकृत अनुज्ञा स्थलों, अन्य स्वीकृत खुला उत्खनन (Open Excavation) स्थल एवं रिवर ट्रेनिंग स्थल से निकासी किये गये उपखनिज के भण्डारण हेतु उपरोक्तानुसार ही आवेदन प्रस्तुत किया जाना होगा।

खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञा

9. इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुये खनिजों के भण्डारणों की अनुज्ञा निम्नवत स्वीकृत की जायेगी:–

1. राज्य क्षेत्रान्तर्गत रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा गठित समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।
2. मोबाईल स्टोन क्रेशर एवं मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट के परिसर में खनिजों के भण्डारण हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति प्रपत्र–"आई" में अधिकतम 01 वर्ष अथवा

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

परियोजना कार्य पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।

3. हाट मिक्स प्लांट एवं रेडिमिक्स प्लांट के परिसर में खनिजों के भण्डारण हेतु भण्डारण अनुज्ञप्ति प्रपत्र-"आई" में अधिकतम 02 वर्ष अथवा परियोजना कार्य पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, के लिए जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत की जायेगी।
4. अनुज्ञा स्वीकृति के पश्चात् की सभी औपचारिकताएं पूर्ण होने पर स्वीकृत अनुज्ञा को ई-पोर्टल से जोड़ा जाना अनिवार्य होगा।

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

उपयोगी उपखनिज के उपयोग की अनुमति

10. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार द्वारा संबंधित परियोजना के टनलों के निर्माण कार्य से निकलने वाले मक (Muck) में से उपयोगी उपखनिज (usable material) के उपयोग की अनुमति रायल्टी की दोगुनी धनराशि एवं अन्य देयताओं के भुगतान की शर्त पर महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर परियोजना की अवधि अथवा 05 वर्ष जो भी न्यून हो, तक शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा। अवशेष अनुपयोगी मक को स्वीकृत डम्पिंग साईट पर डम्प किया जायेगा। डम्पिंग साईट पर डम्प खनिज मात्रा के परिमाण को कुल उत्खनित मक की मात्रा से घटाते हुए उपयोगी मक/उपखनिज की गणना की जायेगी।

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार को स्वीकृत अनुज्ञा स्थलों, अन्य स्वीकृत खुला उत्खनन Open Excavation) स्थल व रिवर ट्रेनिंग स्थल से निकासी किये गये उपखनिज के भण्डारण हेतु उपरोक्तानुसार ही स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

खनिज भण्डारण की अनुज्ञप्ति का नवीनीकरण

11. (1) रिटेल भण्डारण के नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने के दिनांक से कम से कम 02 माह पूर्व, नियम 8 के उपनियम (2) में निर्धारित आवेदन/अनुज्ञा शुल्क एवं अनुज्ञप्ति के विवरण सहित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का जांच/परीक्षण करने तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने के उपरान्त जिला खान अधिकारी के द्वारा 01 सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति से इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 15 दिन के अन्तर्गत जांच करायी जायेगी। गठित समिति की आख्या के आधार पर रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण जिलाधिकारी के द्वारा याचित अवधि अथवा 05 (पांच) वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत किया जायेगा।

(2) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार को स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञा का नवीनीकरण महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की संस्तुति पर परियोजना की अवधि अथवा अथवा 05 (पांच) वर्ष की अवधि हेतु, जो भी न्यून हो, तक शासन द्वारा स्वीकृत किया जायेगा।

(3) नवीनीकृत भण्डारण अनुज्ञा के आधार पर ई-पोर्टल पर अद्यतनीकरण (Updation) निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जायेगा।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

भण्डारण के मानक एवं अन्य शर्तें

12. (1) कोई व्यक्ति अनुज्ञप्ति प्राप्त किये बिना किसी स्थान पर किसी खनिज का भण्डारण नहीं करेगा।

(2) रिटेल भण्डारण स्थल का सार्वजनिक स्थल, सरकारी वन, रेल मार्ग, नदी आदि से दूरी निम्न प्रकार होगी–

(i) पर्वतीय क्षेत्र :–

क–धार्मिक स्थल से दूरी–50 मी0
ख–शैक्षणिक संस्थान से दूरी–100 मी0
ग–अस्पताल से दूरी– 100 मी0
घ–रेल मार्ग से दूरी–50 मी0
ङ–नदी (Perennial River) से दूरी–50 मी0
च–बरसाती नदी (Non Perennial River) से दूरी– 25 मी0
छ–सरकारी वन से दूरी–25 मी0

(ii) मैदानी क्षेत्र :–

क–धार्मिक स्थल से दूरी–300 मी0
ख–शैक्षणिक संस्थान से दूरी–300 मी0
ग–अस्पताल से दूरी– 300 मी0
घ–रेल मार्ग से दूरी–50 मी0
ङ– नदी (Perennial River) से दूरी–500 मी0
च–बरसाती नदी (Non Perennial River) से दूरी– 50 मी0
छ–सरकारी वन से दूरी–100 मी0

परन्तु पर्वतीय एवं मैदानी क्षेत्रों मे स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट व पल्वराईजर प्लांट के परिसर मे खनिजों के भण्डारण हेतु दूरी के मानक वही होंगे, जो इन प्लांटों की स्थापना/संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा जारी स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लांट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट, हॉट मिक्स प्लांट, रेडिमिक्स प्लांट व पल्वराईजर प्लांट नीति के अनुसार होंगे;

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

(3) कोई व्यक्ति किसी ऐसी भूमि, जो उसकी नहीं है या उसके/उसकी वैध किरायेदारी में नहीं है, का उपयोग खनिजों के भण्डारण के लिए नहीं करेगा।

(4) राज्य सरकार भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई की विभागीय वेबसाईट पर तैयार ई–एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर के द्वारा महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के माध्यम से भुगतान के आधार पर यथा स्थिति ई–फार्म "जे" अथवा ई–फार्म (ओ/एस) तथा आकस्मिक परिस्थिति हेतु मैनुअल "जे" प्रपत्र पुस्तिका की सम्पूर्ति का प्रबन्ध करेगी।

(5) अनुज्ञाधारक द्वारा भण्डारण स्थल के परिसर में इलैक्ट्रोनिक तोल मशीन तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश व निकासी गेटों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञाधारक द्वारा स्थापित सी0सी0टी0वी0 की रिकॉर्डिंग को संरक्षित रखा जायेगा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर औचक निरीक्षण के समय रिकॉर्डिंग मांगे जाने पर, प्रस्तुत करेगा। यदि निरीक्षण के दौरान सी0सी0टी0वी0 बन्द अथवा खराब पाया जाता है या उपलब्ध करायी गयी रिकॉर्डिंग मे कोई गड़बड़ी पायी जाती है तो अनुज्ञाधारक के ऊपर

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

₹ 250/– प्रति मिनट की दर से अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो कि अनुज्ञाधारक के द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक मे जमा कराया जाना होगा।

(6) अनुज्ञाधारक भण्डारण स्थल की चाहरदीवारी एवं अभिलेख रख–रखाव हेतु कार्यालय, धर्मकांटा, भरान (loading), भार उतारना (unloading) हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करेगा।

(7) (i) स्टोन क्रेशर व स्क्रीनिंग प्लांट संचालकों को विक्रय की गयी मात्रा पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल की समतुल्य धनराशि तथा रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारकों द्वारा विक्रय की गयी उपखनिज की मात्रा पर ₹ 0.25 प्रति कुन्तल के समतुल्य धनराशि पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(ii) हाट मिक्स प्लान्ट एवं रेडिमिक्स प्लान्ट संचालकों द्वारा बालू या बजरी या बोल्डर या उसके उत्पाद अर्थात् कच्चा माल/पक्का के प्लान्ट में उपयोग की गई मात्रा पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल के समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में अग्रिम जमा किया जाना अनिवार्य होगा।

(iii) खनिज सोपस्टोन, सिलिकासैण्ड, मैग्नेसाईट, लाईमस्टोन आदि के भण्डारण अनुज्ञाधारकों एवं प्लवराईजर प्लांट भण्डारण अनुज्ञाधारकों पर उक्त खनिज की रायल्टी का 2 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में अग्रिम अतिरिक्त रूप से पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क के रूप में जमा किया जाना अपरिहार्य होगा।

(iv) प्रदेश के बाहर से आयतित होने वाले खनिज या उसके उत्पाद तथा ईंट या इनके कच्चे माल को राज्य में प्रवेश करने हेतु पंजीकृत अनुज्ञाधारक, खनन उद्यमी द्वारा ई–रवन्ना वैब एप्लीकेशन में उपखनिज का नाम, मात्रा ऑनलाईन दर्ज किया जायेगा तथा अनुज्ञाधारक/खनन उद्यमी द्वारा उपखनिज का अभिवहन पत्र (रवन्ना) एवं जी०एस०टी० नम्बर धारित बिल की मूल प्रति संरक्षित की जायेगी। महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत जनपदीय अधिकारी के पास ऑनलाईन/ऑफलाईन पहुंचने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/भण्डारणकर्ता आदि द्वारा बाहरी राज्यों से लाये गये उपखनिज (क्रय/विक्रय) की मात्रा को अधिकतम 01 सप्ताह की समयावधि के अन्तर्गत जांचोपरान्त उसके ऑनलाईन स्टॉक (Capacity in hand) में जोड़ दिया जायेगा। ऐसे खनिज (आर०बी०एम० एवं बोल्डर छोड़कर) का लेखा एम०आई०एस० पोर्टल पर पृथक से दर्शाया जायेगा। इस प्रकार परिवहन कर लाये गये खनिजों पर ₹ 1.00 प्रति कुन्तल की दर से पर्यावरण एवं खनिज सम्पदा शुल्क वेब पोर्टल पर Credit in करने से पूर्व जमा किया जाना अपरिहार्य होगा। उक्त व्यवस्था प्रत्येक माह में न्यूनतम एक बार महानिदेशक अथवा महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे सभी पंजीकृत अनुज्ञाधारक, खनन उद्यमियों के अभिलेखों का परीक्षण (Scrutiny) कर किया जायेगा तथा किसी भी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर इस नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

(8) तकनीकी दल द्वारा राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं से संबंधित टनल/निर्माण स्थल से निकासी किये गये उपखनिज (Muck) की कुल मात्रा में से उपयोगार्थ उपखनिज की आगणित/सत्यापित मापन मात्रा, संबंधित टनल निर्माण के उपरान्त स्वीकृत मात्रा से कम अथवा अधिक पाये जाने पर, कम अथवा अधिक पाये जाने वाली मात्रा पर देय रायल्टी का

प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय

समायोजन/भुगतान किया जायेगा।

स्वीकृत उपखनिज की मात्रा पर आगणित रॉयल्टी धनराशि एवं अन्य देयों का भुगतान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा त्रैमासिक किश्तों मे विभागीय लेखा शीर्षक मे अग्रिम जमा किया जायेगा। किश्तों का भुगतान निर्धारित समयान्तर्गत न किये जाने पर 24 प्रतिशत वार्षिक की दर से साधारण ब्याज लिया जायेगा।

(9) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा स्वीकृत स्थल से उपखनिज की निकासी/उपयोग हेतु विभागीय ई-रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

(10) राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा निर्माण स्थल/टनल से निकले उपखनिज/मक का उपयोग संबंधित परियोजना निर्माण कार्य में ही किया जायेगा। राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार के द्वारा निर्माण स्थल/टनल से निकले उपखनिज/मक का उपयोग अन्यत्र किये जाने की पुष्टि होने पर नियम 14(5)(ख) के अनुसार कार्यवाही करते हुए ₹ 1.00 करोड़ (₹ एक करोड़) की अतिरिक्त धनराशि वसूल किये जाने के साथ-साथ अनुज्ञा निरस्त करने की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

खनिजों का लेखा-जोखा रखना

13. (1) अनुज्ञाधारक, प्रत्येक समय क्रय किये गये, भण्डारित किये गये या निर्गमित किये गये खनिजों का ठीक एवं बोधगम्य लेखा-जोखा इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र-"के" में रखेगा।

(2) अनुज्ञाधारक द्वारा ₹ 2.00 लाख से अधिक उपखनिज क्रय एवं विक्रय का समस्त भुगतान चैक/बैंक ड्राफ्ट/आर0टी0जी0एस0/ई-पेमेन्ट के माध्यम से किया जायेगा तथा तत्संबंधी अभिलेखों को संरक्षित किया जायेगा।

(3) अनुज्ञाधारक द्वारा समस्त वित्तीय लेखे दोहरी प्रविष्टि लेखा प्रणाली (Double Entry Accounting System) के अनुसार रखा जाना अनिवार्य होगा।

(4) खनिज के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक स्वयं द्वारा भण्डारित और परिवहन किये गये खनिजों के क्रय-विक्रय एवं अवशेष खनिज आदि लेखा की मासिक सूचना आगामी माह की 15 तारीख तक अनिवार्य रूप से जिलाधिकारी, राज्य कर (वाणिज्य कर) विभाग एवं जिला खान अधिकारी को, जिसकी अधिकारिता के भीतर भण्डारण परिसर स्थित है, इस नियमावली के साथ संलग्न प्रपत्र "एल" में प्रस्तुत करेगा।

(5) खनिजों के भण्डारण अनुज्ञाधारक के किसी भी प्रपत्र, ई-प्रपत्र, लेखा-जोखा, ई-लेखा-जोखा, बही रजिस्टर आदि अन्य आवश्यक अभिलेख मांग कर परीक्षण (Scrutiny) करने तथा परीक्षणोपरान्त अनियमितताएं पाये जाने पर स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट एवं प्लवराईजर, रिटेल भण्डारण, सोपस्टो, मैग्नेसाईट आदि अनुज्ञाधारकों, सोपस्टोन ट्रेडर अनुज्ञाधारक को युक्ति-युक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुण-दोष के आधार पर 03 माह के भीतर अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (1) तथा उपधारा (2), धारा 22, धारा 23(क), धारा 23(ख) तथा धारा 24 के अन्तर्गत महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी एवं जिलाधिकारी आदेश पारित कर सकेंगे।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

जाँच एवं शास्ति

14. (1) रिटेल भण्डारण या प्लांटों मे भण्डारित खनिज की जांच के प्रयोजन से या अधिनियम या तद्धीन बनाई गयी नियमावली से सम्बन्धित किसी अन्य प्रयोजन हेतु अधिनियम, की धारा 21 की उपधारा (1), (2), (4A), धारा 22, धारा 23A तथा धारा 23B के अन्तर्गत जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी, जो कि उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्राधिकृत अधिकारी, जो कि खान निरीक्षक से अन्यून न हो :–

(क) किसी ऐसे भण्डारण परिसर में प्रवेश कर सकता है और उसका निरीक्षण कर सकता है;

(ख) भण्डारण में पड़े हुए खनिजो के स्टॉक को तौल सकता है, माप सकता है या उसकी माप ले सकता है परन्तु उक्त पैमाईश के दौरान भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति अनिवार्य होगी;

(ग) कब्जे में रखे गये किसी भी दस्तावेज बही, रजिस्टर या अभिलेख का परीक्षण कर सकता है;

(घ) ऐसे दस्तावेज बही, रजिस्टर या अभिलेख से उद्धरण ले सकता है या उसकी प्रतिलिपियां बना सकता है;

(ड.) खण्ड (ग) में यथा निर्दिष्ट दस्तावेज, बही, रजिस्टर या अभिलेख को मंगा सकता है या उसे प्रस्तुत करने की आज्ञा दे सकता है;

(च) किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसका खनिज के किसी स्टॉक पर नियंत्रण हो या जो उससे सम्बद्ध हो, बुला सकता है या उसका परीक्षण कर सकता है;

(छ) ऐसी सूचना या विवरण मांग सकता है, जो आवश्यक समझी जाय;

(ज) खनिजों के भण्डारण में अनियमितता पाये जाने पर भण्डारण स्थलों को सीज (Seize) करते हुए भण्डारणकर्ता को कारण बताओ नोटिस दे सकता है एवं नोटिस का प्रति उत्तर सन्तोषजनक प्राप्त न होने पर अवैध खनन पर नियमानुसार कार्यवाही किये जाने हेतु संस्तुत कर सकता है।

(2) खनिज का अवैध परिवहन किये जाने पर निम्नानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा :–

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	अधिरोपित किये जाने वाले अर्थदण्ड (₹ में)	अधिरोपित की जाने वाली रायल्टी का गुणांक
1.	04 पहिया यूटीलिटी एवं छोटे वाहन	5,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
2.	06 पहिया यूटीलिटी	7,500	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
3.	02 पहिया ट्रैक्टर ट्राली	10,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
4.	04 पहिया ट्रैक्टर ट्राली	15,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा
			का बाजार मूल्य
5.	06 पहिया ट्रक	30,000	वाहन में लदा हुआ

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

			अवैध खनिज की मात्रा . का बाजार मूल्य
6.	06 पहिया से अधिक ट्रक डम्पर हाईवा आदि हेतु	50,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
7.	जे0सी0बी0	2,00,000	बिना अनुमति प्रयोग की दशा में
8.	पोकलैण्ड	4,00,000	बिना अनुमति प्रयोग की दशा में

(3) महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (जो उपजिलाधिकारी के स्तर से कम का न हो) अवैध खनिजों के परिवहन में पकड़े गये वाहनों का मौके पर शमन करने हेतु अधिकृत होंगे।

(क) अवैध परिवहन हेतु अधिकृत अधिकारी द्वारा शमन के उपरान्त वसूली गयी धनराशि को चालान के माध्यम से जमा कराते हुए रवन्ना/चालान प्रपत्र पर ट्रेजरी चालान संख्या, दिनांक, वसूली गयी धनराशि एवं तालिका में इंगित वाहन का प्रकार हस्ताक्षर सहित प्रत्येक पृष्ठ पर अंकित की जायेगी।

(ख) अवैध परिवहन में पकड़े गये वाहन का मौके पर शमन करते हुए वसूली गयी धनराशि को विभागीय सुसंगत लेखाशीर्षक में जमा किया जायेगा।

(ग) खनिजों के अवैध परिवहन करते पकड़े गये वाहनों के शमन हेतु प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किये गये चालान एवं जमा की गयी धनराशि का विवरण महानिदेशक एवं सम्बन्धित जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

(4) (क). एक वर्ष के अन्तर्गत 02 या उससे अधिक बार अवैध खनिज परिवहनकर्ता एवं वाहनस्वामी पर उपनियम (2) में निर्धारित अर्थदण्ड के अनुसार धनराशि अधिरोपित की जायेगी और यदि वाहन तीसरी बार अवैध खनिज परिवहन में पकड़ा जाता है तो आदतन अपराधी मानते हुए पकड़े गये वाहन को जब्त कर राज्य सरकार में समाहित कर राज्य सम्पत्ति घोषित कर दिया जायेगा।

(ख). रिटेल भण्डारणकर्ता/स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लान्ट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लान्ट/पल्वराईजर प्लान्ट/हाट मिक्स प्लान्ट/रेडिमिक्स प्लान्ट भण्डारणकर्ता द्वारा अवैध ई-रवन्ना पर क्रय-विक्रय व परिवहन किये जाने पर सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के प्रावधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(5) (क) यदि भण्डारणों में कोई अवैधता पाई जाती है तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा भण्डारण स्थल को सीज करते हुए अनुज्ञाधारक को उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जायेगा और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड ,देहरादून

संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो), द्वारा अवैध खनिज की मात्रा (01 टन से 25,000 टन तक, पर रॉयल्टी का दो गुना तथा 25,000 टन से 50,000 टन तक, पर रॉयल्टी का तीन गुना तथा 50,000 टन से 1.00 लाख टन तक, पर रॉयल्टी का चार गुना तथा 01 लाख टन से अधिक, रॉयल्टी का पांच गुना) के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी। सम्बन्धित भण्डरणकर्ता के द्वारा उक्त धनराशि जमा कराये जाने पर खनिज की उक्त मात्रा की निकासी जिला खान अधिकारी द्वारा दी जाएगी। ऐसे अवैध भण्डारण जो बिना अनुमति के पाये जाते हैं को सीज करते हुए भण्डारित खनिज की मात्रा को खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा और ऐसे अधिगृहीत या समपहृत खनिज के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जायेगा। यदि महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से कम का न हो) द्वारा अधिरोपित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा न किये जाने अथवा अधिरोपित धनराशि के विरूद्ध नियम 15 के अन्तर्गत अपील विचाराधीन/निस्तारित न होने पर जिला खान प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारक का ई–पोर्टल बन्द किया जायेगा एवं जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्ति का पर्यवसन कर सकेगा।

इसके अतिरिक्त स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी/ भण्डारणकर्ता के स्वीकृत भण्डारण स्थलों पर क्षमता से अधिक मात्रा में उपखनिज का भण्डारण पाये जाने पर यदि भण्डारण स्थल पर अधिक भण्डारित किये गये खनिज का वैध रवन्ना होने पर या स्टॉक रजिस्टर/ई–रवन्ना पोर्टल पर तत्समय दर्शित मात्रा से कम मात्रा में उपखनिज पाया गया है या अन्य कोई अनियमितताएं पायी गयी हो, जिससे राजस्व की हानि न हुई हो, ऐसे प्रकरणों में पूर्व में अधिरोपित/ विचाराधीन अर्थदण्ड एवं रॉयल्टी की धनराशि को एक मुश्त ₹ 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जायेगा।

(ख) अवैध भण्डारणकर्ता/अवैध खननकर्ता से अधिनियम की धारा 21 की उपधारा (2) एवं उपधारा (5) के अनुसार अवैध उत्खनिज खनिज/परिवहन किये जा रहे अवैध खनिज/भण्डारित अवैध खनिज की मात्रा पर उप नियम (5) (क) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ग) भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर तो 10 प्रतिशत तक के अन्तर को छोड़ते हुए उसके अतिरिक्त प्रतिशत अन्तर पर उपनियम (5) का खण्ड (ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(घ) रिटेल भण्डारणकर्ता द्वारा क्रय एवं विक्रय खनिज का मासिक विवरण निर्धारित प्रारूप पर जिलाधिकारी कार्यालय, राज्य कर (वाणिज्य कर) विभाग एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में आगामी माह की 15 तारीख तक प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

(ड़) अवैध खनन से संलिप्त वाहनों/अवैध भण्डारणों को जब्त करने तथा दण्ड अधिरोपित करने हेतु अधिनियम, की धारा 21 की उपधारा (1), (2), (4A), धारा 22, धारा 23A तथा 23B के अन्तर्गत जनपद के जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी जो कि उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो या महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के प्राधिकृत अधिकारी, जो खान निरीक्षक से अन्यून स्तर का न हो, अधिकृत होंगे, परन्तु जब्त/दण्ड अधिरोपित करते समय महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राधिकृत अधिकारी की उपस्थिति/प्रतिभागिता अनिवार्य होगी।

(च) भण्डारण स्थल के चारों तरफ चाहरदीवारी/कवर्ड फेंसिंग का निर्माण किया जाना होगा, जो खनिज भण्डारण की ऊंचाई से कम से कम 01 मी0 ऊंची होगी। भण्डारण की ऊंचाई का सत्यापन महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी अथवा जिलाधिकारी अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

कच्चे माल/तैयार माल के भण्डारण की ऊंचाई निर्धारित मानक से अधिक होने पर महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा भण्डारणकर्ता पर ₹ दो लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा, जो निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा।

(छ) सरकारी निर्माण कार्यदायी संस्थाओं के अधिकृत ठेकेदारों के द्वारा परियोजनाओं मे प्रयुक्त किये गये उपखनिज ग्रिट आदि हेतु वैद्य ई–रवन्ना प्रपत्र प्रस्तुत न किये जाने पर प्रयुक्त उपखनिज की मात्रा को अवैध मानते हुए उपनियम (5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। ऐसे प्रकरण में परियोजना के सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता/प्रोजेक्ट मेनेजर के द्वारा सन्देहास्पद ई–रवन्ना प्रपत्रों की जांच करने हेतु जिला खान अधिकारी को सूचित किया जायेगा, जिसके द्वारा ई–रवन्ना प्रपत्र अवैध पाये जाने पर उपनियम (5)(ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(ज) राज्य क्षेत्रान्तर्गत स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामियों/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामियों/ अवैध खननकर्ताओं/अवैध खनिज परिवहनकर्ताओं/अवैध खनिज भण्डारणकर्ताओं पर अवैध खनन, भण्डारण व परिवहन के प्रकरणों में अधिरोपित ₹ 2.00 लाख अर्थदण्ड एवं खनिज की मात्रा पर तत्समय प्रचलित रायल्टी का 02 गुना की धनराशि अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण एक मुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme) के अन्तर्गत महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम 58 के अन्तर्गत लगने वाले 24 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज तथा इस संबंध में यदि राजस्व विभाग द्वारा आर०सी० निर्गत की गयी है, तो राजस्व विभाग द्वारा लिये जाने वाले संग्रह शुल्क (Collection Charges) से छूट प्राप्त होगी।

उक्तानुसार एक मुश्त समाधान योजना हेतु आवेदन महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के समक्ष किया जायेगा। महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह प्रावधान उक्त नियमावली के प्रख्यापित होने की तिथि से दिनांक 30.11.2021 तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा।

(झ) जो वाहन राज्य के बाहर से आर०बी०एम० एवं बोल्डर (गौण खनिज एवं मुख्य खनिज को छोड़कर) का ढुलान करते हुए राज्य की सीमा में पकड़ा जायेगा, ऐसे वाहन में लदे आर०बी०एम०, बोल्डर एवं वाहन को जब्त कर

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

लिया जायेगा तथा जब्त किये गये आर०बी०एम०, बोल्डर को नियमानुसार नीलामी के माध्यम से निस्तारित करते हुए जब्त किये गये वाहन के संबंध में उपनियम (2) में दिये गये प्रावधानानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(6) रिटेल भण्डारणों व स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांटों का प्रतिवर्ष (कम से कम एक बार) आधुनिक ड्रोन के माध्यम से सर्वे जिला खान अधिकारी के द्वारा अनुज्ञाधारकों/प्लान्टधारकों के व्यय पर किया जाएगा तथा इसकी रिपोर्ट महानिदेशक को प्रस्तुत की जायेगी। अनियमितता पाये जाने पर संबंधित के विरूद्ध महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

(7) खदान के निकासी गेटों पर स्थापित धर्मकांटों पर आर०एफ०आई०डी० सिस्टम स्थापित किया जाना अनिवार्य होगा।

(8) निदेशालय स्तर पर अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण की रोकथाम हेतु निगरानी प्रकोष्ठ (Monitoring Cell) की स्थापना की जायेगी।

अपील

15. इस नियमावली के अधीन महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पारित किसी आदेश के विरूद्ध, ऐसा आदेश क्षुब्ध पक्षकार को संसूचित किये जाने के दिनांक से 60 दिन के भीतर मण्डल आयुक्त के समक्ष प्रपत्र–"एम" में अपील कर सकेगा।

पुनरीक्षण

16. राज्य सरकार किसी भी समय या तो स्वयं या आदेश की संसूचना के दिनांक से 90 दिन के भीतर प्रार्थना पत्र दिये जाने पर महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी या मण्डल आयुक्त द्वारा इस नियमावली के अधीन पारित किसी आदेश या की गयी किसी कार्यवाही से सम्बन्धित अभिलेख मांग सकती है और उसका परीक्षण कर सकती है और ऐसा आदेश पारित कर सकती है जैसा वह उचित समझे।

अपील/पुनरीक्षण हेतु शुल्क

17. नियम 15 के अन्तर्गत प्रत्येक अपील एवं नियम 16 के अन्तर्गत प्रत्येक पुनरीक्षण हेतु शुल्क ₹ 10,000.00 देय होगा, जो ट्रेजरी चालान के माध्यम से विभागीय लेखाशीर्षक में जमा कराया जायेगा, की प्रति प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न कर प्रस्तुत की जायेगी।

स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (Conciliation/ Committee of Independent Experts) द्वारा वादों का निस्तारण

18. खनिजों से सम्बन्धित वादों के त्वरित निस्तारण हेतु प्रकरण शासन द्वारा स्वतंत्र विशेषज्ञों की सुलह समिति (Conciliation Committee of Independent Experts) को सन्दर्भित किये जा सकेंगे।

निरसन एवं व्यावृत्ति

19. (1) राज्य में इस नियमावली के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रवृत्त, इस नियमावली की तत्स्थानी कोई विधि/नीति (जिन्हें इसके पश्चात् इस नियम में निरसित नियम कहा गया है) को निरसित किया जाता है।

(2) उपनियम (1) द्वारा निरसित नियमों का निरसन कर दिये जाने पर भी –

(क) निरसन और ऐसे प्रारम्भ से ठीक पूर्व प्रवृत्त नियमावली के अधीन निकाली गई कोई अधिसूचना, नियम, विनियम, आदेश या सूचना, अथवा की गयी कोई नियुक्ति या घोषणा, अथवा दी गयी कोई छूट अथवा किया गया कोई अधिहरण या अधिरोपित की गयी कोई शास्ति या जुर्माना, कोई समपहरण, रद्दकरण, अथवा की गयी कोई अन्य बात या कोई अन्य

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

कार्रवाई, जहां तक इस नियमावली के उपबन्धों से असंगत नहीं है, इस नियमावली के तत्स्थानी उपबन्ध के अधीन निकाली गई, किया गया या की गयी समझी जायेगी।

(ख) निरसित नियमावली के अधीन जारी किये गये या दिए गए ठीक हालत में होने के प्रमाण पत्र का या अनुज्ञप्ति का ऐसे प्रारम्भ के पश्चात्, उन्हीं शर्तों के अधीन और उसी अवधि के लिए, बराबर प्रभाव बना रहेगा, मानो कि यह नियमावली पारित ही नहीं हुई है;

परन्तु, इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से पूर्व से स्वीकृत/संचालित खनिज भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृत अवधि तक वैध रहेगी, जिसमें स्वीकृत अनुज्ञा के अनुसार आर०बी०एम० एवं बोल्डर का क्रय/विक्रय किया जा सकेगा।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

अनुसूची
प्रपत्र –"एच"
खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति के लिए आवेदन
(नियम 8 देखिए) दिनांक ....

सेवा में,

जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जनपद ....

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के अधीन खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति दी जाय।

2. उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम 8 के अनुसार आवेदन शुल्क ....ट्रेजरी चालान सं०.................. दिनांक ....को जमा करा दिया गया है।

3. अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये है :–

(i) आवेदन का नाम ....
पिता का नाम ....
अस्थायी पता ....
जी०एस०टी० नं० ....

(ii) भण्डारण हेतु आवेदित क्षेत्र का विवरण
खसरा नं० ....
क्षेत्रफल ....
ग्राम/शहर ....
तहसील ....
जनपद ....

(iii) क्या आवेदक निजी व्यक्ति/निजी कम्पनी/सार्वजनिक कम्पनी/फर्म या संघ है ?

(iv) यदि आवेदक :–

(क) एक व्यक्ति है जो उसकी राष्ट्रीयता : ....

(ख) यदि कम्पनी है तो कम्पनी के पंजीकरण प्रमाण–पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाय।

(ग) फर्म या संघ है तो फर्म के सभी भागीदारों या संघ के सभी सदस्यों की राष्ट्रीयता ....

(घ) आवदेक का व्यवसाय या उसके कारोबार की प्रकृति ....

(ङ) खनिज या खनिजों के नाम, जिन्हें आवेदक भण्डारित करना चाहता है ....

(च) अवधि, जिसके लिये अनुज्ञप्ति अपेक्षित है ....

(v) (क) क्या आवेदक उस भूमि पर सतही अधिकार रखता है, जिसे भण्डारण के लिए वह उपयोग में लाना चाहता है ?

(ख) यदि नहीं, तो क्या भण्डारण के लिए भूमि के स्वामी या अधिभोगी से सहमति प्राप्त कर ली है, यदि हाँ, तो स्वामी या अधिभोगी से प्राप्त लिखित सहमति दाखिल की जाय ....

(vi) भूमि की संक्षिप्त विवरण, विशेष संदर्भ सहित ....

(vii) भण्डारित किये जाने वाले खनिज/खनिजों की मात्रा ....

(viii) खनिज/खनिजों के भण्डारण का उद्देश्य ....

(ix) भण्डारण के लिये उपयोग होने वाली भूमि का मानचित्र ....

(x) भण्डारण आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों की सूची......................

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

मैं/हम एतद्द्वारा घोषणा करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जिसके अन्तर्गत आप द्वारा यथा अपेक्षित यथार्थ नक्शे भी हैं, देने को तैयार हूँ/हैं।

स्थान ....
दिनांक ....

भवदीय,
(आवेदक के हस्ताक्षर और नाम)

प्रपत्र –"आई"
खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञप्ति
(नियम 9 देखिए)

संख्या ....

1- अनुज्ञप्तिधारी का नाम और पूरा पता ....
....
....
....
....

2- अनुज्ञप्ति की अवधि .... से ....तक
3- भण्डारण के लिए अनुज्ञा प्राप्त खनिजों की मात्रा :
4- प्रत्येक खनिज की एक ही समय में अनुज्ञा प्राप्त मात्रा :
5- भण्डारण का प्रयोजन :
6- खनिजों के भण्डारण हेतु उपयोग होने वाली भूमि की अवस्थिति :–

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	मोहल्ला	अवस्थिति
1	2	3	4	5

स्थान ....

दिनांक ....

अनुज्ञापन प्राधिकारी के
हस्ताक्षर तथा मुहर।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड ,देहरादून

प्रपत्र –"जे"
अभिवहन पास (तीन प्रतियों में)
(नियम 5(2) देखिए)

पुस्तक संख्या
अभिवहन पास क्रमांक संख्या

1.	भण्डारण के स्वामी का नाम, पूर्ण पते सहित	दिनांक .... समय
2.	भण्डारण स्थल का विवरण	गाटा संख्या .... ग्राम तहसील एवं जिला ....
3.	सक्षम प्राधिकारी द्वारा दी गयी अनुज्ञा का विवरण	आदेश संख्या .... दिनांक ....
4.	अनुज्ञा की वैध दिनांक	
5.	परिवहन किये जा रहे खनिज / खनिजों का नाम	
6.	निर्गमित किये जा रहे खनिज की मात्रा (घनमीटर में)	
7.	गन्तव्य स्थान	कहां से .... कहां तक ....
8.	वाहन के प्रकार का विवरण (ट्रक, ट्रैक्टर, ट्राली की दशा में वाहन का रजिस्ट्रीकरण संख्या इंगित करें)	प्रकार : (ट्रक / ट्रैक्टर) पंजीकरण संख्याः
9.	परेषण के भारसाधक व्यक्ति के हस्ताक्षर, पूरा नाम पता सहित :	
10.	पास जारी करने वाले व्यक्ति के पूर्ण हस्ताक्षर दिनांक एवं समय सहित :	

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रपत्र –"के"
खनिजों के भण्डारण और प्रेषण का लेखा रजिस्टर
[नियम 13(1) देखिए]

1- भण्डार के स्वामी का नाम पूरा पता सहित :
भण्डारित सामग्री का विवरण :
(I) दिनांक
(II) खनिज/खनिजों का नाम
(III) खनिज/खनिजों की मात्रा
(IV) प्रदायकर्ता/विक्रेता/पट्टाधारक/अनुज्ञा–पत्रधारक का नाम :

2- क्रय किये गये खनिज/खनिजों का विवरण :
(I) (क) एम०एम० 11/प्रपत्र–एन की पुस्तक संख्या एवं क्रम संख्या दिनांक सहित:
(ख) उस पट्टाधारक का अनुज्ञा–पत्र धारक का नाम, जिससे खनिज क्रय किया गया है।
(II) भण्डारण के लिये क्रय किये गये या लाए गये खनिज/खनिजों के परिवहन के प्रकार का विवरण:
(III) भण्डारण के लिये प्राप्त किये गये खनिज के क्रय का मूल्य (पट्टेदार या अनुज्ञा–पत्र धारक होने की दशा में अपेक्षित नहीं है):
(IV) भण्डारण के लिये क्रय की गयी खनिजवार कुल मात्रा:

3- प्रेषण का विवरण :
(I) दिनांक
(II) खनिज/खनिजों का नाम मात्रा सहित :
(III) नियम 6(4) के अधीन यथाविहित जारी किए गये अभिवहन पास की संख्या और दिनांक
(IV) प्रेषण का गन्तव्य स्थान –
कहां से .... कहां को ....
(V) भण्डारण स्थल के बाहर निर्गमित किये गये खनिज/खनिजों के परिवहन के प्रकार का विवरण पंजीकरण संख्या सहित
(VI) परेषण के भारसाधक व्यक्ति का पूरा नाम एवं पता :
(VII) भण्डार से परिवहन किये गये खनिज का विक्रय मूल्य :
(VIII) खनिजवार अतिशेष स्टॉक ।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रपत्र –"एल"
मासिक विवरणी
[देखिए नियम 13(4)]

सेवा में,

1- जिलाधिकारी,
जनपद ....

2. जिला खान अधिकारी,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
जनपद ....

.... माह ....के लिये विवरणी

1. भण्डारण के स्वामी का नाम और पता ....

2. परिसर, जहां खनिजों का भण्डारण किया गया है, की अवस्थिति और स्वामित्व यथा :–
गाटा सं0 .... ग्राम ....
तहसील ....जिला ....

3. खनिज के भण्डारण हेतु जिला प्राधिकारी द्वारा जारी आदेश की संख्या और दिनांक ....
....
....

4. खनिजों के स्टॉक का विवरण जैसा नीचे सतम्भ में दिया गया है :–

खनिज/खनिजों का नाम	प्रत्येक खनिज का प्रारम्भिक स्टॉक (घन मी0 में)	माह के दौरान प्राप्त खनिज/खनिजों की कुल मात्रा (घन मी0 में)	माह के दौरान निर्गमित खनिज/खनिजों की कुल मात्रा (घन मी0 में)	माह के दौरान जारी किये गये अभिवहन पासों की कुल सं0 दिनांक सहित	निर्गम हेतु प्रयोग किये गये ट्रक या ट्रैक्टर या ट्राली की कुल संख्या	परिवहन के प्रकार का विवरण (ट्रक/ट्रैक्टर/ट्राली की रजिस्ट्रीकरण संख्या)	खनिजवार अंतिम स्टॉक (घन मी0 में)	अभ्युक्ति यदि कोई हो
1	2	3	4	5	6	7	8	9

स्थान ....
दिनांक ....

अनुज्ञप्तिधारी के हस्ताक्षर

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रपत्र –"एम"
अपील हेतु आवेदन का आदर्श प्रपत्र
(तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाये)
(नियम 15 देखिए)

सेवा में,

महोदय,

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमवली, 2021 के उपबंधों के अधीन .... द्वारा पारित आदेश सं0 .... दिनांक .... के विरूद्ध एक अपील दायर की जा रही है। अपेक्षित विवरण नीचे दिये गये हैं :–

1. अपील दायर करने वाले व्यवित / व्यक्तियों / फर्म या कम्पनी का नाम और पता..
2. व्यक्ति / व्यक्तियों या फर्म या कम्पनी, का व्यवसाय..
3. उस प्राधिकारी जिसके विरूद्ध अपील दायर की जा रही है, के आदेश संख्या और दिनांक (प्रतिलिपि संलग्न की जाये)..
4. अपीलार्थी / खनिजों, जिसके लिये अपील दायर की जा रही है ....
5. खनिज / खनिजों, जिनके लिये अपील दायर की जा रही है ....
6. उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम 15 में यथा विहित रीति के अपील के लिये जमा किये गये ₹ 10,000 की विहित फीस का विवरण–खजाना चालान सं0 (प्रति संलग्न की जायें) दिनांक ....
7. क्या प्रतिवादित आदेश के संसूचित किये जने के दिनांक के 30 (तीस) दिन के भीतर अपील दायर की गयी है ? ....
8. यदि नहीं तो उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमवाली, 2021 के नियम 15 के अधीन दिये गये उपबन्ध के अनुसार विहित समय सीमा के भीतर प्रस्तुत न किये जाने का कारण ....
9. बनाये गये पक्ष / पक्षकारो, यदि कोई हो, के नाम व पूरे पते ....

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

10. इसके साथ संलग्न अपील की प्रतियों की
    संख्या ....
11. अपील का आधार
    (विवरण पृथक–पृथक प्रस्तुत किये जा सकते हैं)
    (i) संक्षिप्त तथ्य
    (ii) आधार
    (iii) प्रार्थना
12. यदि अपील मुख्तारनामा धारक द्वारा दायर की गयी है, तो ऐसे मुख्तारनामे को संलग्नक किया जाय।

संलग्नक :–

1.
2.
3.

स्थान ....

दिनांक ....

भवदीय,

अपीलार्थी के हस्ताक्षर
और पूरा पता

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रपत्र –"एन"

मुख्य खनिज भण्डारण से परिवहन के लिये अभिवहन पास

(नियम 5 (3) देखिए)

दिनांक .... समय..............................

1- पट्टाधारी या अनुज्ञप्तिधारी का नाम ....
2- खान की अवस्थिति ....
3- खनिज/खनिजों का नाम ....
4- खनिज/खनिजों की मात्रा ....
5- किस प्रयोजन या उद्योग में खनिज का प्रयोग किया जायेगा ....
6- गन्तव्य स्थान ....से ....तक
7- परिवहन साधनों का विवरण (यदि वाहन हो तो उसकी रजिस्ट्रीकरण संख्या)..............................
8- खनिज ले जाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर और अंगुष्ठ चिन्ह ....
9- परेषण के भारसाधक व्यक्ति का पूरा नाम और पता ....
10- परेषण के भारसाधक व्यक्ति के पूर्ण हस्ताक्षर ....
11- अभिवहन पास जारी करने वाले व्यक्ति का नाम सहित पूर्ण हस्ताक्षर ....

टिप्पणी : (1) प्रतिपर्ण खान में रख लिया जायेगा।

(2) दो प्रतिपर्ण परेषण के भारसाधक व्यक्ति को दिये जायेंगे, जिसमें से एक प्रतिपर्ण पास को जांच करने वाले सरकारी सेवक द्वारा ले लिया जायेगा।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रपत्र– "क"

मुख्य खनिजों के खनन पट्टों से खनिज के परिवहन का प्रपत्र

(नियम 5(1) देखिए)

दिनांक .... समय ....

1. खनन पट्टाधारक का नाम ....
2. खदान का नाम व उसकी स्थिति..............................
3. खनिज/खनिजों का नाम ....
4. खनिज/खनिजों की मात्रा..............................
5. खदान से बाहर भेजे गये खनिज की मात्रा..............................
6. खनिज का उपयोग किस कार्य अथवा उद्योग में किया जायेगा।
7. गन्तव्य स्थान कहाँ से.............................. कहाँ तक..............................
8. खनिज किस वाहन से भेजा जा रहा .... है, उसका विवरण (यदि मोटर गाड़ी/ट्रक से भेजा जा रहा हो, तो उसकी निबन्धन सं0 लिखी जाय और यदि अन्य साधनों से भेजा जाय, तो उसका विवरण दिया जाय।)
9. खनिज ले जाने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर अथवा अंगूठा ।
10. प्रेषण प्रभारी व्यक्ति का विवरण।
    (क) प्रेषण प्रभारी व्यक्ति का नाम....................
    (ख) पता....................
11. पास जारी करने वाले व्यक्ति का विवरण ।
    (क) प्रेषण प्रभारी व्यक्ति का नाम....................
    (ख) पता....................

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रपत्र एच–1

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना हेतु मक/उपखनिज के भण्डारण व निकासी के लिए आवदेन पत्र का प्रारूप

(तीन प्रतियों मे प्रस्तुत किया जायेगा)

आवेदन प्राप्ति का दिनांक........................

सेवा में,

महानिदेशक,
भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई,
उद्योग निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

महोदय,

मैं/हम निवेदन करता/करती हूँ/करते हैं कि मुझे/हमें उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 के नियम 8 के अनुसार राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना के निर्माण स्थल/परियोजना के टनल, Open excavation व रिवर ट्रेनिंग स्थलों से निकलने वाले मक/उपखनिज के भण्डारण एवं प्रयोग की अनुमति परियोजना की अवधि तक दी जाये।

2. उक्त नियमावली के नियम 8 के अधीन प्रार्थना पत्र के संबंध में निर्धारित शुल्क ₹ 50,000/– कोषागार चालान संख्या........................दिनांक....................के द्वारा निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा कर दिया गया है।

3. अवधि, जिसके लिए अनुमति अपेक्षित है:–..

4. आवेदक का नाम व पूरा पता..

5. परियोजना निर्माण स्थल/टनल क्षेत्र का नाम..

6. परियोजना निर्माण स्थल/टनल का क्रमांक ....

7. परियोजना निर्माण स्थल/टनल की कटाई की चौड़ाई/माप..

8. परियोजना निर्माण स्थल/टनल की लम्बाई/माप.. ....

9. यदि परियोजना निर्माण स्थल/टनल की अतिरिक्त अन्य स्थान पर खुदाई कर उपखनिज उपयोग किया जाना हो, का विवरण..............

10. Open excavation क्षेत्र की स्थिति व माप ....

11. डम्पिंग साईट का विवरण..

12. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित मात्रा (घनमीटर में) ....व Open excavation से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित मात्रा (घनमीटर में)..

14. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा मे उपयोगार्थ मक (Muck)/उपखनिज की मात्रा (घनमीटर मे) ....व Open excavation से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा मे उपयोगार्थ मक (Muck)/उपखनिज की मात्रा (घनमीटर मे)..........................

15. कोई अन्य विवरण या रेखा–मानचित्र (स्कैच मैप) जो आवेदक प्रस्तुत करना चाहें..

मैं/हम एतदद्वारा घोषण करता हूँ/करते हैं कि ऊपर दिये गये समस्त विवरण सही हैं और मैं/हम कोई अन्य विवरण, जो आपके द्वारा अपेक्षित हों, देने को तैयार हूँ/हैं।

दिनांक........................

आवेदक के हस्ताक्षर।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

प्रपत्र एच–2

मक/उपखनिज के भण्डारण व निकासी के लिए संयुक्त निरीक्षण आख्या का प्रारूप

1. आवेदक का नाम व पूरा पता..

2. राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना स्थल/टनल क्षेत्र का नाम..

3. परियोजना निर्माण स्थल/टनल का क्रमांक ....

4. परियोजना निर्माण स्थल/टनल की कटाई की चौड़ाई/माप...

5. परियोजना निर्माण स्थल/टनल की लम्बाई/माप..

6. यदि परियोजना निर्माण स्थल/टनल की अतिरिक्त अन्य स्थान पर खुदाई कर उपखनिज उपयोग किया जाना हो, का विवरण...

7. Open excavation क्षेत्र की स्थिति व माप ....

8. डम्पिंग साईट का विवरण..

9. परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकलने वाले मक (Muck) की आंगणित कुल मात्रा...............

11. परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा मे से उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज की मात्रा (घनमीटर में) ....

12. परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार Open excavation से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा (घनमीटर में)..................

12. परियोजना के डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार Open excavation से निकलने वाले मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा मे से उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज की मात्रा (घनमीटर मे)..

13. मौका निरीक्षण के समय परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकाले गये मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा (घनमीटर में)................

14. मौका निरीक्षण के समय परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकाले गये मक (Muck)/उपखनिज मं से उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज की आंगणित कुल मात्रा (घनमीटर मैं).. ....

15. मौका निरीक्षण के समय परियोजना निर्माण स्थल/टनल से निकाले गये मक (Muck)/उपखनिज की कुल क्रमिक मात्रा (घनमीटर में).........तथा उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज की कुल क्रमिक मात्रा (घनमीटर मैं)...

16. मौका निरीक्षण के समय Open excavation से निकाले गये मक (Muck)/उपखनिज की कुल क्रमिक मात्रा (घनमीटर में).......तथा उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज की कुल क्रमिक मात्रा (घनमीटर में)....

17. डी0पी0आर0 (Detail Project Report) के अनुसार प्रस्तावित उपयोगार्थ (Usable) मक/उपखनिज की कुल मात्रा (घनमीटर में) ....के सापेक्ष परियोजना निर्माण स्थल/टनल से समिति द्वारा आंगणित उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज की कुल क्रमिक मात्रा (घनमीटर में)........................ .... में अन्तर (घनमीटर में).........................

18. डी0पी0आर0 (Detail Project Report) व समिति द्वारा आंगणित उपयोगार्थ (Usable) मक (Muck)/उपखनिज के क्रमिक योग में अन्तर अधिक है तो अन्तर के सापेक्ष भुगतान की जाने वाली रॉयल्टी व अन्य देयों की धनराशि (₹ में)...................... और यदि अन्तर कम है तो समायोजित की जाने वाली रॉयल्टी की धनराशि (₹ में)..

....

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

19. अवधि, जिसके लिए अनुमति अपेक्षित है..

20. गठित समिति की संस्तुति:–

राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजना के अभियन्ता (सिविल),
(सदस्य)

संबंधित जिलाधिकारी द्वारा नामित अपर जिलाधिकारी (सदस्य)	प्रमुख वन संरक्षक (HOFF), उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित वन संरक्षक स्तर का अधिकारी (सदस्य)

प्रमुख मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी (सदस्य)	प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा नामित मुख्यालय में पदस्थापित अधीक्षण अभियन्ता स्तर का अधिकारी (सदस्य)	महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड द्वारा नामित अपर निदेशक/संयुक्त निदेशक स्तर के अधिकारी (संयोजक)

आज्ञा से,
आर० मीनाक्षी सुन्दरम,
सचिव।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

पी०एस०यू० (आर०ई०) 09 औ०वि० / 531–2021–100+200 (कम्प्यूटर / रीजियो)।

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या:2891/VII-A-1/2023–03(102)2021
देहरादून, दिनांक: 15 नवम्बर, 2023

अधिसूचना सं0 2882/VII-A-1/2023–03(102)2021, दिनांक 14 नवम्बर, 2023 द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2023 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. सचिव–मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी (मा0 विभागीय मंत्री जी) के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मण्डलायुक्त, कुमांऊ/गढवाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
7. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण सिंह)
अपर सचिव

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग–1
संख्या– 2882/VII-A-1/2023–03(102)2021
देहरादूनः दिनांकः 14 नवम्बर, 2023

अधिसूचना

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, वर्ष 1957) की धारा 23 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैः–

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2023

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ	1	(1). इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली, 2023 है। (2). यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।
नियम 5 के उपनियम 2 का संशोधन	2	उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में निचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–1 के नियम 5(2) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–(5)(2) खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक (स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट /हॉट मिक्स प्लांट/ रेडिमिक्स प्लान्ट के भण्डारण अनुज्ञाधारक एवं रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक, मण्डारण स्थल से विधिपूर्ण राज्य के अन्तर्गत खनिजों के परिवहन के लिए ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र प्रपत्र–"जे" में तथा राज्य के बाहर प्रपत्र–"जे" (ओ0एस0) में अभिवहन पास जारी करेगा; परन्तु राज्य के बाहर से आर०बी०एम० एवं बोल्डर (गौण खनिज, मुख्य खनिज, ग्रिट व डस्ट को छोड़कर) का परिवहन सामान्यतः अनुमन्य नहीं होगा। अत्यन्त विशेष परिस्थितियों में केवल राजकीय कार्य हेतु राज्य सरकार द्वारा यह परिवहन निर्धारित शर्तों के अधीन सीमित अवधि के लिए अनुमन्य किया जा सकेगा।	खनिजों के भण्डारण हेतु अनुज्ञाधारक (स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लान्ट के भण्डारण अनुज्ञाधारक एवं रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक, भण्डारण स्थल से विधिपूर्ण राज्य के अन्तर्गत खनिजों के परिवहन के लिए ई–पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र प्रपत्र–"जे" में तथा राज्य के बाहर प्रपत्र–"जे" (ओ0एस0) में अभिवहन पास जारी करेगा; राज्य के बाहर से खनिजों (उपखनिज/ मुख्य खनिज) का परिवहन किये जा रहे वाहनों पर रू0 07/– प्रति कु0 की दर से खनिज विनियमन शुल्क (Mineral Regulating Fees) निम्नानुसार अवधारित करते हुए अधिरोपित किया जायेगा :– अन्य राज्य से खनिज लेकर आने वाले वाहन के स्वामी द्वारा भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के विभागीय पोर्टल https://dgmappl.uk.gov. in/ पर इन्टर स्टेट ट्रांजिट पास लॉगिन पर जाकर पंजीकरण कराना होगा। पंजीकरण मूल सूचनाओं यथा–वाहन

परिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड ,देहरादून

स्वामी/वाहन चालक का नाम, पिता का नाम, निवास का पता, मोबाईल नम्बर के आधार पर किया जायेगा।

उक्त सूचनाओं को पूर्ण करने के उपरान्त वाहन स्वामी/वाहन चालक के रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर लॉगिन आई०डी० व पासवर्ड उपलब्ध होगा।

लॉगिन आई०डी० व पासवर्ड के आधार पर परिवहनकर्ता ई–पेमेन्ट के माध्यम से भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के निर्धारित लेखा शीर्षक (0853–00–102–01–00) मे खनिज विनियमन शुल्क (Mineral Regulating Fees) की धनराशि को जमा कर सकेगा। प्रत्येक परिवहन के अवसर पर अभिवहन पास से सम्बन्धित विवरणों, जैसे–अन्य प्रदेशों के अभिवहन प्रपत्र का क्रमांक व दिनांक, प्रदेश व जनपद जो लॉगिन पर प्रदर्शित होगा, को अंकित किये जाने के उपरान्त परिवहन किये जाने वाली मात्रा के अनुसार खनिज विनियमन शुल्क (Mineral Regulating Fees) की कटौती होने के साथ ही रजिस्टर्ड मोबाईल नम्बर पर अर्न्तराज्यीय अभिवहन पास (ISTP) जनित होगा।

अन्य राज्यों से उत्तराखण्ड मे आने वाले खनिजों के वाहनों पर उस राज्य के वैद्य अभिवहन प्रपत्र के साथ–साथ उत्तराखण्ड की अर्न्तराष्ट्रीय अभिवहन पास (ISTP) की प्रति संलग्न होने पर ही सम्बन्धित खनिजों का परिवहन विधिमान्य होगा।

नियम 14 के उपनियम 5(क) का संशोधन

3. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–3 के नियम 14(5)(क) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
नियम–(14)(5)(क) यदि भण्डारणों में कोई अवैधता पाई जाती है तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा भण्डारण स्थल को सीज करते हुए अनुज्ञाधारक को उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष 15 दिन के भीतर	यदि भण्डारणों में कोई अवैधता पाई जाती है तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (नायब तहसीलदार के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा भण्डारण स्थल को सीज करते हुए अनुज्ञाधारक को उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जायेगा और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो), द्वारा अवैध खनिज की मात्रा (01 टन से 25,000 टन तक, पर रॉयल्टी का दो गुना तथा 25,000 टन से 50,000 टन तक, पर रॉयल्टी का तीन गुना तथा 50,000 टन से 1.00 लाख टन तक, पर रॉयल्टी का चार गुना तथा 01 लाख टन से अधिक, रॉयल्टी का पांच गुना) के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी। सम्बन्धित भण्डरणकर्ता के द्वारा उक्त धनराशि जमा कराये जाने पर खनिज की उक्त मात्रा की निकासी जिला खान अधिकारी द्वारा दी जाएगी। ऐसे अवैध भण्डारण जो बिना अनुमति के पाये जाते हैं को सीज करते हुए भण्डारित खनिज की मात्रा को खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा और ऐसे अधिगृहीत या समपहृत खनिज के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जायेगा। यदि महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उपजिलाधिकारी के स्तर से कम का न हो) द्वारा अधिरोपित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा न किये जाने अथवा अधिरोपित धनराशि के विरूद्ध नियम 15 के अन्तर्गत अपील विचाराधीन/निस्तारित न होने पर जिला खान प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारक का ई-पोर्टल बन्द किया जायेगा एवं जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्ति का पर्यवसन कर सकेगा।

इसके अतिरिक्त स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी/ भण्डारणकर्ता के स्वीकृत भण्डारण स्थलों पर क्षमता से अधिक मात्रा में उपखनिज

नोटिस दिया जायेगा और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (नायब तहसीलदार के स्तर से अन्यून न हो), द्वारा अवैध खनिज की मात्रा पर प्रथम बार मे रॉयल्टी का दो गुना तथा इसके पश्चात् रॉयल्टी का तीन गुना तक के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी। सम्बन्धित भण्डरणकर्ता के द्वारा उक्त धनराशि जमा कराये जाने पर खनिज की उक्त मात्रा की निकासी दिये जाने के सम्बन्ध मे ई-रवन्ना पोर्टल मे संशोधन किये जाने हेतु जिला खान अधिकारी के द्वारा निदेशालय को पत्र प्रेषित किया जायेगा। ऐसे अवैध भण्डारण जो बिना अनुमति के पाये जाते हैं, को सीज करते हुए भण्डारित खनिज की मात्रा को खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा और ऐसे अधिगृहीत या समपहृत खनिज के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जायेगा। यदि महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (नायब तहसीलदार के स्तर से कम का न हो) द्वारा अधिरोपित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा न किये जाने अथवा अधिरोपित धनराशि के विरुद्ध नियम 15 के अन्तर्गत अपील विचाराधीन/ निस्तारित न होने पर जिला खान प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारक का ई-पोर्टल बन्द किया जायेगा एवं जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्ति का पर्यवसन कर सकेगा।

इसके अतिरिक्त स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी/भण्डारणकर्ता के स्वीकृत भण्डारण स्थलों पर क्षमता से अधिक मात्रा में उपखनिज का भण्डारण पाये जाने पर यदि भण्डारण स्थल पर अधिक भण्डारित किये गये खनिज का वैध रवन्ना होने पर या स्टॉक रजिस्टर/ई-रवन्ना पोर्टल पर तत्समय दर्शित मात्रा से कम मात्रा में

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

का भण्डारण पाये जाने पर यदि भण्डारण स्थल पर अधिक भण्डारित किये गये खनिज का वैध रवन्ना होने पर या स्टॉक रजिस्टर/ ई–रवन्ना पोर्टल पर तत्समय दर्शित मात्रा से कम मात्रा में उपखनिज पाया गया है या अन्य कोई अनियमितताएं पायी गयी हो, जिससे राजस्व की हानि न हुई हो, ऐसे प्रकरणों में पूर्व में अधिरोपित/विचाराधीन अर्थदण्ड एवं रॉयल्टी की धनराशि को एक मुश्त रू0 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जायेगा।	उपखनिज पाया गया है या अन्य कोई अनियमितताएं पायी गयी हो, जिससे राजस्व की हानि न हुई हो, ऐसे प्रकरणों में उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) का नियमावली 2021 के प्रख्यापन से पूर्व अधिरोपित/विचाराधीन अर्थदण्ड एवं रॉयल्टी की धनराशि को एक मुश्त रू0 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास(खनन) अनुभाग–1
संख्याः L(B7)/VII-A-1/2024-03(102)2021
देहरादूनः दिनांक 7 मार्च, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, वर्ष 1957) की धारा 23 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 में संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1). इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 2024 है।
(2). यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 14 के उपनियम (5) (ज) का संशोधन

2. उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–3 के नियम 14 के उपनियम (5) (ज) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
राज्य क्षेत्रान्तर्गत स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामियों/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामियों/अवैध खननकर्ताओं/अवैध खनिज परिवहनकर्ताओं/अवैध खनिज भण्डारण कर्ताओं पर अवैध खनन, भण्डारण व परिवहन के प्रकरणों में अधिरोपित रू0 2.00 लाख अर्थदण्ड एवं खनिज की मात्रा पर तत्समय प्रचलित रायल्टी का 02 गुना की धनराशि अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण एक मुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme) के अन्तर्गत महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2001 के नियम 58 के अन्तर्गत लगने वाले 24 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज तथा इस संबंध में यदि राजस्व विभाग द्वारा आर०सी० निर्गत की गयी है, तो राजस्व विभाग द्वारा लिये जाने वाले संग्रह शुल्क (Collection Charges) से छूट प्राप्त होगी।	'राज्य क्षेत्रान्तर्गत स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामियों/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामियों/अवैध खननकर्ताओं/अवैध खनिज परिवहनकर्ताओं/अवैध खनिज भण्डारणकर्ताओं पर अवैध खनन, भण्डारण व परिवहन के प्रकरणों में पूर्व से आरोपित/अधिरोपित जुर्माना धनराशि की मात्रा पर तत्समय प्रचलित रायल्टी का 02 गुना की धनराशि अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण एक मुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme) के अन्तर्गत महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा किया जा सकेगा। ऐसे प्रकरणों में उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 58 के अन्तर्गत लगने वाले 24 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज से छूट प्रदान करते हुए अधिरोपण की तिथि से प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत साधारण ब्याज लिया जायेगा तथा इस संबंध में यदि राजस्व विभाग द्वारा आर०सी० निर्गत की गयी है, तो राजस्व विभाग द्वारा लिये जाने वाले संग्रह शुल्क (Collection Charges) से छूट प्राप्त होगी।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

Letter 2024

Scanned with CamScanner

उक्तानुसार एक मुश्त समाधान योजना हेतु आवेदन महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड के समक्ष किया जायेगा। महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा प्राप्त आवेदनों का निस्तारण किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह कि यह प्रावधान उक्त नियमावली के प्रख्यापित होने की तिथि से दिनांक 30.11.2021 तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा।	उक्तानुसार एक मुश्त समाधान योजना हेतु ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 03 माह की समयावधि के भीतर किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह है कि उक्त प्रावधान इस नियमावली के संशोधन के प्रख्यापन होने की तिथि से 03 माह तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा। उक्तानुसार की गई व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा एक मुश्त समाधान योजना का लाभ न लिये जाने की दशा में पूर्व से अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि जमा कराई जानी अनिवार्य होगी, अन्यथा की दशा में सम्बन्धित का ई-रवन्ना पोर्टल तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जायेगा।'

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

Letter 2024

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास(खनन) अनुभाग–1

संख्या 610 / VII-A-1 / 2024–03(102)2021

देहरादून: दिनांक 21 जून, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, वर्ष 1957) की धारा 23 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 में संशोधन की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1). इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (तृतीय संशोधन) नियमावली, 2024 है।

   (2). यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 14 के उपनियम (5) (ज) का संशोधन

2. उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 (जिसे आगे मूल नियमावली कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये विद्यमान अध्याय–3 के नियम 14 के उपनियम (5) (ज) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
"राज्य क्षेत्रान्तर्गत स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामियों / स्क्रीनिंग प्लांट स्वामियो / अवैध खननकर्ताओं / अवैध खनिज परिवहनकर्ताओं / अवैध खनिज भण्डारणकर्ताओं पर अवैध खनन, भण्डारण व परिवहन के प्रकरणों में पूर्व से आरोपित / अधिरोपित जुर्माना धनराशि की मात्रा पर तत्समय प्रचलित रायल्टी का 02 गुना की धनराशि अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण एक मुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme) के अन्तर्गत महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा किया जा सकेगा।	"राज्य क्षेत्रान्तर्गत स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामियों / स्क्रीनिंग प्लांट स्वामियों / अवैध खननकर्ताओं / अवैध खनिज परिवहनकर्ताओं / अवैध खनिज भण्डारणकर्ताओं पर अवैध खनन, भण्डारण व परिवहन के प्रकरणों में दिनांक 07.03.2024 (संगत नियमावली के द्वितीय संशोधन के प्रख्यापन की तिथि) से पूर्व आरोपित / अधिरोपित जुर्माना धनराशि की मात्रा पर तत्समय प्रचलित रायल्टी का 02 गुना की धनराशि अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण एक मुश्त समाधान योजना (One Time Settlement Scheme) के अन्तर्गत महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा किया जा सकेगा।
ऐसे प्रकरणों में उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 58 के अन्तर्गत लगने वाले 24 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज से छूट प्रदान करते हुए अधिरोपण की तिथि से प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत साधारण ब्याज लिया जायेगा तथा इस संबंध में यदि राजस्व विभाग द्वारा	ऐसे प्रकरणों में उत्तराखण्ड उपखनिज (परिहार) नियमावली, 2023 के नियम 58 के अन्तर्गत लगने वाले 24 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज से छूट प्रदान करते हुए अधिरोपण की तिथि से प्रतिवर्ष 5 प्रतिशत साधारण ब्याज लिया जायेगा तथा इस संबंध में यदि राजस्व विभाग द्वारा आर०सी० निर्गत की

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

Letter 2024

आर०सी० निर्गत की गयी है, तो राजस्व विभाग द्वारा लिये जाने वाले संग्रह शुल्क (Collection Charges) से छूट प्राप्त होगी।	गयी है, तो राजस्व विभाग द्वारा लिये जाने वाले संग्रह शुल्क (Collection Charges) से छूट प्राप्त होगी।
उक्तानुसार एक मुश्त समाधान योजना हेतु ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 03 माह की समयावधि के भीतर किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह है कि उक्त प्रावधान इस नियमावली के संशोधन के प्रख्यापन होने की तिथि से 03 माह तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा।	उक्तानुसार एक मुश्त समाधान योजना हेतु ऑनलाईन/ऑफलाईन आवेदन महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 02 माह की समयावधि के भीतर किया जायेगा, प्रतिबन्ध यह है कि उक्त प्रावधान इस नियमावली के प्रख्यापन होने की तिथि से अग्रेत्तर 02 माह तक ही प्रवृत्त एवं प्रभावी होगा।
उक्तानुसार की गई व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा एक मुश्त समाधान योजना का लाभ न लिये जाने की दशा में पूर्व से अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि जमा कराई जानी अनिवार्य होगी, अन्यथा की दशा में सम्बन्धित का ई-रवन्ना पोर्टल तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जायेगा।"	उक्तानुसार की गई व्यवस्था के अन्तर्गत सम्बन्धित द्वारा एक मुश्त समाधान योजना का लाभ न लिये जाने की दशा में पूर्व से अधिरोपित सम्पूर्ण धनराशि जमा कराई जानी अनिवार्य होगी, अन्यथा की दशा में सम्बन्धित का ई-रवन्ना पोर्टल तत्काल प्रभाव से बन्द कर दिया जायेगा।"

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

Letter 2024

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या 1679 /VII-A-1/2024–03(102)/2021
देहरादून: दिनांक 25 सितम्बर, 2024

कार्यालय ज्ञाप संख्या 1568/VII-A-1/2024–03(102)/2021 दिनांक 18 सितम्बर, 2024 द्वारा निर्गत 'उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2024 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है–

1. सचिव–मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी (मा0 विभागीय मंत्री जी) के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव–मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. आयुक्त, गढवाल/कुमांऊ मण्डल पौडी/नैनीताल।
4. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त नीति को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां ओद्यौगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन का यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हनुमान प्रसाद तिवारी)
उप सचिव

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 1568/VII-A-1/2024–03(102)2021
देहरादून, दिनांकः 18 सितम्बर, 2024

अधिसूचना

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (अधिनियम संख्या 67, वर्ष 1957) की धारा 23 ग द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली, 2021 व उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (संशोधन) नियमावली 2023 में संशोधन करने की दृष्टि से निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नियमावली का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) (चतुर्थ संशोधन) नियमावली, 2024 है।
(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

नियम 7 में उपनियम (4), (5) एवं (6) का अंतःस्थापन

2. **मूल नियमावली के अध्याय–दो के नियम 7 के उपनियम (3) के पश्चात उपनियम (4), (5) एवं (6) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–**

(4) खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त होने वाले समस्त वाहनों पर जी0पी0एस लगाया जाना अनिवार्य होगा तथा जी0पी0एस0 व धर्मकांटा को भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड के विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल के साथ इन्टीग्रेट किया जायेगा।

(5) खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त होने वाले भारी वाहनों का परिवहन मार्ग उपजिलाधिकारी/जिला खान अधिकारी के द्वारा वाहन स्वामियों के आपसी समन्वय से निर्धारित किया जायेगा एवं निर्धारित मार्ग में पड़ने वाले चैक पोस्टों पर सम्बन्धित वाहनों के द्वारा ई–रवन्ना प्रपत्रों की जाँच करायी जायेगी, बिना वैध ई–रवन्ना एवं निर्धारित मार्ग से अन्यत्र मार्ग में परिवहन करते पाये जाने वाले वाहन पर लदे उपखनिजों को अवैध मानते हुए ऐसे पकड़े गये वाहनों पर जिला खान अधिकारी के द्वारा नियम–14 के उपनियम–2 के अनुसार कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

(6) खनिजों के परिवहन में प्रयुक्त होने वाले वाहनों के आगे एवं पीछे स्पष्ट वाहन संख्या आदि प्रदर्शित होनी अनिवार्य होगी, बिना वाहन संख्या अथवा अस्पष्ट वाहन संख्या एवं बिना वैध ई–रवन्ना प्रपत्र के खनिजों का परिवहन किये जाने वाले वाहन स्वामी के विरूद्ध इस नियमावली के नियम–14 के उपनियम–2 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी तथा वाहन में लदे उपखनिज को वाहन स्वामी के द्वारा जिस स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/रिटेल भण्डारणकर्ता/अनुज्ञाधारक आदि से लाया गया है, के विरूद्ध जिला खान अधिकारी के द्वारा जाँचोपरान्त रू0 05 लाख अर्थदण्ड अधिरोपित कर वसूल किया जायेगा।

नियम 8 का संशोधन

3. **मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये अध्याय–तीन के नियम 8 के उपनियम (1) (3) (4) एवं (5) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–**

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
8.(1) इस नियमावली के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खनिजों के रिटेल भण्डारण हेतु आवेदन कोई भी व्यक्ति/संस्था/फर्म/ कम्पनी	8.(1) इस नियमावली के अन्य उपबन्धों के अधीन रहते हुए, खनिजों के रिटेल भण्डारण हेतु आवेदन कोई भी व्यक्ति/संस्था/फर्म

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

Scanned with CamScanner

सम्बन्धित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई कार्यालय मे निर्धारित प्रपत्र–"एच" में चार प्रतियों में वांछित वांछित अभिलेखों एव निर्धारित आवेदन शुल्क सहित प्रस्तुत करेगा। आवेदन की एक प्रति पावती के रूप में आवेदक को हस्ताक्षर कर वापस कर दी जायेगी। कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र एव संलग्नक/अभिलेखों का परीक्षण कर, अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराते हुए गठित समिति से स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही हेतु 01 सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी को संदर्भित किया जायेगा;

परन्तु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट एवं पल्वराईजर प्लान्ट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति में निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) भण्डारण अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु जिला खान अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने के 01 सप्ताह के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में स्वयं के व्यय पर विज्ञप्ति, जिसमें आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो, इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि जो निर्धारित दूरी 100 मीटर के अन्तर्गत निवासरत हो तथा खनिज भण्डारण के प्रस्तावित स्थल से प्रभावित हो अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है तो सम्बन्धित उपजिलाधिकारी एवं भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय अधिकारी द्वारा आपत्तिकर्ता एवं आवेदक को सुनने के उपरान्त युक्तियुक्त निर्णय हेतु जिलाधिकारी को अवगत कराया जायेगा। जिलाधिकारी प्रकरण पर 30 दिन के भीतर निर्णय लेंगे अन्यथा की स्थिति में आपत्ति स्वीकार मानी जायेगी अर्थात् भण्डारण आवेदन निरस्त

/कम्पनी सम्बन्धित जनपद के भूतत्व एवं खनिकर्म कार्यालय मे निर्धारित प्रपत्र–"एच" में चार प्रतियों में वांछित निर्धारित प्रपत्र –"एच" में चार प्रतियों में वांछित अभिलेखों एवं निर्धारित आवेदन शुल्क सहित प्रस्तुत करेगा। आवेदन की एक प्रति पावती के रूप में आवेदक को हस्ताक्षर कर वापस कर दी जायेगी। कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं संलग्नक/अभिलेखों का परीक्षण कर, अपूर्ण अभिलेखों को पूर्ण कराया जायेगा तथा अभिलेखों को पूर्ण कराये जाने के उपरान्त गठित समिति के द्वारा 01 सप्ताह के अन्तर्गत स्थलीय निरीक्षण की कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

परन्तु स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्क्रीनिग प्लान्ट, हॉट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट एवं पल्वराईजर प्लान्ट परिसर में उपखनिजों के भण्डारण हेतु आवेदन, राज्य सरकार द्वारा उत्तराखण्ड स्टोन क्रेशर, स्क्रीनिंग प्लान्ट, मोबाईल स्टोन क्रेशर, मोबाईल स्कीनिंग प्लान्ट, पल्वराईजर प्लान्ट, हाट मिक्स प्लान्ट, रेडिमिक्स प्लान्ट अनुज्ञा नीति मे निर्धारित प्रपत्र में प्रस्तुत किया जायेगा।

(3) भण्डारण अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु जिला खान अधिकारी कार्यालय में निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन प्रस्तुत करने के 01 सप्ताह के अन्तर्गत आवेदक द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में स्वयं के व्यय पर विज्ञप्ति, जिसमें आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो, इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि जो निर्धारित दूरी 100 मीटर के अन्तर्गत निवासरत हो तथा खनिज भण्डारण के प्रस्तावित स्थल से प्रभावित हो अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है तो सम्बन्धित तहसीलदार व जिला खान अधिकारी के द्वारा आपत्तिकर्ता एवं आवेदक को एक माह

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

Scanned with CamScanner

माना जायेगा प्रकाशित विज्ञप्ति में निर्धारित समयावधि के अन्तर्गत यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त नहीं होती है अथवा जिलाधिकारी द्वारा भण्डारण अनुज्ञाधारक के पक्ष में निर्णय लिया जाता है, तो जिलाधिकारी द्वारा अनुज्ञा स्वीकृति हेतु कार्यवाही की जायेगी।	के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा तथा सुनवाई के उपरान्त युक्तियुक्त निर्णय लिया जायेगा। यदि सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी आपत्तिकर्ता उपस्थित नही होता है तो आपत्तिकर्ता की आपत्ति निरस्त समझी जायेगी।
परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।	परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।
(4) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तावित भण्डारण स्थल अनुज्ञा स्वीकृति हेतु समिति द्वारा उपयुक्त न पाये जाने पर संबंधित जिलाधिकारी द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुये आवेदनकर्ता को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा;	(4) आवेदक द्वारा आवेदन पत्र में प्रस्तावित भण्डारण स्थल अनुज्ञा स्वीकृति हेतु समिति द्वारा उपयुक्त न पाये जाने पर संबंधित जिला खान अधिकारी के द्वारा कारणों का उल्लेख करते हुये आवेदनकर्ता को लिखित रूप से सूचित किया जायेगा;
परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।	परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।
(5) आवेदित भण्डारण स्थल की संयुक्त जांच के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:– 1. संबंधित उप जिलाधिकारी – अध्यक्ष। 2. महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी – सदस्य सचिव।	(5) आवेदित भण्डारण स्थल की संयुक्त जांच के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है:– 1. जिला खान अधिकारी – अध्यक्ष। 2. तहसीलदार – सदस्य।
परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।	परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

नियम 9 के उपनियम 1 का संशोधन

4. **मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये अध्याय–तीन के नियम 9 के उपनियम 1 के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात:–**

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
9.1. राज्य क्षेत्रान्तर्गत रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा गठित समिति की संस्तुति पर जिलाधिकारी के द्वारा 05 वर्ष की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।	9.1. राज्य क्षेत्रान्तर्गत रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा गठित समिति की संस्तुति पर निदेशक के द्वारा 05 वर्ष तक की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।

नियम 9 में उपनियम 5 एवं 6 का अंतःस्थापन

5. **मूल नियमावली के अध्याय–तीन के नियम 9 के उपनियम 4 के पश्चात उपनियम 5 एवं 6 को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–**

5. शहरी क्षेत्रान्तर्गत संचालित ऐसे फुटकर रिटेल खनिज विक्रेता भण्डारणों को विनियमित करने

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

Scanned with CamScanner

के उद्देश्य से शहरी क्षेत्रों में रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा स्वीकृति हेतु आवेदन जिला खान अधिकारी के जनपदीय कार्यालय मे किया जायेगा, तत्पश्चात् जॉचोपरान्त् दूरी के मानकों, धर्मकांटा एवं सी0सी0टी0वी0 कैमरा स्थापित किये जाने मे छूट प्रदान करते हुए रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा जिला खान अधिकारी की संस्तुति आख्या पर सम्बन्धित मण्डल के संयुक्त निदेशक अथवा निदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा (अधिकतम 200 घनमीटर तक तैयार माल हेतु) 05 वर्ष तक की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी। इस हेतु अनुज्ञा शुल्क नियम–8 के उपनियम (2)1 के अनुसार देय होगा। उक्त रिटेल भण्डारणकर्ताओं को विभागीय ई–रवन्ना पोर्टल पर पंजीकरण कराया जाना अनिवार्य होगा।

6. उक्त नियमावली के प्रख्यापन के उपरान्त उपखनिज आर0बी0एम0/बोल्डर्स के भण्डारण की अनुमति मात्र स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/पट्टाधारक/खनन अनुज्ञाधारक एवं उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली 2023 के नियम–69 के अन्तर्गत चयनित ठेकेदार को होगी। इसके अतिरिक्त रिटेल भण्डारणकर्ताओं को केवल तैयार माल (रेता, बजरी, ग्रिट, डस्ट) के क्रय–विक्रय की अनुमति होगी तथा पूर्व से स्वीकृत रिटेल भण्डारणकर्ताओं को रिटेल भण्डारण स्थल पर उपखनिज आर0बी0एम0/बोल्डर्स के क्रय–विक्रय की अनुमति स्वीकृत अवधि तक ही मान्य होगी।

नियम 11 में संशोधन

6. मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये अध्याय–तीन के नियम 11 उपनियम (1) के स्थान पर स्तम्भ 2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
11.(1) रिटेल भण्डारण के नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने के दिनांक से कम से कम 02 माह पूर्व, नियम 8 के उपनियम (2) में निर्धारित आवेदन/अनुज्ञा शुल्क एवं अनुज्ञप्ति के विवरण सहित भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का जांच/परीक्षण करने तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने के उपरान्त जिला खान अधिकारी के द्वारा 01 सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित जिलाधिकारी को अग्रसारित किया जायेगा। जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति से इस नियमावली के उपबन्धों के अधीन रहते हुए 15 दिन के अन्तर्गत जांच करायी जायेगी। गठित समिति की आख्या के आधार पर रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण जिलाधिकारी के द्वारा याचित अवधि अथवा 05 (पांच) वर्ष की अवधि हेतु नवीनीकृत किया जायेगा।	11.(1) रिटेल भण्डारण के नवीनीकरण हेतु आवेदन अनुज्ञप्ति की अवधि समाप्त होने के दिनांक से कम से कम 02 माह पूर्व नियम 8 के उपनियम (2) में निर्धारित आवेदन/अनुज्ञा शुल्क एवं अनुज्ञप्ति के विवरण सहित भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के जनपदीय कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। कार्यालय द्वारा आवेदन पत्र एवं आवेदन पत्र के साथ संलग्न अभिलेखों का जांच/परीक्षण करने तथा समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराने के उपरान्त जिला खान अधिकारी के द्वारा 01 सप्ताह के अन्तर्गत सम्बन्धित तहसीलदार के साथ संयुक्त निरीक्षण कर संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित निदेशक को प्रस्तुत की जायेगी। निदेशक द्वारा संयुक्त निरीक्षण आख्या के आधार पर रिटेल भण्डारण की अनुज्ञा का नवीनीकरण याचित अवधि अथवा 05 (पांच) वर्ष तक की अवधि हेतु किया जायेगा। यदि रिटेल भण्डारणकर्ता के द्वारा पूर्व स्वीकृत भण्डारण अनुज्ञा के क्षेत्रफल मे संशोधन किया जाता है तो उस हेतु रिटेल भण्डारणकर्ता के द्वारा स्थानीय समाचार पत्र में स्वयं के व्यय पर विज्ञप्ति, जिसमें

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

Scanned with CamScanner

आवेदक का नाम, पता व आवेदित स्थल का पूर्ण विवरण उल्लिखित हो, इस आशय से प्रकाशित की जायेगी कि यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि जो निर्धारित दूरी 100 मीटर के अन्तर्गत निवासरत हो तथा खनिज भण्डारण के नवीनीकरण हेतु प्रस्तावित स्थल से प्रभावित हो अथवा उन्हें कोई आपत्ति हो, तो वे अपनी आपत्ति विज्ञप्ति प्रकाशन के 15 दिवस के अन्तर्गत सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे।

प्रकाशित विज्ञप्ति के उपरान्त यदि किसी स्थानीय व्यक्ति/संस्था/विभाग आदि की आपत्ति प्राप्त होती है तो सम्बन्धित तहसीलदार व जिला खान अधिकारी के द्वारा आपत्तिकर्ता एवं आवेदक को एक माह के अन्तर्गत सुनवाई का अवसर प्रदान किया जायेगा तथा सुनवाई के उपरान्त युक्तियुक्त निर्णय लिया जायेगा। यदि सुनवाई का अवसर प्रदान किये जाने के उपरान्त भी आपत्तिकर्ता उपस्थित नही होता है तो आपत्तिकर्ता की आपत्ति निरस्त समझी जायेगी।

परन्तु उक्त प्रावधान राष्ट्रीय/राज्य महत्व की परियोजनाओं की कार्यदायी संस्थाओं तथा उनके अनुबन्धित ठेकेदार पर लागू नहीं होगा।

नियम 12 के उपनियम (5) में संशोधन

7. **मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ 1 में दिये गये अध्याय–तीन के नियम 12 के उपनियम (5) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–**

स्तम्भ–1 विद्यमान नियम	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम
12(5) अनुज्ञाधारक द्वारा भण्डारण स्थल के परिसर में इलैक्ट्रोनिक तोल मशीन तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश व निकासी गेटों पर सी०सी०टी०वी० कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञाधारक द्वारा स्थापित सी०सी०टी०वी० की रिकॉर्डिंग को संरक्षित रखा जायेगा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा समय–समय पर औचक निरीक्षण के समय रिकॉर्डिंग मांगे जाने पर, प्रस्तुत करेगा। यदि निरीक्षण के दौरान सी०सी०टी०वी० बन्द अथवा खराब पाया जाता है या उपलब्ध करायी गयी रिकॉर्डिंग मे कोई गड़बड़ी पायी जाती है तो अनुज्ञाधारक के ऊपर रू० 250/– प्रति मिनट की दर से अर्थदण्ड	12(5) अनुज्ञाधारक द्वारा भण्डारण स्थल के परिसर में इलैक्ट्रोनिक तोल मशीन तथा भण्डारण स्थल, प्रवेश व निकासी गेटों पर सी०सी०टी०वी० कैमरा स्वयं के व्यय पर स्थापित करना अनिवार्य होगा। अनुज्ञाधारक द्वारा स्थापित सी०सी०टी०वी० की रिकॉर्डिंग को न्यूनतम 30 दिन तक संरक्षित रखा जायेगा तथा सक्षम अधिकारी द्वारा रिकॉर्डिंग मांगे जाने पर प्रस्तुत करेगा। यदि निरीक्षण के दौरान सी०सी०टी०वी० बन्द अथवा खराब पाया जाता है या उपलब्ध करायी गयी रिकॉर्डिंग मे कोई गड़बड़ी पायी जाती है या मॉगे जाने पर रिकॉर्डिंग प्रस्तुत नही की

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

Scanned with CamScanner

अधिरोपित किया जायेगा, जो कि अनुज्ञाधारक के द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक मे जमा कराया जाना होगा। | जाती है तो अनुज्ञाधारक के ऊपर रू0 दो लाख अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

नियम 12 के उपनियम (2)(iii), (11) एवं (12) का अंतःस्थापन

8. **मूल नियमावली के अध्याय–तीन के नियम 12 के उपनियम (2) (ii) के पश्चात (2)(iii) एवं उपनियम (10) के पश्चात (11) एवं (12) को निम्नवत अंतः स्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:–**

(2) (iii) स्वस्थाने किस्म की चट्टानों पर आधारित खनिजों यथा सोपस्टोन, मैग्नेसाईट आदि के भण्डारण हेतु निम्नलिखित मानक होंगे :–

क–धार्मिक स्थल से दूरी–50 मी0
ख–शैक्षणिक संस्थान से दूरी–50 मी0
ग–अस्पताल से दूरी–50 मी0
घ–रेल मार्ग से दूरी–10 मी0
ड– नदी (Perennial River) से दूरी–50 मी०
च–सरकारी वन से दूरी–10 मी0

(11) कोई भी रिटेल भण्डारणकर्ता भण्डारण स्थल से अन्य रिटेल भण्डारणकर्ता को खनिज का क्रय–विक्रय नही करेगा।

(12) निदेशालय/जनपद स्तर पर समय–समय पर ई–रवन्ना पोर्टल की जाँच किये जाने अथवा शिकायत प्राप्त होने पर स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/मोबाइल स्टोन क्रेशर/मोबाइल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडीमिक्स प्लांट/रिटेल भण्डारणकर्ता आदि के द्वारा ई–रवन्ना प्रपत्रों का दुरूपयोग किये जाने अथवा ई–रवन्ना प्रपत्र मे दूरी, गन्तव्य स्थान, वाहन संख्या आदि को गलत अंकित किये जाने एवं अन्य कोई अनियमितता की पुष्टि होने पर ई–रवन्ना पोर्टल को अस्थायी रूप से निलम्बित करते हुए नियमावली के नियम–14 (5) (क) के अनुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा।

नियम 14 के उपनियम (2), (4)(क), (5)(क) एवं (5)(ग) में संशोधन

9. **मूल नियमावली के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये अध्याय–तीन के नियम 14 के उपनियम (2), (4)(क), (5)(क), (5)(ग) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया नियम रख दिया जायेगा, अर्थातः–**

स्तम्भ–1
विद्यमान नियम

14.(2) खनिज का अवैध परिवहन किये जाने पर निम्नानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा :–

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	अधिरोपित किये जाने वाले अर्थदण्ड (रू0 मे)	अधिरोपित की जाने वाली रायल्टी का गुणांक
1.	04 पहिया यूटीलिटी एवं छोटे वाहन	5,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य

स्तम्भ–2
एतद्द्वारा प्रतिस्थापित नियम

14.(2) खनिज का अवैध परिवहन किये जाने पर निम्नानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा :–

क्र. सं.	वाहन का प्रकार	अधिरोपित किये जाने वाले अर्थदण्ड (रू0 लाख में)	अधिरोपित की जाने वाली रायल्टी का गुणांक
1.	बुग्गी	0.02	
2.	पिकअप	0.10	वाहन मे लदे अवैध

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

Scanned with CamScanner

2.	06 पहिया यूटीलिटी	7,500	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
3.	02 पहिया ट्रैक्टर ट्राली	10,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
4.	04 पहिया ट्रैक्टर ट्राली	15,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
5.	06 पहिया ट्रक	30,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
6.	06 पहिया से अधिक ट्रक डम्पर हाईवा आदि हेतु	50,000	वाहन में लदा हुआ अवैध खनिज की मात्रा का बाजार मूल्य
7.	जे0सी0बी0	2,00,000	बिना अनुमति प्रयोग की दशा में
8.	पोकलैण्ड	4,00,000	बिना अनुमति प्रयोग की दशा में

(4)(क) एक वर्ष के अन्तर्गत 02 या उससे अधिक बार अवैध खनिज परिवहनकर्ता एवं वाहनस्वामी पर उपनियम (2) में निर्धारित अर्थदण्ड के अनुसार धनराशि अधिरोपित की जायेगी और यदि वाहन तीसरी बार अवैध खनिज परिवहन में पकड़ा जाता है तो आदतन अपराधी मानते हुए पकड़े गये वाहन को जब्त कर राज्य सरकार में समाहित कर राज्य सम्पत्ति घोषित कर दिया जायेगा।

3.	ट्रैक्टर/ट्रॉली या ट्रैक्टर (बैक कराह/लोडर व अन्य कोई स्वरूप परिवर्तित किये जाने पर)	0.20	खनिज की मात्रा पर रॉयल्टी का पाँच गुना
4.	06 टायरा ट्रक/डम्पर/टिपर	0.30	
5.	10 टायरा ट्रक/डम्पर/टिपर/हाईवा	1.00	
6.	10 टायरा से अधिक टायरों युक्त ट्रक/डम्पर आदि	2.00	
7.	जे0सी0बी0	2.00	बिना अनुमति के प्रयोग की दशा मे।
8.	पोकलैण्ड	5.00	

(4)(ख) यदि किसी स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/पल्वराइजर प्लांट अनुज्ञाधारक द्वारा किसी खनन सत्र (वर्ष 01 अक्टूबर से 30 जून तक) की अवधि में 02 बार से अधिक कोई अवैध अनियमितता पाई जाती है तो जिला खान अधिकारी एवं महानिदेशक/निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर शासन द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

मोबाईल स्टोन क्रेशर/मोबाईल स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/रेडिमिक्स प्लांट/रिटेल भण्डारण अनुज्ञाधारक द्वारा किसी खनन सत्र (वर्ष 01 अक्टूबर से 30 जून तक) की अवधि में 02 बार से अधिक कोई अवैध अनियमितता पाई जाती है तो जिला

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

Scanned with CamScanner

(5)(क) यदि भण्डारणों में कोई अवैधता पाई जाती है तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (नायब तहसीलदार के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा भण्डारण स्थल को सीज करते हुए अनुज्ञाधारक को उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जायेगा और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (नायब तहसीलदार के स्तर से अन्यून न हो), द्वारा अवैध खनिज की मात्रा पर प्रथम बार मे रॉयल्टी का दो गुना तथा इसके पश्चात् रॉयल्टी का तीन गुना तक के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी। सम्बन्धित भण्डरणकर्ता के द्वारा उक्त धनराशि जमा कराये जाने पर खनिज की उक्त मात्रा की निकासी दिये जाने के सम्बन्ध में ई–रवन्ना पोर्टल में संशोधन किये जाने हेतु जिला खान अधिकारी द्वारा निदेशालय को पत्र प्रेषित किया जायेगा। ऐसे अवैध भण्डारण जो बिना अनुमति के पाये जाते हैं को सीज करते हुए भण्डारित खनिज की मात्रा को खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा और ऐसे अधिगृहीत या समपहृत खनिज के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जायेगा। यदि महानिदेशक या महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (नायब तहसीलदार के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा अधिरोपित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा न किये जाने अथवा अधिरोपित धनराशि के विरूद्ध नियम 15 के अन्तर्गत अपील विचाराधीन/निस्तारित न होने पर जिला खान प्राधिकारी द्वारा अनुज्ञाधारक का ई–पोर्टल बन्द किया जायेगा एवं जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत अनुज्ञप्ति का पर्यवसन कर सकेगा।

इसके अतिरिक्त स्टोन क्रेशर प्लांट स्वामी/स्क्रीनिंग प्लांट स्वामी/ भण्डारणकर्ता के स्वीकृत भण्डारण स्थलों पर क्षमता से अधिक मात्रा में उपखनिज का भण्डारण पाये जाने पर यदि भण्डारण स्थल पर अधिक भण्डारित किये गये खनिज का वैध रवन्ना होने पर या स्टॉक खान अधिकारी की संस्तुति पर महानिदेशक /निदेशक द्वारा प्लांट स्वामी को सुनवाई का युक्ति–युक्त अवसर प्रदान करने के उपरान्त गुण–दोष के आधार पर अनुज्ञा रद्द करने का निर्णय लिया जायेगा।

एक खनन सत्र (वर्ष 01 अक्टूबर से 30 जून तक) के अन्तर्गत 02 बार तक खनिज का अवैध परिवहन करने पर वाहनस्वामी पर नियमावली के नियम–14 के उपनियम (2) के अनुसार अर्थदण्ड अधिरोपित किया जायेगा और यदि वाहन तीसरी बार अवैध खनिज परिवहन में पकड़ा जाता है तो आदतन अपराधी मानते हुए पकड़े गये वाहन को जब्त कर राज्य सरकार में समाहित कर राज्य की सम्पत्ति घोषित कर दिया जायेगा, जिसकी नीलामी कर प्राप्त धनराशि को विभागीय लेखा शीर्षक मे जमा किया जायेगा।

(5)(क) यदि भण्डारणों में कोई अवैधता/अनियमितता पाई जाती है तो महानिदेशक/निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा भण्डारण स्थल को सीज/ई–रवन्ना पोर्टल को बन्द करते हुए अनुज्ञाधारक को उक्त के सम्बन्ध में अपना पक्ष 15 दिन के भीतर प्रस्तुत करने हेतु नोटिस दिया जायेगा और यदि नियत समय के भीतर अनुज्ञाधारक का कोई स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं होता है अथवा अनुज्ञाधारक द्वारा प्रस्तुत किया गया स्पष्टीकरण/साक्ष्य संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो महानिदेशक/निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो), द्वारा अवैध खनिज की मात्रा पर प्रथम बार मे रॉयल्टी का तीन गुना तथा इसके पश्चात् रॉयल्टी का चार गुना के समतुल्य धनराशि अधिरोपित की जायेगी। (किसी व्यक्ति/संस्था/फर्म/कम्पनी आदि के नाम एक से अधिक अनुज्ञा स्वीकृत होने पर यदि एक अनुज्ञा स्थल पर अर्थदण्ड आरोपित किया जाता है अथवा उक्त नियमावली के प्रख्यापन से पूर्व आरोपित किया गया है तो

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

Scanned with CamScanner

रजिस्टर/ई-रवन्ना पोर्टल पर तत्समय दर्शित मात्रा से कम मात्रा में उपखनिज पाया गया है या अन्य कोई अनियमितताएं पायी गयी हो, जिससे राजस्व की हानि न हुई हो, ऐसे प्रकरणो मे उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) का नियमावली 2021 के प्रख्यापन से पूर्व अधिरोपित /विचाराधीन अर्थदण्ड एवं रॉयल्टी की धनराशि को एक मुश्त रू0 5.00 लाख का अर्थदण्ड अधिरोपित कर ऐसे प्रकरणों का निस्तारण, महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय द्वारा किया जायेगा।

(5)(ग) भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर तो 10 प्रतिशत तक के अन्तर को छोड़ते हुए उसके अतिरिक्त प्रतिशत अन्तर पर उपनियम (5) का खण्ड (ख) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

दूसरे अनुज्ञा स्थल पर अर्थदण्ड रॉयल्टी के चार गुना के समतुल्य धनराशि आरोपित की जायेगी)।

सम्बन्धित भण्डरणकर्ता के द्वारा उक्त अधिरोपित धनराशि जमा कराये जाने पर खनिज की उक्त मात्रा की निकासी जिला खान अधिकारी की संस्तुति पर निदेशक के द्वारा दी जाएगी।

यदि भण्डारण की जांच/पैमाईश के उपरान्त भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता के द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर कम पायी जाती है तो सम्बन्धित के विरूद्ध उक्तानुसार धनराशि आरोपित करते हुये कम पायी गयी उपखनिज की मात्रा को सम्बन्धित के Capacity in Hand में अंकित उपखनिज की मात्रा से कम कर दी जायेगी।

यदि महानिदेशक/निदेशक या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी, जिलाधिकारी या जिलाधिकारी द्वारा प्राधिकृत अधिकारी (उप जिलाधिकारी के स्तर से अन्यून न हो) द्वारा अधिरोपित धनराशि निर्धारित लेखाशीर्षक में जमा न किये जाने अथवा अधिरोपित धनराशि के विरूद्ध नियमावली के नियम 15 के अधीन 60 दिन के अन्तर्गत अपील प्रस्तुत की जायेगी, यदि अपील प्रस्तुत नही की जाती है या प्रस्तुत अपील पर कोई स्थगन आदेश पारित नही होता है तो जिला खान अधिकारी द्वारा सम्बन्धित अनुज्ञाधारक का ई-पोर्टल बन्द कर दिया जायेगा।

ऐसे अवैध भण्डारण, जो बिना अनुमति के पाये जाते हैं, को सीज करते हुए भण्डारित खनिज की मात्रा (100 घनमीटर तक) को मौके पर ही खुली नीलामी (जिसका आधार मूल्य तत्समय प्रचलित रॉयल्टी का दोगुना होगा) के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा और ऐसे अधिगृहीत या समपहृत खनिज के परिवहन हेतु जिला खान अधिकारी के द्वारा निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जायेगा तथा 100 घनमीटर से अधिक उपखनिज की नीलामी (जिसका आधार मूल्य तत्समय प्रचलित रॉयल्टी का दो गुना होगा) हेतु सम्बन्धित जिला खान अधिकारी के द्वारा

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

Scanned with CamScanner

स्थानीय समाचार पत्र मे विज्ञप्ति प्रकाशित करते हुए खुली नीलामी के माध्यम से निस्तारित किया जायेगा, जिसमें प्रतिभाग किये जाने हेतु आवेदन शुल्क रू0 10,000/- देय होगा, जो कि निर्धारित विभागीय लेखा शीर्षक मे जमा किया जायेगा और ऐसे अधिगृहीत या समपहृत खनिज के परिवहन हेतु निर्धारित परिवहन प्रपत्र जारी किया जायेगा।

(5)(ग) भण्डारण की जांच/पैमाइश के उपरान्त यदि भण्डारित उपखनिज की मात्रा भण्डारणकर्ता द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों एवं वास्तविक पैमाईश के अनुसार मिलान करने पर 5 प्रतिशत के अन्तर को छोड़ते हुए उसके अतिरिक्त प्रतिशत अन्तर पर नियमावली के नियम 14 के उपनियम (5) का खण्ड (क) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

नियम 14 के उपनियम (4)(ग), (5)(ञ), (9), (10), (11) एवं (12) का अंतःस्थापन

10. **मूल नियमावली के अध्याय-तीन के नियम 14 के उपनियम (4)(ख) के पश्चात (4)(ग) व (5)(झ) के पश्चात (5)(ञ) एवं (8) के पश्चात उपनियम (9), (10), (11) एवं (12) को निम्नवत अंतःस्थापित कर दिया जायेगा, अर्थात्:-**

(4)(ग). खनिजों के अवैध उत्खनन, भण्डारण, परिवहन तथा अभिवहन प्रपत्र मे उल्लिखित मात्रा से अधिक मात्रा मे उपखनिज का परिवहन पाये जाने पर पुलिस के द्वारा इसकी सूचना खनन विभाग/राजस्व विभाग को दी जायेगी तदोपरान्त् उनके द्वारा नियम-14 के उपनियम-5 (क) व नियम-14 के उपनियम-(2) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(5)(ञ). उत्तराखण्ड उप-खनिज परिहार नियमावली 2023 के नियम-69 के अन्तर्गत जिन जनपदों मे ठेकेदार का चयन किया गया है, उन जनपदो मे स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर्स/स्क्रीनिंग प्लान्ट्स /रिटेल भण्डारण आदि मे अवैध भण्डारित उपखनिज पर आरोपित/अधिरोपित धनराशि जमा किये जाने के उपरान्त अवैध भण्डारित उपखनिज की मात्रा की निकासी/रॉयल्टी प्रदान किये जाने पर उक्त धनराशि को चयनित ठेकेदार के पक्ष मे उच्च बोली की धनराशि के सापेक्ष समायोजित किया जायेगा, परन्तु ऐसे प्रकरणों (अवैध खनन/अवैध परिवहन) मे जहाँ उपखनिज की निकासी/रॉयल्टी प्रदान नही की जानी है, मे अधिरोपित धनराशि को चयनित ठेकेदारों के पक्ष में समायोजित नही किया जायेगा।

उक्त स्वीकृत भण्डारण/अनुज्ञा स्थलों आदि के अतिरिक्त अन्य स्थलों पर अवैध रूप से भण्डारित उपखनिज को चयनित ठेकेदार के द्वारा तत्समय प्रचलित रॉयल्टी के दो गुने की दर से धनराशि जमा किये जाने पर उक्त उपखनिज को अवमुक्त किया जायेगा तथा उक्त धनराशि को चयनित ठेकेदार के पक्ष मे समायोजित किया जायेगा।

यदि चयनित ठेकेदार के द्वारा उक्त अवैध रूप से भण्डारित उपखनिज को स्वयं अधिगृहीत या समपहृत नही किया जाता है तो उक्त अवैध रूप से भण्डारित उपखनिज को नियमावली के नियम-14.(5)(क) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।

(9) अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण की प्रभावी रोकथाम हेतु निदेशालय स्तर पर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की अध्यक्षता मे प्रवर्तन दल (Enforcement Cell) का गठन किया जायेगा, जिसके द्वारा अवैध खनन/परिवहन/भण्डारण की शिकायत प्राप्त होने पर या समय-समय पर आकस्मिक छापेमारी सुनिश्चित की जायेगी।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

Scanned with CamScanner

(10) यदि ऐसी भूमि, जो कि भूस्वामी के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को किसी भी प्रकार की अनुज्ञा हेतु वैद्य किरायेदारी पर दी गयी है, मे अनुज्ञा समाप्ति के उपरान्त किसी भी प्रकार का अवैध खनन/भण्डारण पाये जाने पर उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित भूस्वामी की होगी।

(11) राज्य क्षेत्रान्तर्गत स्वीकृत/संचालित स्टोन क्रेशर/स्क्रीनिंग प्लांट/हॉट मिक्स प्लांट/मोबाईल स्टोन क्रेशर/रेडिमिक्स प्लांट/रिटेल भण्डारण आदि अनुज्ञाधारकों के द्वारा क्रय उपखनिज सामग्री से सम्बन्धित लम्बित ई-रवन्ना प्रपत्रों की वैद्यता समाप्त होने के दिनांक व समय से 72 घंटे के भीतर Receive न किये जाने पर Unreceive ई-रवन्ना प्रपत्र स्वतः ही विलोपित हो जायेंगे। विलोपित ई-रवन्ना प्रपत्र में अंकित उपखनिज की मात्रा को अनुज्ञाधारकों के Capacity in Hand (CIH) में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(12) खनिजों के परिवहन की व्यवस्था को प्रभावी रूप से विनियमित किये जाने हेतु ई-रवन्ना पोर्टल मे समय-समय पर आवश्यकतानुसार अपडेटेशन की कार्यवाही एवं ई-रवन्ना प्रपत्रों के दुरूपयोग को रोके जाने के उद्देश्य से ई-रवन्ना प्रपत्रों को डिजिटल किये जाने तथा हाई सिक्योरिटी पेपर पर निर्गत किये जाने की कार्यवाही निदेशक के द्वारा की जायेगी।

(13) **अन्तराज्यीय अभिवहन विनियमन शुल्क**-उत्तराखण्ड उप-खनिज परिहार नियमावली 2023 के नियम-69 के अन्तर्गत जिन जनपदों मे ठेकेदार का चयन किया गया है, उन जनपदों मे अन्तराज्यीय अभिवहन विनियमन शुल्क के रूप मे जमा की जाने वाली धनराशि को चयनित ठेकेदार के द्वारा जमा की जाने वाली उच्चतम बोली की धनराशि मे समायोजित किया जायेगा।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

Scanned with CamScanner

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्या–1924/VII-A-1/2021/05(28)/2021
देहरादूनः दिनांकः 10 नवम्बर, 2021

कार्यालय संख्या–1873/VII-A-1/2021/05(28)/2021, दिनांक 10 नवम्बर, 2021 द्वारा उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 की प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मण्डलायुक्त, कुमायूं/गढ़वाल, नैनीताल/पौड़ी, उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. निदेशक, एन.आई.सी., सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
(लक्ष्मण सिंह)
संयुक्त सचिव।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1
संख्याः 1873/VII-A-1/2021–05(28)/2021
देहरादून,दिनांकः 10 नवम्बर, 2021

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, राज्य के नदी तल क्षेत्रान्तर्गत ऐसे स्थल जो चुगान हेतु स्वीकृत/चिन्हित नहीं है तथा जहां वर्षा ऋतु के उपरान्त अत्यधिक मात्रा में मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट जमा होने से नदी के तट कटाव एवं जान–माल एवं आबादी को क्षति होने की सम्भावना रहती है, से मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट को हटाने/निस्तारित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड रिवर ट्रेनिंग नीति, 2020 एवं इस विषय पर विद्यमान समस्त नीतियों, शासनादेश व आदेशों को अधिक्रमित करते हुए नदी/जलाशय/नहरों में अत्यधिक मात्रा में निक्षेपित/जमा मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट, जिससे भू–कटाव एवं जान–माल का खतरा होने की संभावना है, से मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट हटाने/निस्तारित किये जाने हेतु उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 बनाये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1. (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 है।
   (2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

परिभाषाएं

2. (1) इस नीति में जब तक इस सन्दर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो–
   (क) "राज्यपाल" से उत्तराखण्ड का राज्यपाल अभिप्रेत है;
   (ख) "सरकार" से उत्तराखण्ड राज्य सरकार अभिप्रेत है;
   (ग) "आयुक्त" से किसी मण्डल के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी अभिप्रेत है;
   (घ) "कलेक्टर" से किसी जिले के राजस्व प्रशासन का मुख्य भारसाधक अधिकारी/अध्यक्ष जिला आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण अभिप्रेत है;
   (ङ) "महानिदेशक" से महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उत्तराखण्ड अभिप्रेत है;
   (च) "महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" से जिला स्तर पर तैनात सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी, उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी अभिप्रेत है;
   (छ) "स्थानीय अधिकारी" से नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला बोर्ड का निकाय या अन्य प्राधिकारी जो क्रमशः नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम और जिला पंचायत के नियंत्रण या प्रबन्ध का सरकार द्वारा न्यस्त कार्य करता है, अभिप्रेत है;
   (ज) "व्यक्ति" से कोई कम्पनी या संगम या व्यष्टि निकाय, चाहे निगमित हो या नहीं अभिप्रेत है;
   (झ) "रिवर ड्रेजिंग" से नदी के जल प्रवाह को यथा सम्भव प्राकृतिक रूप में नदी/जलाशय/नहर के मध्य में केन्द्रित करने सम्बन्धी कार्य अभिप्रेत है;
   (ट) "आर०बी०एम०/सिल्ट निस्तारण" से नदी के जल प्रवाह को नदी के मध्य

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

में केन्द्रित करने हेतु नदी/जलाशय/नहर में निक्षेपित मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट की सफाई/हटाना अभिप्रेत है;

(ठ) "राष्ट्रीय महत्व की केन्द्र/राज्य सरकार की परियोजनाओं" से राष्ट्रीय राजमार्ग/राज्य मार्ग निर्माण, जल विद्युत परियोजना, रेलवे परियोजना आदि अभिप्रेत है।

(ड) "केन्द्र/राज्य सरकार की कार्यदायी संस्थाओं" से राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, बी.आर.ओ., रेल विकास निगम, टी.एच.डी.सी. एन.एच.पी.सी. एन.टी.पी.सी., सी.पी.डब्ल्यू.डी., पी.डब्ल्यू.डी. यू.जे.वी.एन.एल. आदि अभिप्रेत हैं।

(2) "शब्द और पद" जो इस नीति में परिभाषित नहीं है परन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित है, के वही अर्थ होंगे जो उनके लिए उक्त अधिनियम में दिये गये है;

रिवर ड्रेजिंग क्षेत्रों का चिन्हीकरण, सत्यापन एवं मात्रा का आंकलन

3. (1) ऐसे क्षेत्र जहां नदी/गदेरों/जलाशय/नहर के द्वारा मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट अत्यधिक मात्रा में निक्षेपित/जमा किया गया है तथा जिसके जमा होने से भू-कटाव एवं जान-माल का खतरा होने की सम्भावना है, का चिन्हीकरण, स्थल का सत्यापन व जमा सिल्ट/आर०बी०एम० की मात्रा का आंकलन किये जाने हेतु जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित क्षेत्र के उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता मे निम्नानुसार समिति गठित की जायेगी:-

(क) उपजिलाधिकारी	—	अध्यक्ष
(ख) प्रभागीय वनाधिकारी के प्रतिनिधि	—	सदस्य
(ग) सिंचाई विभाग के सहायक अभियन्ता	—	सदस्य
(घ) भू-वैज्ञानिक/खान अधिकारी	—	सदस्य
(ड़) अन्य विभाग, जो आवश्यक समझा जाय	—	सदस्य

(2) चिन्हित क्षेत्रों में निक्षेपित/जमा मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट की मात्रा का आंकलन तथा उक्त मात्रा की निकासी/निस्तारण हेतु समयावधि का निर्धारण गठित समिति के द्वारा अपनी आख्या में किया जायेगा।

चिन्हित स्थलों में जमा मलवा/आर०बी०एम० /सिल्ट हटाये जाने की प्रक्रिया

4. समिति द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में निक्षेपित/जमा मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट को हटाने/निस्तारित किये जाने हेतु जिलाधिकारी के द्वारा जनपद स्तर के इच्छुक व्यक्तियों/ संस्थाओं से आवेदन प्राप्त करने हेतु खुली नीलामी (Open Auction) की विज्ञप्ति जारी की जायेगी। मलवे को हटाने/निस्तारण के लिये खुली नीलामी (Open Auction) में प्रतिभाग करने हेतु आवेदक के पास निम्न अभिलेख होने अनिवार्य होंगे:-

1. स्थायी निवास प्रमाण पत्र।
2. खान अधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन अदेयता प्रमाण पत्र।
3. जी०एस०टी० नं०।
4. ब्लैक लिस्ट न होने सम्बन्धी शपथ पत्र।
5. मूल्यांकित धनराशि के 25 प्रतिशत राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक ड्राफ्ट।

परन्तु उक्त प्राविधान राष्ट्रीय महत्व की केन्द्र/राज्य सरकार की परियोजनाओं पर लागू नहीं होगा।

ड्रेजिंग कार्य की समय सीमा

5. (क) आपदा प्रभावित/सम्भावित क्षेत्रों का चिन्हांकन का कार्य प्रत्येक वर्ष संबंधित जिले के जिलाधिकारी द्वारा 15 नवम्बर तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

(ख) चिन्हित क्षेत्रों से मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट को हटाने/निस्तारित किये जाने के लिये) की कार्यवाही माह दिसम्बर तक अनिवार्य रूप से पूर्ण करते खुली नीलामी (Open Auction हुए कार्य आदेश निर्गत कर दिया जायेगा।

(ग) मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट को हटाने/निस्तारित किये जाने का कार्य, कार्य आदेश के पश्चात अनिवार्यतः 30 जून तक पूर्ण करा लिया जायेगा।

(घ) कार्य आदेश के उपरान्त ड्रेजिंग कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं प्रत्येक 30 दिन के अन्तराल पर ड्रोन सर्वे का कार्य अनुज्ञाधारक के व्यय पर जिला खान अधिकारी द्वारा कराया जायेगा, जिसकी सूचना मय ड्रोन फोटोग्राफ संबंधित जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को उपलब्ध करायी जायेगी।

रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञा की स्वीकृति एवं अनुज्ञा अवधि	6.	आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट निस्तारित किये जाने हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा संबंधित जिलाधिकारी के द्वारा अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।
मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट निस्तारित किये जाने हेतु अनुमत गहराई	7.	मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट की निकासी/निस्तारण सतह से अधिकतम 03 मीटर की गहराई अथवा ग्राउण्ड वाटर लेवल जो भी न्यून हो, तक की जायेगी।
मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट निस्तारित किये जाने की विधि एवं पद्धति	8.	मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट का निस्तारण सफाई के कार्य हेतु चिन्हित क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, पत्थरों/बोल्डर्स के आकार की प्रकृति एवं नदी/नहर के चैनेलाईजेशन को वास्तविक रूप देने तथा आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत त्वरित गति से कार्य के निस्तारण के उद्देश्य से नदी/नहर के दोनों किनारों से एक चौथाई भाग छोड़ते हुए गठित समिति की संस्तुति पर नदी पुल से अपस्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 100–100 मीटर छोड़ते हुए, आवश्यकतानुसार मशीनों यथा जे०सी०बी०, पोकलैण्ड आदि का उपयोग अनुमन्य होगा।
मलवा/आर०बी०एम० /सिल्ट निस्तारण के सापेक्ष देय धनराशि	9.	मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट का निस्तारण उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001(समय–समय पर यथासंशोधित) व सुसंगत विधिक प्रावधानों के अनुसार किया जायेगा तथा हटाये गये मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट पर रॉयल्टी के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्धारित शुल्क/टैक्स लिया जायेगा। मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट निस्तारण हेतु रायल्टी के अतिरिक्त स्टाम्प शुल्क, जिला खनिज फाउन्डेशन में अंशदान तथा क्षतिपूर्ति हेतु निर्धारित शुल्क अनिवार्य रूप से देय होगा।
विविध	10.	(1) ऐसे चिन्हित क्षेत्र, जो ई–निविदा सह ई–नीलामी प्रक्रिया के अन्तर्गत आशय पत्र धारित क्षेत्रों को छोड़कर, जहां प्रति वर्ष मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट निक्षेपित/जमा होने से आबादी व कृषि भूमि प्रभावित हो रही हो, को चिन्हित कर मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट की सफाई उक्त प्रक्रिया के अन्तर्गत की जायेगी।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड ,देहरादून

(2) राष्ट्रीय महत्व की केन्द्र/राज्य सरकार की परियोजनाओं के निर्माण कार्य सरकारी कार्यदायी संस्थाओं के द्वारा निर्धारित समयान्तर्गत पूर्ण कराये जाने के उद्देश्य से उक्त परियोजनाओं के निकटस्थ नदी तल क्षेत्रों में रिवर ड्रेजिंग हेतु समिति द्वारा चिन्हित क्षेत्रों में ड्रेजिंग कार्य हेतु केन्द्र/राज्य सरकार की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके द्वारा अनुबन्धित/अधिकृत ठेकेदारों के द्वारा अनुरोध करने पर महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म की संस्तुति पर शासन द्वारा प्रदत्त अनुमति के क्रम में सम्बन्धित जिलाधिकारी के द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम–2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु अनुज्ञा स्वीकृत की जायेगी।

एक ही क्षेत्र हेतु एक से अधिक परियोजनाओं की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके द्वारा अनुबन्धित/अधिकृत ठेकेदारों से अनुरोध प्राप्त होने पर निकटस्थ परियोजना की सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके द्वारा अनुबन्धित/अधिकृत ठेकेदारों को उक्त क्षेत्र में रिवर ड्रेजिंग कार्य की अनुमति प्रदान किये जाने में प्राथमिकता दी जायेगी।

स्वीकृत क्षेत्र में समिति द्वारा आंकलित उपखनिज मलवा/आर०बी०एम०/ सिल्ट की मात्रा पर मैदानी क्षेत्र हेतु निर्धारित रायल्टी दर की दोगुना धनराशि व अन्य देयकों का भुगतान निर्धारित लेखा शीर्षक में सरकारी कार्यदायी संस्थाओं अथवा उनके द्वारा अनुबन्धित/अधिकृत ठेकेदारों द्वारा जमा किया जायेगा तथा उक्त उपखनिजों का परियोजना के लिए उपयोग के इतर व्यवसायिक उपयोग प्रतिबन्धित रहेगा।

(3) अनुज्ञाधारक के द्वारा निकासी किये गये मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट आदि के भण्डारण हेतु विद्यमान उत्तराखण्ड खनिज (अवैध खनन, परिवहन एवं भण्डारण का निवारण) नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत भण्डारण की अनुज्ञा प्राप्त की जा सकेगी।

शिथलीकरण/स्पष्टीकरण

11. उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 के सुसंगत प्राविधानों के सन्दर्भ में किसी भी प्रकार के शिथिलीकरण एवं स्पष्टीकरण का अधिकार शासन में निहित होगा।

आज्ञा से,

(आर. मीनाक्षी सुन्दरम)
सचिव।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

उत्तराखण्ड शासन
औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1
संख्या: 109 /VII-A-1/2024-05(28)2021
देहरादून, दिनांकः 16 जनवरी, 2024

कार्यालय ज्ञाप संख्या-28/VII-A-1/2024-05(28)2021, दिनांक 16 जनवरी, 2024 द्वारा निर्गत उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग (संशोधन) नीति, 2024 की प्रति संलग्न कर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. सचिव- मा0 मुख्यमंत्री को मा0 मुख्यमंत्री जी (मा0 विभागीय मंत्री जी) के संज्ञानार्थ।
2. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव महोदय के संज्ञानार्थ।
3. मण्डलायुक्त, कुमांऊ/गढ़वाल, उत्तराखण्ड।
4. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तराखण्ड।
5. महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून।
6. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूडकी को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संशोधित नीति को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग-4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग-1, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
9. निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(हनुमान प्रसाद तिवारी)
उप सचिव

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

Letter 2024

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1

संख्या–20 /VII-A-1/2024–05(28)2021

देहरादून: दिनांक: 16 जनवरी, 2024

कार्यालय ज्ञाप

राज्यपाल, उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 में निम्नानुसार संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग (संशोधन) नीति, 2024

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ — 1 (1) इस नीति का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग (संशोधन) नीति, 2024 है।

(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगी।

बिन्दु 2 के उपबिन्दु 1 (च) का संशोधन — 2 उत्तराखण्ड रिवर ड्रेजिंग नीति, 2021 (जिसे आगे मूल नीति कहा गया है) में नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान बिन्दु 2.(1)(च) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया प्रावधान रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1 वर्तमान प्रावधान	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान
2.(1)(च) "महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" से जिला स्तर पर तैनात सहायक भूवैज्ञानिक/खान अधिकारी, उप निदेशक/भूवैज्ञानिक, उप निदेशक/ज्येष्ठ खान अधिकारी अभिप्रेत है;	2.(1)(च) "महानिदेशक द्वारा प्राधिकृत अधिकारी" से भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के सक्षम अधिकारी अभिप्रेत है;

बिन्दु 5 (घ) का संशोधन — 3 मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान बिन्दु 5(घ) के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया प्रावधान रख दिया जायेगा, अर्थात:–

स्तम्भ–1 वर्तमान प्रावधान	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान
5(घ) कार्य आदेश के उपरान्त ड्रेजिंग कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं प्रत्येक 30 दिन के अन्तराल पर ड्रोन सर्वे का कार्य अनुज्ञाधारक के व्यय पर जिला खान अधिकारी द्वारा कराया जायेगा, जिसकी सूचना मय ड्रोन फोटोग्राफ संबंधित जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म को उपलब्ध करायी जायेगी।	5 (घ) ड्रेजिंग अनुज्ञा स्वीकृति के उपरान्त व ड्रेजिंग कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अनुज्ञाधारक के द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र का ड्रोन फोटोग्राफ की एक प्रति जिलाधिकारी कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय व जनपदीय कार्यालय मे प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके उपरान्त ही ड्रेजिंग कार्य हेतु मशीनों का प्रयोग किया जायेगा तथा प्रत्येक 30 दिन (01 माह) के अन्तराल व अनुज्ञा समाप्ति पर स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र का ड्रोन फोटोग्राफ की एक प्रति जिलाधिकारी कार्यालय, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय व जनपदीय कार्यालय मे प्रस्तुत

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

करना अनिवार्य होगा।

परन्तु ड्रेजिंग कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अनुज्ञाधारक के द्वारा प्रस्तुत किये गये ड्रोन फोटोग्राफ व अनुज्ञा समाप्ति के उपरान्त प्रस्तुत किये गये ड्रोन फोटोग्राफ का परीक्षण किये जाने पर कोई अनियमितता दर्शित/पाये जाने पर सम्बन्धित ड्रेजिंग अनुज्ञाधारक के विरूद्ध सुसंगत प्रावधानों के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

बिन्दु 6 का संशोधन 4 मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान बिन्दु 6 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया प्रावधान रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान प्रावधान	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्रावधान
6. रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञा की स्वीकृति एवं अनुज्ञा अवधि– आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त मलवा/आर0बी0एम0/सिल्ट निस्तारित किये जाने हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा संबंधित जिलाधिकारी के द्वारा अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी।	6. रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञा की स्वीकृति एवं अनुज्ञा अवधि– आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा गठित समिति की संस्तुति के उपरान्त मलवा/आर0बी0एम0/सिल्ट निस्तारित किये जाने हेतु अल्प अवधि की अनुज्ञा संबंधित जिलाधिकारी के द्वारा अधिकतम 06 माह की अवधि हेतु स्वीकृत की जायेगी। समिति द्वारा निर्धारित/संस्तुत अवधि ही अनुज्ञा हेतु मान्य होगी। परन्तु ऐसे लम्बित प्रकरणों, जिनमें अनुज्ञाधारक द्वारा सम्पूर्ण रायल्टी की धनराशि समस्त देयकों सहित विभागीय लेखा शीर्षक में पूर्व में ही तत्समय जमा कर दी गयी हो तथा सम्बन्धित के पक्ष में निर्गत कार्यादेश के बाद भी अपरिहार्य कारणवश समय पर उपखनिज की निकासी का कार्य प्रारम्भ न हो सका हो अथवा उपखनिज की सम्पूर्ण मात्रा की निकासी हेतु पर्याप्त समय न मिला हो, में उपखनिज की निकासी कार्य की अपरिहार्यता की स्थिति में जिला खान अधिकारी की आख्या एवं भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर प्रश्नगत क्षेत्र/अनुज्ञा के रिक्त होने की दशा में उपखनिज की निकासी हेतु अधिकतम 03 माह की अवधि तक के लिए अनुमति प्रदान किये जाने पर शासन द्वारा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

बिन्दु 8 का 5 संशोधन — मूल नीति के नीचे स्तम्भ–1 में दिये गये वर्तमान बिन्दु 8 के स्थान पर स्तम्भ–2 में दिया गया प्राविधान रख दिया जायेगा, अर्थात्:–

स्तम्भ–1 वर्तमान प्राविधान	स्तम्भ–2 एतद्द्वारा प्रतिस्थापित प्राविधान
8. मलवा/आर0बी0एम0/सिल्ट निस्तारित किये जाने की विधि एवं पद्धति– मलवा/आर0बी0एम0/सिल्ट का निस्तारण सफाई के कार्य हेतु चिन्हित क्षेत्रों की भौगोलिक स्थिति, पत्थरों/बोल्डर्स के आकार की प्रकृति एवं नदी/नहर के चैनेलाईजेशन को वास्तविक रूप देने तथा आपदा प्रबन्धन के दृष्टिगत त्वरित गति से कार्य के निस्तारण के उद्देश्य से नदी/नहर के दोनों किनारों से एक चौथाई भाग छोड़ते हुए गठित समिति की संस्तुति पर नदी पुल से अपस्ट्रीम एवं डाउन स्ट्रीम में 100–100 मीटर छोड़ते हुए आवश्यकतानुसार मशीनों यथा जे0 सी0बी0 पोकलैण्ड आदि का उपयोग अनुमन्य होगा।	8. मलवा/आर0बी0एम0/सिल्ट निस्तारित किये जाने की विधि एवं पद्धति– ड्रेजिंग अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत जमा मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट, जिसके जमा होने से भू–कटाव एवं जान–माल का खतरा होने की सम्भावना है, का निस्तारण, tyre mounted loader and tyre mounted excavator मशीनों (अधिकतम 80 Horse power, bucket capacity अधिकतम 1 cubic meter) तथा विशेष परिस्थितियों में जहां ड्रेजिंग कार्य उक्त मशीनों से सम्भव नहीं हो रहा हो, वहां Chain mounted excavators मशीनों (अधिकतम 150 Horse power, bucket capacity अधिकतम 1.5 cubic meter) की सहायता से अधिकतम 03 मीटर की गहराई अथवा ग्राउन्ड वाटर लेवल, जो भी अन्यून हो, एवं नदी के दोनों किनारों से एक चौथाई भाग को छोड़ते हुए सीमाबन्धित क्षेत्रान्तर्गत खनन विभाग, राजस्व विभाग एवं सिंचाई विभाग के अधिकारियों की देखरेख में मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट का निस्तारण उक्त मशीनों के माध्यम से किये जाने हेतु अनुमति भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के द्वारा प्रदान की जायेगी। (ख) ड्रेजिंग अनुज्ञा क्षेत्रों में मलवा/आर० बी०एम०/सिल्ट का निस्तारण मशीनों की सहायता से किये जाने हेतु भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के द्वारा निम्न शर्तों के अधीन अनुमति प्रदान की जायेगी:– 1. ड्रेजिंग अनुज्ञाधारक के द्वारा स्वीकृत क्षेत्रान्तर्गत जमा मलवा/आर०बी०एम०/सिल्ट के निस्तारण मे मशीनों के उपयोग

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

हेतु प्रति मशीन रू0 5.00 लाख की एफ0 डी0आर0 भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय के पक्ष में बन्धक रखी जायेगी तथा ड्रेजिंग अनुज्ञाधारक के द्वारा मशीनों से कार्य करने में अनियमिता करने/पाये जाने पर उक्त बन्धक एफ0डी0आर0 की धनराशि को निदेशक द्वारा जब्त करते हुए सुसंगत प्रावधानानुसार दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

2. ड्रेजिंग अनुज्ञाधारक द्वारा स्वीकृत अनुज्ञा क्षेत्र के अन्तर्गत मशीनों द्वारा ड्रेजिंग कार्य की अनुमति हेतु निर्धारित प्रपत्र पर मय संलग्नक सहित आवेदन निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को प्रस्तुत किया जायेगा।

3. जिला खान अधिकारी द्वारा स्वीकृत ड्रेजिंग अनुज्ञा अवधि के प्रत्येक सप्ताह स्वीकृत क्षेत्र का स्थलीय निरीक्षण किया जायेगा, जिसकी आख्या निदेशालय व जिलाधिकारी कार्यालय को प्रेषित की जायेगी।

4. जिला खान अधिकारी से प्राप्त आख्या में मशीनों के संचालन में, यदि किसी प्रकार की अनियमितता पायी जाती है तो निदेशक द्वारा मशीनों के संचालन की अनुमति को निरस्त कर बंधक धनराशि को जब्त करते हुए रिवर ड्रेजिंग अनुज्ञाधारक को 01 वर्ष की अवधि हेतु काली सूची (Black List) में दर्ज किया जा सकेगा तथा उक्त अवधि में राज्य में खनन पट्टा/अनुज्ञा प्राप्ति की कार्यवाही में प्रतिभाग करने से वंचित रखा जायेगा तथा ड्रेजिंग अनुज्ञा की स्वीकृति को निरस्त करने की संस्तुति की जा सकेगी।

आज्ञा से,

(बृजेश कुमार संत)
सचिव

भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–4, खण्ड (क)

(सामान्य परिनियम नियम)

देहरादून, शुक्रवार, 16 जून, 2023 ई0

ज्येष्ठ 26, 1945 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग–1

संख्या 977 / VII-A-1 / 2023–24 ख / 2007

देहरादून, 16 जून, 2023

अधिसूचना

सा0प0नि0–16

राज्यपाल, खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 67, वर्ष 1957) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में उत्तराखण्ड उपखनिज परिहार नियमावली, 2001 तथा इस विषय पर विद्यमान समस्त नियमों एवं आदेशों को अतिक्रमित करते हुए उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2023 को निम्नवत प्रख्यापित किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् :–

उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली–2023

अध्याय–1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त, शीर्षक्रम, प्रसार, प्रारम्भ और प्रयुक्ति:–
   (1) यह नियमावली उत्तराखण्ड उप–खनिज (परिहार) नियमावली, 2023 (Uttarakhand Minor Minerals (Concession) Rules, 2023 कहलायेगी।
   (2) इसका प्रसार समस्त उत्तराखण्ड में होगा।
   (3) यह गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रचलित होगी।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून

(4) यह राज्य में उपलब्ध समस्त उपखनिजों पर प्रवृत्त होगी।

(5) यह नियमावली राज्य सरकार द्वारा सरकारी विभागों, सरकारी निगमों या कानूनी निकायों से खनन कार्य को कराने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी।

2. परिभाषायें :—जब तक की प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में :

(1) "अधिनियम" का तात्पर्य माइन्स एण्ड मिनरल्स (डेवलपमेन्ट एण्ड रेगुलेशन) एक्ट, 1957 (एक्ट संख्या 67 आफ 1957) समय–समय पर यथा संशोधित से है।

(क) "समिति" का तात्पर्य जिस क्षेत्र में खनिज क्षेत्र स्थित है, उस जनपद के उप जिलाधिकारी की अध्यक्षता में खनिज क्षेत्रों के चिन्हीकरण/निरीक्षण हेतु गठित समिति से है।

(ख) "जिला खनन समिति" का तात्पर्य जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित समिति, जिसमें प्रभागीय वनाधिकारी, जिला खान अधिकारी, सम्भागीय परिवहन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक तथा अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई विभाग सदस्य होंगे, से अभिप्रेत है।

(ग) "महानिदेशक" का तात्पर्य महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड से है।

(घ) "निदेशक" का तात्पर्य निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय उत्तराखण्ड से है।

(2) "जिलाधिकारी" से तात्पर्य उस जिले के कलेक्टर से है, जिसमें भूमि स्थित हैं।

(क) "जिला खान अधिकारी' से तात्पर्य उस जिले के खान अधिकारी से है, जिसमें भूमि स्थित है।

(3) "प्रपत्र" का तात्पर्य इस नियमावली के तृतीय अनुसूची में दिये गये प्रपत्र से है।

(क) "स्वस्थाने चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप" का तात्पर्य चट्टानों के रूप मे पाये जाने वाले खनिज जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि समस्त उपखनिज से है, जो अपनी उत्पत्ति के स्थान से विस्थापित न हुआ हो।

(4) "खनन और स्वामी" के वही अर्थ होंगे, जो माइन्स एक्ट 1952 (एक्ट सं0 35, 1952) में दिये गये हैं।

(5) "खनन सक्रियाओं" का तात्पर्य किसी उप खनिज को लब्ध करने के प्रयोजन के लिये की गई सक्रियाओं (operation) से है।

(6) "खनन पट्टा" का तात्पर्य उस खनन पट्टे (Mining Lease) से है, जो इन नियमों के अधीन एक नियत अवधि हेतु उप–खनिजों के विदोहन हेतु पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियां प्राप्ति के उपरान्त शासन अथवा शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा स्वीकृत किया गया हो।

(7) "खनन अनुज्ञा–पत्र" का तात्पर्य उस अनुज्ञा–पत्र (परमिट) से है, जो इन नियमों के अधीन अनुज्ञा–पत्र में नियत अवधि के भीतर उप–खनिजों की निर्दिष्ट मात्रा को निकालने के लिये दिया गया हो।

(8) "उप–खनिज" का तात्पर्य इमारती पत्थर (Buliding stone), बालू (Sand), बजरी (gravel), बोल्डर (Boulder), आर0बी0एम0 (बालू, बजरी, बोल्डर मिश्रित अवस्था में), मामूली मृदा (clay) नियत प्रयोजनों के लिये प्रयुक्त होने वाली बालू (Sand) से भिन्न मामूली बालू, खनिज सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, स्लेट अथवा किसी ऐसे खनिज से है, जिसे केन्द्र सरकार ने समय–समय पर घोषित किया है या जिसके उप–खनिज होने के बारे में माइन्स एण्ड मिनरल्स (रेगुलेशन एण्ड डेवलेपमेन्ट) एक्ट, 1957 (1957 की एक्ट संख्या 67) की धारा–3 के खण्ड (ड) के अधीन सरकारी गजट में विज्ञप्ति द्वारा घोषित करे।

(क) "खनिमुख मूल्य" का तात्पर्य खनिमुख पर मूल्य या उत्पादन के बिन्दु पर उपखनिज के विक्रय–मूल्य से है।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

(9) "रेलवे" और "रेलवे के प्रशासन" के क्रमशः वही अर्थ होंगे, जो उनके लिये इण्डियन रेलवेज एक्ट, 1890 (एक्ट संख्या 9, 1890) में दिये गये हैं।

(10) "River Bed Material (आर०बी०एम०)" नदी/नाला/गधेरा में अवस्थित या लगी हुई भूमि में उपलब्ध रेता, बजरी, बोल्डर, मिश्रित अवस्था में या पृथक-पृथक अवस्था में उपलब्ध हो, से तात्पर्य है।

(11) "नदी तल उपखनिज क्षेत्रों हेतु खनन सत्र" का तात्पर्य वर्षाकाल के उपरान्त 01 अक्टूबर से 30 जून तक की अवधि से है।

(12) "स्वस्थानें (In-Situ) चट्टानों एवं नदी तल से भिन्न उपखनिज क्षेत्रों हेतु खनन सत्र" का तात्पर्य 01 अप्रैल से 31 मार्च तक की अवधि से है।

(13) पर्वतीय क्षेत्र– पर्वतीय क्षेत्र के अन्तर्गत जिला उत्तरकाशी, चमोली, रूद्रप्रयाग, बागेश्वर एवं पिथौरागढ़, टिहरी गढ़वाल (तहसील नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग छोड़कर), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग छोड़कर), अल्मोड़ा (सम्पूर्ण भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग छोड़कर), नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र छोड़कर), देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग छोड़कर) सम्मिलित हैं।

(14) मैदानी क्षेत्र– मैदानी क्षेत्र के अन्तर्गत जिला टिहरी गढ़वाल (नरेन्द्रनगर का मैदानी भाग), पौड़ी गढ़वाल (तहसील कोटद्वार का मैदानी भाग), चम्पावत (तहसील पूर्णागिरी का मैदानी भाग), नैनीताल (तहसील हल्द्वानी, कालाढूंगी, रामनगर का मैदानी क्षेत्र), देहरादून (तहसील ऋषिकेश, डोईवाला, देहरादून, विकासनगर और कालसी का मैदानी भाग), हरिद्वार एवं उधमसिंहनगर के सम्पूर्ण भाग सम्मलित है।

(15) "चुगान" का तात्पर्य नदी के जल प्रवाह को नदी के मध्य में केन्द्रित करने हेतु नदी द्वारा निक्षेपित/जमा उपखनिज बालू, बजरी व बोल्डर का मानव शक्ति से निकासी से है।

(16) "अनुसूची" का तात्पर्य इस नियमावली से संलग्न अनुसूची से है।

(17) "राज्य और "राज्य सरकार" का तात्पर्य क्रमशः उत्तराखण्ड राज्य और उत्तराखण्ड सरकार से है।

(18) "परिवार" का तात्पर्य माता, पिता, पति, पत्नी, पुत्र, भाई, अविवाहित पुत्री व अविवाहित बहन से है।

(19) "शब्द" और "पद" जो परिभाषित नहीं हैं, परन्तु साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 में परिभाषित हैं, के वही अर्थ होंगे, जो उनके लिए उक्त अधिनियम में दिये गये हैं।

3. खनन संक्रियायें, खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा-पत्र के अधीन होगी:–

(1) कोई व्यक्ति राज्य के भीतर किसी क्षेत्र में ऐसे उप-खनिज की, जिस पर यह नियमावली प्रयोज्य हो, इस नियमावली के अधीन दिये गये खनन पट्टे या खनन अनुज्ञा पत्र की शर्तों और प्रतिबन्धों के अधीन और उनके अनुसार के अतिरिक्त कोई खनन संक्रियायें न कर सकेगा।

प्रतिबन्ध यह है कि किसी बात का प्रभाव इस नियमावली में प्रारम्भ होने से पूर्व यथाविधि दिये गये खनन पट्टा या अनुज्ञा-पत्र की शर्तो तथा प्रतिबन्धों के अनुरूप की गई खनन संक्रियाओं पर न पड़ेगा।

(2) कोई खनन पट्टा या खनन अनुज्ञा-पत्र इस नियमावली के उपबन्धों से भिन्न प्रकार न दिया जायेगा।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

अध्याय–2

उपखनिज क्षेत्रों को खनन पट्टे पर दिया जाना

4. खनन पट्टे के दिये जाने पर निर्बन्धनः–

खनन पट्टा किसी ऐसे व्यक्ति को न दिया जायेगा, जो भारतीय राष्ट्रिक न हो।

स्पष्टीकरण :– इस नियम के प्रयोजन के लिये कोई व्यक्ति भारतीय राष्ट्रिक समझा जायेगाः–

(I) कम्पनीज एक्ट, 1956 में यथा परिभाषित "public company" (सार्वजनिक कम्पनी) की दशा में, केवल उस स्थिति में जब कम्पनी के अधिकांश निदेशक भारत के नागरिक हों और उसी अंशपूंजी का कम से कम इक्यावन प्रतिशत ऐसे व्यक्ति धारण करते हों, जो या भारत के नागरिक हो या कम्पनीज एक्ट 1956 में यथा परिभाषित "companies" (कम्पनियां) हों।

(II) कम्पनीज एक्ट 1956 में यथा परिभाषित "Private company" (निजी कम्पनी) की दशा में केवल उस स्थिति में जब कम्पनी के सभी सदस्य भारत के नागरिक हों।

(III) फर्म या व्यक्तियों के अन्य संघ (Other association or individulas) की दशा में केवल उस स्थिति में जब फर्म के सभी सदस्य भारत के नागरिक हों, और

(IV) किसी व्यक्ति विशेष की दशा में, केवल उस स्थिति में जब वह भारत का नागरिक हो।

5. खनन पट्टा दिए जाने या उसके नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्रः–

(1) खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम०एम०–1 में या उसके नवीनीकरण के लिये प्रपत्र एम०एम०–1 (क) में जिला खान अधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा।

(2) उपनियम (1) में अभिदिष्ट प्रार्थना पत्र जिला खान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी को छः प्रतियों में दिया जायेगा। ऐसा अधिकारी सभी छः प्रतियों में, प्रार्थना पत्र की प्राप्ति, उसकी प्राप्ति का स्थान, समय और दिनांक लिखकर पृष्ठांकित करेगा। उसकी एक प्रति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये जाने वाले व्यक्ति को तुरन्त लौटा दी जायेगी तथा एक प्रति निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को सूचनार्थ प्रेषित की जायेगी।

(3) खनन पट्टा हेतु आवेदनकर्ता की मृत्यु होने पर आवेदनकर्ता की विधिक वारिस द्वारा प्रस्तुत किया गया माना जायेगा, इस हेतु विधिक वारिस द्वारा सक्षम स्तर से निर्गत उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र तथा उक्त आवेदन हेतु इच्छुक होने का नोटराईज्ड अनुरोध शपथ पत्र सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी कार्यालय में 03 माह की अवधि के अन्तर्गत प्रस्तुत करना आवश्यक होगा, अन्यथा की स्थिति में मूल आवेदन पत्र स्वतः निरस्त मानते हुए आवेदित क्षेत्र रिक्त माना जायेगा।

(4) उप नियम (1) में अभिदिष्ट प्रार्थना पत्र प्रपत्र एम०एम०–2 में खनन पट्टों के लिये प्रार्थना पत्रों के रजिस्टर में दर्ज किया जायेगा।

6– खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रार्थना–पत्र शुल्क और जमा अभिलेखः–

(1) खनन पट्टा दिये जाने के लिये प्रत्येक प्रार्थना पत्र के साथ निम्नलिखित होगाः–

(क) नदी तल में अवस्थित निजी/राजस्व/वन भूमि उपखनिज क्षेत्रों के लिये आवेदन शुल्क रू0 1.00 लाख एवं नदीतल से भिन्न निजी नाप भूमि के स्वस्थाने प्रकृति के उपखनिजों हेतु आवेदन शुल्क 05 है0 क्षेत्रफल तक हेतु रू0 2.00 लाख तथा 5.00 है0 से अधिक क्षेत्रफल हेतु रू0 5.00 लाख देय होगा, जो निर्धारित लेखा शीर्षक मे जमा किया जायेगा।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून

(ख) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, जिप्सम आदि के खनन पट्टा क्षेत्र में वैज्ञानिक विधि से खनन किये जाने के लिए आवेदित क्षेत्रफल 4.0 है० से न्यून नहीं होगा, जो एक संहत खण्ड में होगा।

परन्तु स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के ऐसे उपखनिज जो निर्माण कार्यों में प्रयुक्त होंगे यथा स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर आदि हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल 1.0 एकड़ होगा।

(ग) राजस्व खसरा मानचित्र, जिसमें आवेदित क्षेत्र को लाल रंग से दर्शाया गया हो तथा राजस्व विभाग से सत्यापित हो, की प्रतियां एवं गूगल मानचित्र, जिसमें आवेदित क्षेत्र को प्रदर्शित किया गया हो, की स्वप्रमाणित प्रति।

(2) खसरा खतौनी की राजस्व विभाग द्वारा सत्यापित प्रति।

(3) खनन अदेयता प्रमाण पत्र, जो सम्बन्धित जनपद के जिला खान अधिकारी द्वारा निर्गत किया गया हो, की प्रति।

(4) आयकर बकाया न होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र/शपथ पत्र की प्रति।

(5) चरित्र प्रमाण पत्र की प्रति।

(6) मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र की प्रति।

(7) जी०एस०टी० की प्रति।

(8) निजी नाप भूमि के उपखनिज के सम्बन्ध में सम्बन्धित भूस्वामियों की नोटराईज्ड अनापत्ति।

(9) निजी नाप भूमि होने पर भूमि बन्धक न होने का प्रमाण पत्र की प्रति।

(10) स्वस्थानें (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज निक्षेप जैसे सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टों के सम्बन्ध में निजी नाप भूमि में आवेदित कुल क्षेत्रफल का 60 प्रतिशत क्षेत्रफल हेतु भूस्वामियों की नोटराईज्ड सहमति।

(11) यदि प्रार्थना पत्र किसी प्रकार से पूरा नही है या उसके साथ उपनियम (1) मे उल्लिखित शुल्क जमा या अभिलेख नहीं हैं, तो जिला खान अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा तदर्थ प्राधिकृत अधिकारी नोटिस द्वारा प्रार्थी से, ऐसे समय के भीतर जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाय, प्रार्थना पत्र के सभी प्रकार से पूरा करने या शुल्क जमा करने या अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा करेगा और वह दिनांक जब प्रार्थना पत्र सभी प्रकार से पूरा हो, प्रार्थना पत्र की प्राप्ति का दिनांक समझा जायेगा।

(12) आवेदक व आवेदक के परिवार के विरूद्ध खनन सम्बन्धी देयता होने पर खनन पट्टा हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र अस्वीकार कर दिया जायेगा।

6—खनन पट्टे का नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र शुल्क आदि:—

(क) खनन पट्टा के नवीनीकरण के लिये—प्रार्थना पत्र, पट्टे की अवधि की समाप्ति के दिनांक से कम से कम छः माह पूर्व पट्टे द्वारा धृत क्षेत्र के मानचित्र, जिसमें वह क्षेत्र स्पष्ट रूप से प्रदर्शित हो, जिसके नवीनीकरण के लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया हो, की छः प्रतियों सहित दिया जा सकेगा और नियम 6 के उपनियम(1) खण्ड (क) आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

(ख) राज्य सरकार उप नियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के पश्चात खनन पट्टा के नवीनीकरण हेतु प्रार्थना पत्र में हुए विलम्ब को क्षमा कर सकेगी।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड देहरादून

7— जांच और प्रतिवेदन:—

(1) खनन पट्टे हेतु आवेदित क्षेत्र के स्थलीय जांच, अभिलेखों की जांच, खनिजों के प्रकार एवं मात्रा का आंकलन, सीमांकन आदि हेतु सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर निम्नानुसार समिति का गठन किया जायेगा:—

1. उप जिलाधिकारी	—	अध्यक्ष।
2. सहायक अभियंता, सिंचाई विभाग (केवल नदी तल खनन क्षेत्रों हेतु)	—	सदस्य।
3. प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा नामित प्रतिनिधि	—	सदस्य।
4. जिला खान अधिकारी	—	सदस्य सचिव।

परन्तु, उक्तानुसार गठित समिति में उप जिलाधिकारी की उपलब्धता न होने की स्थिति में नियमावली के नियम—65 के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त तहसीलदार/नायब तहसीलदार उक्त समिति की अध्यक्षता करेंगे।

(2) जिला खान अधिकारी के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों पर 01 माह के भीतर गठित समिति से स्थलीय जांच/निरीक्षणोपरान्त निर्धारित प्रपत्र में संयुक्त निरीक्षण आख्या संस्तुति सहित जिलाधिकारी को प्रेषित की जायेगी, तदोपरान्त जिलाधिकारी के द्वारा संस्तुति सहित प्रस्ताव महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय को समस्त संलग्नकों सहित प्रेषित किया जायेगा।

8— खनन पट्टे की स्वीकृति:—

(क) शासन द्वारा इस नियमावली के उपबंधो के अधीन रहते हुये नदी तल/नदी तल से लगी भूमि में उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर (आर0बी0एम0) एवं स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टे स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी से प्राप्त आख्या एवं अभिलेखों का परीक्षण करने के पश्चात महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर उपलब्ध खनन पट्टे के प्रस्ताव को अस्वीकार किया जा सकता है अथवा आवेदित क्षेत्र के पूरे या उसके किसी भाग के लिये, उपखनिज बालू, बजरी, बोल्डर (आर0बी0एम0) के खनन पट्टे की दशा में 06 माह की अवधि के लिए एवं स्वस्थाने (In-situ) चट्टान किस्म के खनिज यथा सोपस्टोन, सिलिका सैण्ड, बैराईट, डोलोमाईट, स्लेट, क्वार्टजाईट, पत्थर, जिप्सम आदि के खनन पट्टे की दशा में 01 वर्ष की अवधि के लिये, जैसा उचित हो, खनन पट्टा हेतु खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियों की प्राप्ति हेतु जिलाधिकारी एवं महानिदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय की संस्तुति पर आशय पत्र (Letter of Intent) निर्गत/स्वीकृत किया जायेगा।

(ख) खनन पट्टे हेतु निर्गत आशय पत्र में उल्लिखित समस्त शर्तों यथा खनन योजना, पर्यावरणीय अनुमति एवं अन्य वांछित अनुमतियां प्राप्त हो जाने के उपरान्त महानिदेशक की संस्तुति के उपरान्त शासन द्वारा खनन पट्टा स्वीकृत किया जायेगा।

9— कतिपय व्यक्तियों के अधिमानी अधिकार:—

1. जहां दो या दो से अधिक व्यक्तियों ने एक ही भूमि के सम्बन्ध में खनन पट्टे के लिए आवेदन किया हो, वहां उस प्रार्थी को जिसका प्रार्थना पत्र अपेक्षाकृत पहले प्राप्त हुआ हो, उस आवेदक से, जिसका प्रार्थना पत्र बाद में प्राप्त हुआ है, ऊपर पट्टा दिये जाने का अधिमानी अधिकार होगा।

मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
भूतत्व एवं खनिकर्म निदेशालय
उत्तराखण्ड, देहरादून